सत्यमेव जयते

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य
चुनाव के मतदान अधिकारियों के लिये

मार्गदर्शिका

(जहां मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से हों)

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर
2015

प्रस्तावना

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन में कराये जाते है। अब तक ये चुनाव परम्परागत तरीके से मतपेटियों के द्वारा कराये जाते रहे है। नियमों में वोटिंग मशीनों से भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की रीति विहित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 मे पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में पंचायत समिति व जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन में तीन जिलों में **इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों** का उपयोग किया था। आगामी आम चुनावों में भी कुछ जिलों में पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों के चुनाव इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से कराये जायेंगे। हालांकि लोकसभा, विधानसभा व नगरपालिका चुनावों में वोटिंग मशीनों का उपयोग हुआ है जिससे मशीनों के उपयोग की विधि से आप परिचित हैं, लेकिन पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य चुनाव की मतदान प्रक्रिया एवं विधि में कई भिन्नतायें हैं, जिनको समझना आवश्यक है।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में अधिसूचना संख्या 1531 दिनांक 12.11.14 द्वारा संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों में भी अन्य चुनावों की भांति मतदाताओ को नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 दिनांक 8.12.14 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में खण्ड 'थ' प्रतिस्थापित कर यह प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अभ्यर्थी होने के लिए संबंधित व्यक्ति के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना आवश्यक होगा व उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नही जाता है।

किसी चुनाव में मतदान केन्द्र पर नियुक्त पीठासीन अधिकारी एवं मतदान दल के अन्य सदस्यों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। यह मार्गदर्शिका पीठासीन अधिकारियों एवं उनके मतदान दल के सदस्यों के उपयोग हेतु तैयार की गई है। पीठासीन अधिकारियों को मतदान से पहले यह मार्गदर्शिका और तत्संबंधित विधिक प्रावधान अच्छी तरह से पढ़ लेने चाहिए। यह मार्गदर्शिका व्यवहारिक दृष्टिकोण एवं अद्यतन नियमों/अधिनियमों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और चुनावों के दौरान आने वाली सभी संभावित समस्याओं को ध्यान में रखा गया है, फिर भी ऐसी समस्यायें सामने आ सकती है जिनका इस मार्गदर्शिका में उल्लेख नही है, ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी कानूनी प्रावधानों और मार्गदर्शिका को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यकुशलता से चुनाव सम्पन्न करवायेंगे।

आपका लक्ष्य त्रुटिहीन, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना है।

09 दिसम्बर, 2014

9/12

रामलुभाया
राज्य निर्वाचन आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका

पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य चुनाव जहां
इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन उपयोग में लायी जा रही है

विषय सूची

भाग	विषय	पृष्ठ संख्या
1	2	3
1.	प्रारंभिक	1
2.	पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषतायें	6
3.	पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य	14
4.	मतदान दलों के सदस्यों का कार्य विभाजन	36
5.	मतदान मशीन को तैयार करना और मशीन के उपयोग की प्रक्रिया	43
6.	मतदान का प्रारम्भ और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के उपाय	60
7.	मतदाता की पहचान, निविदत्त मत, मतदाता का मत देने से इन्कार और मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन पर मत देने की अनुमति नहीं देना	65
8.	मतों का रिकार्ड किया जाना और मतदान प्रक्रिया	70
9.	मतदान का स्थगन और रोका जाना	77
10.	मतदान की समाप्ति तथा मतदान मशीन और कागजात को बन्द करना एवं मोहर लगाना	80
11.	चुनाव अनियमितताएं	85
12.	मतदान मशीन एवं निर्वाचन संबंधी कागजात व सामग्री को जमा कराना	88
13.	पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन	91
परिशिष्ट		
1.	भारतीय दण्ड संहिता से उद्धरण	97
2.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण	98
3.	राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 से उद्धरण	108
4.	राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 से उद्धरण	117
5.	मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री की सूची	148
6.	मतदान केन्द्र का ले–आउट	152
7.	पीठासीन अधिकारी की घोषणा	153
8.	पीठासीन अधिकारी की डायरी का प्ररूप	157
9.	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा व पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप–14) भरा हुआ नमूना	160
10.	आयु संबंधी घोषणा का प्ररूप	163
11.	मतदाताओं की सूची जिनसे आयु संबंधी घोषणा ली है/अपेक्षा की है, प्ररूप	164
12.	बूथवार सीलबंद/बिना सील किये लिफाफों का विवरण	165
13.	मतदाता की पहचान हेतु विहित फोटो दस्तावेजो संबंधी आदेश	166
14	पीठासीन अधिकारियों के कतर्व्यों की संक्षिप्त रूपरेखा	169
15	पीठासीन अधिकारियों के लिए चैक मीमो	175

पंचायत समिति सदस्य एवं
जिला परिषद् सदस्य का चुनाव
(जहां इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीने उपयोग में लायी जाये)
पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका

अध्याय–1
प्रारंभिक

1. प्रस्तावनाः–

(1) संविधान में 73 वें संशोधन से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं में केवल पंच व सरपंच के लिये ही प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, जिसके उपरान्त वर्ष 1995 से पंचायती राज संस्थाओं के चार पदों अर्थात् ग्राम पंचायत के वार्ड पंच, ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य के लिए एवं जिला परिषद् सदस्य के लिए प्रत्यक्ष चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराये जाते है। ये चुनाव अब तक परम्परागत तरीके मतपेटियों व मतपत्र के द्वारा ही कराये जाते रहे है किन्तु अब दिनांक 21.11.2009 को कानूनी प्रावधानों में संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं के उक्त 4 पदों के प्रत्यक्ष चुनावों में वोटिंग मशीनों के उपयोग की रीति भी विहीत कर दी गई है।

(2) नये कानूनी उपबंध होने पर आयोग ने भी मशीनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये निर्णय किया है कि आगामी आम चुनाव–2015 में कुछ जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जायें ।

(3) यह मार्गदर्शिका पंचायत समिति सदस्यों/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचनों, जहां वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जायेगा, के लिये बनायी गयी है जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा चुनावों के संचालन के संबंध में निम्नांकित विधिक उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए ही बनायी गयी है फिर भी यदि कहीं कानूनी प्रावधानों व मार्गदर्शिका में भिन्नता पायी जावे तो कानूनी प्रावधानों को ही माना जावेः–

(i) भारतीय दण्ड संहिता, 1860
(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
(iii) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
(iv) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

उक्त विधिक प्रावधानों के उद्धृत अंश आपके अध्ययन हेतु क्रमशः परिशिष्ट 1, 2, 3, और 4 पर है।

(4) **राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में अधिसूचना संख्या 1531 दिनांक 12.11.14 द्वारा मतदाताओं को नोटा (उपर्युक्त में से काई नहीं) का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। अतः EVM में प्रयुक्त होने वाले मतपत्र में चुनाव लड़ने वाले अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (उपर्युक्त में से काई नहीं) का विकल्प एवं उसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित होगा। इन संशोधनों द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब कोई मतदाता, मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद अपना मत नहीं देना चाहे तो उसे मतपत्र को वापिस लेकर इस आशय का नोट मतदाता रजिस्टर पर लगाने एवं मतदाता के हस्ताक्षर उक्त नोट पर करवाने के प्रावधान समाप्त हो गये हैं। अब इस प्रकार यदि काई मतदाता चुनाव में खड़े हुये अभ्यर्थियों में से किसी को भी अपना मत नही देना चाहे तो वह नोटा (उपर्युक्त में से काई नहीं) के विकल्प पर अपना मत दे सकता है।**

(4) पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया में अनेक बातों में विधानसभा/लोकसभा/नगरपालिका चुनावों से एकरूपता होते हुये भी कई बातों मे भिन्नता भी है जो मार्गदर्शिका में आगे के भागों के अध्ययन से स्पष्ट होगा।

(5) यह मार्गदर्शिका केवल ऐसे निर्वाचनों, जहां जिला परिषद् सदस्यों एवं पंचायत समिति के सदस्यों का साथ–साथ मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से कराया जायेगा, के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारियों के लिए बनाई गई है।

(6) लोकसभा, विधानसभा व नगरपालिकाओं के चुनावों में वोटिंग मशीनों का उपयोग अब तक होता रहा है, लेकिन पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में उपयोग नहीं हुआ था, जो अब प्रथम बार होगा। इसलिए आपको मतदान मशीनों द्वारा मतदान के संचालन के लिए विधि और प्रक्रिया की भली–भांति जानकारी होनी चाहिए और इनकी सही स्थिति से पूर्णतः अवगत होना चाहिए। आपको मतदान बूथ पर मतदान के संचालन के प्रत्येक कार्य के साथ–साथ मशीन के मतदान संचालन से भी पूर्णतः परिचित होना चाहिए। एक छोटी सी भूल या गलती या विधि प्रक्रिया का दोष पूर्ण लागू किया जाना या मतदान मशीन की विभिन्न क्रियाओं का अपर्याप्त ज्ञान आपके मतदान बूथ पर मतदान को दूषित कर सकता है।

2 मतदान मशीनों का संक्षिप्त परिचयः–

1. मतदान मशीन (Voting Machine) दो यूनिटों अर्थात् नियंत्रण यूनिट (Control Unit) और मतदान यूनिट से मिलकर बनी है। जब मतदान मशीन संचालित होती है तब ये दोनों यूनिटें, एक केबल के द्वारा जिसका एक सिरा मतदान यूनिट से स्थायी रूप से जुडा रहता है, आपस में जुड़ी रहती है।

2. मतदान यूनिट सोलह अभ्यर्थियों तक के चुनाव की व्यवस्था करती है। मतदान यूनिट के स्क्रीन में निर्वाचन की विशिष्टियां, लडने वाले अभ्यर्थियों के क्रम संख्यांक और नाम और उन्हें आवंटित प्रतीकों तथा नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) का विकल्प एवं उसके लिए निर्धारित प्रतीक से युक्त मतपत्र प्रदर्शित करने की व्यवस्था है। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम एवं नोटा के सामने एक नीला बटन है जिसे दबाकर मतदाता अपना मत अंकित कर सकता है।

3. एक बैलेट यूनिट में 16 अभ्यर्थियों तक के लिए मत अंकित हो सकते हैं। इस प्रकार चौसठ अभ्यर्थियों तक की क्षमता वाली चार मतदान यूनिटें साथ मिलकर एक नियंत्रण यूनिट में प्रयुक्त की जा सकती है। अपग्रेडेड़ मॉडल 2006 MK5 EVMs में यह प्रावधान है कि एक नियंत्रण यूनिट के साथ 24 बैलेट यूनिट तक जोड़ी जा सकती हैं। इस प्रकार 384 अभ्यर्थियों के लिए मतदान की व्यवस्था एक Control Unit के साथ की जा सकती है किन्तु इन निर्वाचनों में इस प्रकार Ballot Unit जोड़ी जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा एक Control Unit के साथ 4 Ballot Unit जोड़ी जाने तक की ही अधिकतम आवश्यकता रहेगी। नियंत्रण यूनिट के सबसे ऊपरी भाग पर विभिन्न जानकारियां और मशीन में रिकार्ड किये गये आंकडे प्रदर्शित करने की व्यवस्था है जैसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, डाले गये कुल मतों की संख्या, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मत इत्यादि। इस भाग को सरल भाषा में नियंत्रण यूनिट का प्रदर्शन कहा जाता है। प्रदर्शन भाग के नीचे, बैटरी लगाने के लिए एक कक्ष है जिससे मशीन चलती है। इस कक्ष के पास दूसरा कक्ष है जिसमें एक बटन है। इस बटन को 'कैंड सैट' कहा जाता है और इन कक्षों से मिल कर बनें नियंत्रण यूनिट के सम्पूर्ण भाग को कैंड सेट सेक्शन (Cand Set Section) कहा जाता है। इस भाग में (1) मतदान बंद करने का क्लोज (close) बटन (2) दो निर्वाचनों के पृथकतः परिणाम अभिनिश्चित करने के लिये दो रिजल्ट (Result) बटन और (3) मशीन में रिकार्ड किये गये आंकडों की जब आवश्यकता न हो तब उन्हे मिटाने के लिये क्लीयर (Clear) बटन होते हैं। नियंत्रण यूनिट के सबसे नीचे भाग में दो बटन होते हैं:– एक बैलट (Ballot) चिन्हित बटन

होता है। जिसे दबाने से मतदान यूनिट मत रिकार्ड करने के लिए तैयार होती है, ओर दूसरा टोटल (Total) चिन्हित बटन जिसे दबाने से उस समय तक रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या देखी जा सकती है। (अभ्यर्थीवार संख्या को छोड़कर) यह भाग नियंत्रण यूनिट के बैलट सैक्शन (Ballot Section) के रूप में जाना जाता है। इस मशीन में एक आधुनिक माइक्रो कम्प्यूटर प्रयुक्त होता है। यह बेट्री से कार्य करता रहता है ओर इसे कहीं पर भी और किन्ही परिस्थितियों में उपयोग में लाया जा सकता है। यह टेम्पर प्रूफ, गलती रहित और चलाने में सरल है। मशीन की दोनों यूनिटें दो पृथक बक्सों में दी जायेगी जो सरलता से लाई और ले जायी जा सकती है। मशीन में एक बार रिकार्ड की गई मतदान सम्बन्धी जानकारी उसकी स्मृति में बनी रहेगी चाहे बैटरी हटा दी जाये।

4. राज्य में उपलब्ध वोटिंग मशीनें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. बंगलौर से निर्मित हैं। इन चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग की राज्य में उपलब्ध मशीनें तथा राज्य निर्वाचन आयोग के स्वामित्व की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. से प्राप्त दो अलग अलग प्रकार के मॉडल की मशीनें उपयोग में ली जायेंगी। भारत निर्वाचन आयोग की मशीनें राज्य में 2001 मॉडल की उपलब्ध हैं तथा राज्य निर्वाचन आयोग के पास पोस्ट अपग्रेडेड मॉडल 2006 एवं पोस्ट अपग्रेडेड मॉडल एमके–5 मॉडल की मशीनें उपलब्ध हैं। 2001 मॉडल एवं 2006 मॉडल की मशीनों में जो अंतर है वह रंग की विभिन्नता डिस्प्ले पेनल में प्रदर्शित होने वाला प्रिंट बटन आदि है। साथ ही 2006 मॉडल की वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिटों में दृष्टिहीन मतदाताओं के लिये मोल्डिंग भी है ताकि वह उम्मीदवार की क्रम संख्या पहचान कर मतदान कर सकें। अपग्रेडेड मॉडल 2006 तथा अपग्रेडेड मॉडल एमके–5, 2013 की वोटिंग मशीनों में भी मामूली अंतर है। इन EVM में एक कन्ट्रोल यूनिट के साथ 24 बैलेट यूनिट तक जोडी जा सकती है। साथ ही इनके साथ वे बैलेट यूनिट ही जोडी जा सकती है जो इन्ही के लिए उपलब्ध करवायी गइै है। पूर्व मॉडल वाली बैलेट यूनिटों को इन अपग्रेडेड मशीनों एमके–5 के कन्ट्रोल यूनिट के साथ नही जोड़ा जा सकता है। इन नई मशीनों में बेहतर सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। इस मशीन में प्रिन्ट लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इनकी बैटरी में हाई/मीडियम/लो क्षमता प्रदर्शित करने तथा शेष बैटरी को प्रतिशत में प्रदर्शित करने के प्रावधान दिये हुए है। इसमें स्व परीक्षण की सुविधा है तथा इसके आकार एवं वजन को पूर्ववर्ती मशीनों से कम किया गया है।

किन्तु जहां तक संचालन की मूल प्रक्रिया का प्रश्न है उक्त तीनों प्रकार की वोटिंग मशीनों की कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट की मूल प्रक्रिया में अंतर नहीं है।

5. मशीन विशेषतः मतदान यूनिट, इस प्रकार बनाई गई है ताकि इसमे वर्तमान मतदान प्रणाली के समस्त आवश्यक तत्व बने रह सकें ओर परिवर्तन केवल यह है कि मतदाता से अपनी पसंद के प्रतीक पर या उसके निकट मतपत्र पर एरोक्रास मार्क रबड़ की मुहर के उपयोग के बजाय उसकी पसंद के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने उपलब्ध नीले बटन को दबाने की अपेक्षा की गई। मतपेटियों के साथ छेड़छाड़ और मत की गोपनीयता के भंग करने के विरूद्व भी वर्तमान प्रणाली की तरह समस्त रक्षोपाय मतदान मशीन में पूर्णतः विद्यमान है। मतदान मशीन में मतदान की प्रक्रिया बहुत सरल होती है तथा निरक्षरों को भी मतदान मशीन के उपयोग द्वारा अपना मत रिकार्ड करने में कोई कठिनाई नहीं होती हैं। मतदान अधिकारी के लिए भी मशीन का संचालन बहुत सरल है। इसमें मतदान की गति बहुत तेज है और मतदाता द्वारा इसके मताधिकार के उपयोग की सम्पूर्ण प्रक्रिया में तुलनात्मक रूप से काफी कम समय लगता है। मतदान मशीन के उपयोग पर मतों की गणना और परिणामों की घोषणा का कार्य भी काफी आसान हो जाता है क्योंकि किसी मत के सम्बद्व में कोई सन्देह और विवाद नही होगा और किसी मतदान केन्द्र पर कराये गये मतदान का परिणाम नियंत्रण यूनिट के ''रिजल्ट'' बटन को दबाने मात्र से उपलब्ध हो जायेगा।

6. भारत इलैक्ट्रोनिक लिमिटेड जिसने इन मशीनों का निर्माण किया है, ने उनके द्वारा निर्मित मशीनों के संचालन के विस्तृत ब्यौरे देते हुए निर्देशिकाऐं प्रकाशित की हैं। भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित मशीनों के सुचारू संचालन के लिए इस निर्देशिका का भी अध्ययन बहुत ध्यान से करना चाहिए।

(3) मतदान के संचालन के संबंध में कानूनी प्रावधान :—

1. कानूनी प्रावधान जिसका सम्बन्ध पीठासीन अधिकारी के रूप में आपके कर्तव्यों से है, परिशिष्ठ 1, 2 व 3 में उद्धृत किये गये है। राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन कर पंचायती राज निर्वाचनों में भी मतदान मशीनों के उपयोग के लिए प्रावधान किये गये हैं। साथ ही उक्त निर्वाचन नियमों में मतदाताओं को नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध करवाने हेतु अधिसूचना दिनांक 12.11.14 जिन्हें शामिल करते हुए उक्त नियमों को उद्धरण परिशिष्ठ–4 में दिये गये हैं।

2. यह मार्गदर्शिका आपके कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक जानकारी देने के लिए तैयार की गई है। तथापि इस मार्गदर्शिका को सभी तरह से पूर्ण और मतदान के संचालन के दौरान निर्वाचन संबंधी कानूनी प्रावधानों का विकल्प नहीं समझा जा सकता। आपको जहां आवश्यक हो, कानूनी प्रावधानों का भी अध्ययन करना चाहिए।

अध्याय–2

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषतायें

1. पंच/सरपंच चुनाव एवं पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनावों की प्रक्रिया में अन्य चुनावों की प्रक्रिया से कई भिन्नतायें हैं जिन्हें वर्णित करते हुये पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषताओं का विवरण पुस्तिका के इस अध्याय में दिया गया है, ताकि कोई भ्रांति नहीं रहे।

2. पंचायत मुख्यालय पर एक से अधिक भिन्न–भिन्न पदों के लिए मतदान कराया जाता है यथा पंच, सरपंच, उपसरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य। इनमें से आपको जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य का साथ–साथ मतदान कराना है और यह मतदान अन्य पदों के लिए कराये जाने वाले मतदान के दिन से भिन्न दिवस को होगा।

3. जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य के लिए नियुक्त मतदान अधिकारियों, जो वोटिंग मशीन से चुनाव की रीति में पीठासीन अधिकारी कहे जायेंगे, के कर्त्तव्य व शक्तियां नियम 24–क के अन्तर्गत बतायी गयी हैं। नियम 31 के अनुसार भी मतदान अधिकारी ही पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। पंचायती राज निर्वाचन के वोटिंग मशीनों से चुनाव की प्रक्रिया में जहॉ मतदान अधिकारी को पीठासीन अधिकारी का ही नाम दिया गया है, वहॉ सहायक मतदान अधिकारी को भी मतदान अधिकारी का नाम दिया गया है, जैसा कि लोकसभा/विधानसभा /नगरपालिका निर्वाचनों में होता है।

4. इस मार्गदर्शिका में आगे के अध्यायों में आपके लिये पीठासीन अधिकारी एवं आपकी सहायतार्थ नियुक्त सहायक मतदान अधिकारियों को मतदान अधिकारी संबोधित किया गया है।

5. आपकी एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति नियम 31 के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जायेगी। नियम 24–क एवं नियम 31 के प्रावधान नियम 58 के अनुसार जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में भी लागू होते है।

6. पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य चुनाव सम्पन्न कराने हेतु आपको दिये गये नियुक्ति आदेश में निम्नांकित विवरण मिलेगाः–

(i) ग्राम पंचायत का नाम तथा उन पंचायत समितियों/जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों के क्रम संख्यांक, जिनके आपको चुनाव कराने हैं।

(ii) प्रत्येक मतदान बूथ के लिए नियुक्त मतदान दल के सदस्यों के नाम व उनके विभागीय पद।

(iii) प्रत्येक बूथ में जिन वार्डों के मतदाता मत देंगे उन वार्डो की क्रम संख्यांक।

(iv) पंचायत मुख्यालय पर जो भवन मतदान बूथ के लिये निर्धारित किये गये हैं उसका नाम।

(v) मतदान की तारीख।

7. रिटर्निंग ऑफिसरः— पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23(2) के अन्तर्गत नियुक्त रिटर्निंग आफिसर ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर निर्वाचन कार्य सम्पन्न करते है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58(2) के अन्तर्गत की जाती है जिसका मुख्यालय पंचायत समिति स्तर पर होगा। जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसका मुख्यालय जिला स्तर पर रहेगा। पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग आफिसर पंच/सरपंच चुनाव के नामनिर्देशन पत्रोंको लेने, उनकी जांच करने, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची बनाने एवं मतपत्र तैयार कराने, मतदान की व्यवस्था की देख रेख करने, मतगणना कराने एवं उनका परिणाम घोषित करने का कार्य करेगा। एक ही मतदान दल द्वारा पंच/सरपंच पद का और जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के लिये अलग अलग दिवसों में मतदान कराया जाता है तो उक्त कार्यो के अलावा वह जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए भी मतदान की देख रेख करेगा। पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनावों के लिये मतदान सामग्री लेने का कार्य पीठासीन अधिकारी करेगा।

8. मतदान दल में अधिकारीः— विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनाव में जो कार्य पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी करते हैं, वहीं कार्य पंचायत मुख्यालय पर स्थापित प्रत्येक मतदान बूथ पर क्रमशः मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी करेंगे। नियम 31 के अनुसार पंचायत चुनाव में मतदान अधिकारी ही पीठासीन अधिकारी के रूप में संबंधित मतदान बूथ पर कार्य करेगा। मतदान अधिकारी की शक्तियां व कर्त्तव्य नियम 24—क में बताये गये हैं। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के ऐसे चुनावों में जहां मतदान वोटिंग मशीनों से होगा, वहां मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी क्रमशः पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी के रूप में जाने जायेंगें जैसा कि विधानसभा/लोकसभा/नगरपालिका चुनावों में होता है।

9. **मतदान बूथः**— विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनावों में मतदान दल प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त किया जाता है परन्तु पंचायत चुनाव में मतदान दल प्रत्येक मतदान बूथ के लिए नियुक्त किया जायेगा। प्रत्येक पंचायत क्षेत्रा में एक ही मतदान केन्द्र होता है जो सामान्यतः पंचायत मुख्यालय से बाहर नहीं होता। एक मतदान केन्द्र को एक से अधिक मतदान बूथों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक मतदान बूथ पर पूरे—पूरे कुछेक वार्डों के मतदाता मतदान करेंगे। मतदान केन्द्र एवं मतदान बूथ की सूची नियम 30(3) के अन्तर्गत रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान से कम से कम एक दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी। मतदान केन्द्र / मतदान बूथ की सूची आपको चुनाव सामग्री के साथ—साथ जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त होगी। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए मतदान बूथों की सूची का प्रकाशन संबंधित रिटर्निंग आफिसर के द्वारा नियम 30(3) के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित है जिसके नोटिस का प्ररूप आपको चुनाव सामग्री के साथ प्राप्त होगा उसे आपको मतदान के पूर्व दिवस को अपने बूथ पर यथास्थान प्रकाशित करनी है।

10. मतदान स्थान व भवनः— नियम 30(3) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर मतदान दिन के कम से कम एक दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के लिए पूर्व निर्धारित भवनों के नाम की सूचना पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायेगा। यदि पंचायत कार्यालय उपलब्ध नहीं है तो यह सूचना मतदान केन्द्र के भवन पर चस्पा करायी जायेगी।

11. मतगणनाः— विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनावों में मतगणना मतदान केन्द्रों पर नहीं होती है परन्तु पंचायत चुनावों में पंच एवं सरपंच के लिए मतगणना पंचायत मुख्यालय पर मतदान केन्द्र पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् की जाती है । पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए मतगणना पंचायत मुख्यालय पर नहीं होगी बल्कि जिला मुख्यालय पर की जायेगी जिसके लिए मतपेटियां या यथास्थिति, वोटिंग मशीनें एवं अन्य कागजात मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् जिला मुख्यालय पर पहुॅचाने की व्यवस्था होगी।

12. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता व गणन अभिकर्ताः— जहां विधान सभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनावों में प्रत्येक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार है वहां पंचायत चुनाव में केवल जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन में ही उम्मीदवार को एक निर्वाचन अभिकर्ता एवं प्रत्येक मतदान बूथ में एक मतदान अभिकर्ता तथा मतगणना केन्द्र में गणन अभिकर्ता नियुक्त करने के

अधिकार हैं। लेकिन मतदान अभिकर्ता का कोई अवमुक्ति अभिकर्ता (Relief agent) नियुक्ति का प्रावधान जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में नहीं है। सरपंच पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को अधिकतम दो गणन अभिकर्ता तथा जितने मतदान बूथ हैं उतनी संख्या में मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने के अधिकार हैं लेकिन वार्ड पंच के चुनाव के उम्मीदवार को निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वार्ड पंच के चुनाव में उम्मीदवार स्वयं ही हर जगह उपस्थित रहने में समर्थ होता है। सरपंच पद के अभ्यर्थी को भी निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।

13. प्रतिभूति निक्षेप राशिः– पंच के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराने का भी प्रावधान नहीं है, लेकिन सरपंच जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों के लिए उम्मीदवार को निक्षेप राशि नियम 56(3) एवं 58 (5) के अन्तर्गत नामनिर्देशन पत्र के साथ जमा कराना आवश्यक है।

14. मतपेटियां और इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनेः– पंचायती राज संस्थाओं में अब तक मतपेटियों का ही उपयोग होता रहा है, अब इन चुनावों में जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों के लिये भी कुछ जिलों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जायेगा। जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिये इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) पृथक होगी और पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये पृथक होगी। ये आपस में मिक्स नहीं हो, इसके लिये इन पर अलग–अलग रंग का स्टीकर/एड्रेस टैग भी लगाये जायेगें।

15. स्वयं उम्मीदवार द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करनाः– जहां अन्य चुनावों में उम्मीदवार अपना नाम निर्देशन पत्रा अपने प्रस्तावक द्वारा भी प्रस्तुत कर सकता है वहां पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुनावों में उम्मीदवारों को अपने नामनिर्देशन पत्रों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह विहीत रीति से प्रस्तुत हुआ नहीं मानकर खारिज कर दिया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नाम वापसी का नोटिस भी स्वयं जाकर देना होगा।

16. जांच कार्य को स्थगित (adjourn) **नहीं करनाः–** पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में नामनिर्देशन पत्रों की जांच (scrutiny) उसी दिन समाप्त की जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर को जांच कार्य दूसरे दिन स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है।

17. चुनाव चिन्ह का स्वतः आवंटनः– पंच एवं सरपंच के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया अन्य चुनावों से पूर्णतया भिन्न है। पंच व सरपंच चुनावों में रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक वार्ड से या प्रत्येक सरपंच के लिये खड़े होने वाले उम्मीदवारों के हिन्दी देवनागरी लिपि में नाम हिन्दी

वर्णमाला के क्रमानुसार लिख देंगे और उसे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में उसी क्रम से लिख देंगे। इस सूची में पहले से ही चुनाव चिन्ह छपे हुये होते हैं। अतः प्रथम क्रम के पहले उम्मीदवार को पहला चुनाव चिन्ह व दूसरे क्रम के उम्मीदवार को दूसरा और इसी क्रम में सभी को चुनाव चिन्ह स्वतः ही आवंटित होते हैं। लेकिन पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य चुनाव में चुनाव चिन्हों का आवंटन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया भिन्न है

18. अमिट स्याहीः– अन्य चुनावों की भांति इन चुनावों में भी अमिट स्याही प्रयोग में ली जायेगी। नियमों के अनुसार बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायी जाती है, लेकिन जब पंच–सरपंच चुनाव पृथक चरण मे हो और पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य चुनाव पृथक चरण में हो तथा दोनों चरणों के मध्य कुछ दिनों या सप्ताहों का ही अंतर हो तो पहले चरण में हुये चुनावों में लगी हुई स्याही का निशान मतदाता की अंगुली पर रहता है और इससे दूसरे चरण के चुनाव में भ्रांति न हो, इसलिये दूसरे चरण के चुनाव में मतदाता के दायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाया जायेगा। और यदि प्रथम चरण में पुर्नमतदान हुआ तो बांये हाथ की मध्यमा (Middle finger) पर तथा द्वितीय चरण के चुनाव में पुर्नमतदान होता है तो दांये हाथ की मध्यमा (Middle finger) पर अमिट स्याही का निशान लगाया जायेगा।

19. मतपत्र का अनुप्रमाणनः– जहां चुनाव मत पत्रों से होगें वहां प्रत्येक मतपत्र निर्वाचक को जारी किये जाने से पूर्व अनुप्रमाणित किये जाने का प्रावधान है। लेकिन ई.वी.एम. से मतदान होने पर इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी।

20 मतपत्र का स्वरूपः– विधानसभा/लोकसभा/नगरपालिका चुनावों में जहां चुनाव मतपेटियों से हो तो, वहां मतपत्रपर प्रतिपर्ण (Counterfoil) भी रखने के प्रावधान है, किन्तु पंचायत चुनावों में जहां चुनाव मतपेटियों से हों, वहॉ मतपत्र पर कोई प्रतिपर्ण नहीं होता है। मतदाता को मतपत्र उसके कहीं हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त किये बिना ही, दे दिये जायेंगे। यहॉ मतदाता को मतपत्र देते समय चिन्हित मतदाता सूची पर संबंधित मतदाता की प्रविष्टि के आगे मतपत्र का क्रम संख्यांक अंकित करने का प्रावधान है लेकिन मतपत्र के क्रम संख्यांक को नोट किये जाने की अनुमति नहीं होती। ई.वी.एम.से चुनाव कराने पर उक्त व्यवस्था की जरूरत नहीं रहती। ई.वी.एम. से मतदान पर मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी लिये जायेंगे।

21. मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्युः– पंचायत चुनावों में किसी उम्मीदवार की मतदान समाप्त होने के पहले मृत्यु हो जाने पर भी चुनाव स्थगित नहीं होगा, लेकिन किसी अभ्यर्थी की

मृत्यु होने के परिणाम स्वरूप किसी पद के लिये चुनाव लडने वाला एक ही अभ्यर्थी शेष रह जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी उस पद के चुनाव को स्थगित कर देगा। (नियम 73)

22. अन्धे एवं अपाहिज मतदाताओं को मत अंकित करने में सहायताः– विधानसभा आदि चुनावों में पीठासीन अधिकारी अन्धे व अपाहिज मतदाताओं को मतपत्र पर मत अंकित करने में कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसे मतदाताओं को अपना मत अपने साथी द्वारा अंकित करवाने का अधिकार है किन्तु पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में मतदान अधिकारी ही ऐसे अन्धे व अपाहिज मतदाताओं को मत अंकित करने में सहायता देंगे। (नियम 41 अथवा 41–क) पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में साथी की सहायता से मत देने का प्रावधान नहीं है।

23. चिन्हित मतदाता सूचीः– जहां मतदान मतपेटियों से होता है वहॉ अन्य चुनावों में मतपत्र का क्रमांक निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में अंकित नहीं किया जाता, लेकिन पंचायत चुनावों में मतदाता को जारी मतपत्रों का क्रमांक चिन्हित मतदाता सूची में मतदाता के नाम के सामने अंकित किया जाता है। ई.वी.एम. से चुनाव होने पर चिन्हित मतदाता सूची में ऐसा कोई अंकन नहीं होगा, बल्कि मतदाता रजिस्टर में मतदाता की क्रम संख्या व वार्ड संख्या मतदान के दौरान क्रमानुसार अंकित की जायेगी और मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी भी ली जायेगी।

24. चैलेन्ज फीः– पंचायत चुनाव में मतदान बूथ पर किसी उम्मीदवार द्वारा मतदाता के पहचान को चैलेन्ज करने के पहले चैलेन्ज फी जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

25. निविदत्त मतः– पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी निविदत्त मतपत्रों द्वारा मत देने वाले व्यक्ति के मामले मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा निपटाये जायेंगे।

26. आरक्षित सीटों का चक्रानुक्रम से आवंटनः– पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदों में अनु.जातियों / जनजातियों / अ.पि.वर्गो / महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों को चक्रानुक्रम से बदलने का प्रावधान है।

27. मतदाताओं का रजिस्टरः– जहां चुनाव वोटिंग मशीनों से होंगें वहॉ मतपत्र जारी नहीं होगें और ना ही चिन्हित मतदाता सूची में मतपत्र क्रमांक अंकित होगा। इसके बजाय अब मतदाता रजिस्टर होगा जिसमें मतदाता की मतदाता सूची की क्रम संख्या व वार्ड संख्या अंकित होगी तथा उसके हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी लिये जायेंगें।

28. रिकार्ड किये गये मतों का लेखाः– जहॉ मतपेटियों से मतदान होता है वहॉ मतदान पश्चात मतपत्र लेखा तैयार किया जाता है, लेकिन वोटिंग मशीनों से चुनाव होने पर रिकार्ड किये गये मतों का लेखा (प्ररूप–14) तैयार किया जायेगा।

29. डाक मतपत्रः— अब तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में चुनाव ड्यूटी के स्टाफ को डाक द्वारा मत देने के लिये नियमों में प्रावधान नहीं था, जब कि अन्य चुनावों में है। अब नियम 35 में संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं के लिये भी प्रावधान किये गये है कि आयोग द्वारा विहित रीति से चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारी डाक द्वारा मत दे सकता है। चूंकि पंच व सरपंच चुनाव में मतदान की पूर्व संध्या पर ही निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने पर मतपत्र तैयार होते हैं, और मतदान के तुरन्त पश्चात् ही मतगणना प्रारम्भ होती है। अतः पंच/सरपंच चुनाव के लिये चुनाव ड्यूटी के अधिकारियों के लिये इतना समय नहीं रहता कि वे डाक द्वारा अपना आवेदन पंच/सरपंच चुनाव के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को पहुंचा सके और वह रिटर्निंग अधिकारी डाक मतपत्र के चुनाव ड्यूटी के अधिकारी को पहुंचा सके तथा डाक मतपत्र, पंच/सरपंच की मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व ही रिटर्निंग अधिकारी के पास लौटाया जा सके। लेकिन पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनावों में चुनाव ड्यूटी स्टाफ के लिये डाक द्वारा मत देना संभव है, जिसके लिये आयोग ने डाक द्वारा मत दिये जाने की रीति अपने सांविधिक आदेश दिनांक 11.12.2009 से विहीत की है। अब जिला परिषद चुनाव व पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये कोई भी ऐसा मतदाता जो किसी पंचायती संस्था के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी या मतदान अभिकर्ता नियुक्त है वह निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित समय तक डाक द्वारा मत देने के लिये आवेदन कर सकता है।

30. वोटिंग मशीनों से मतदानः— राज पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन कर नया अध्याय—4—क जोडा गया है, जिसमें वोटिंग मशीनों से मतदान की प्रक्रिया बतायी गई है। ये प्रावधान नियम 58 के अनुसार यथा शक्य परिवर्तनों के साथ जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये लागू होते है।

31. वोटिंग मशीनों से मतदान की प्रक्रिया बाबत् कानूनी प्रावधानः— नियम 55—क के अन्तर्गत बताया गया है कि मतदान, मतगणना और निर्वाचन कागजात की अभिरक्षा, निरीक्षण एवं निस्तारण आदि की प्रक्रिया, जहॉ वोटिंग मशीनों का उपयोग हो, के लिये नियमों के अध्याय—4 के सभी उपबन्ध, सिवाय नियम 32, 33, 34, 36,से 44, 47, 49, 50, 52 एवं 53 के लागू होंगे और नियम 32—क, 33—क, 33—ख, 34—क, 36—क, 36—ख, 37—क, 38—क, 39—क, 40—क, 41—क, 43—क, 44—क, 47—ख, 47—ग, 47—घ, 49—ग, 49—घ, 50—क, 52—क, 53—क एवं 53—ख के प्रावधान भी लागू होगें।

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य चुनाव में चूंकि आपका कार्य केवल मतदान प्रक्रिया एवं वोटिंग मशीनों व कागजात को जमा कराने तक सीमित है, इसलिये आपको निम्नांकित नियमों

का अध्ययन करना है:— 24—क, 30, 31, 32—क, 33—क, 33—ख, 34—क, 35, 36—क, 36—ख, 37—क, 38—क, 39—क, 40—क, 41—क, 43—क, 44—क, 45, 46, 47—क, 47—ख, 47—ग, 47—घ, 48, 48—ए एवं 48—बी (देखें परिशिष्ठ—4)

32. मतदान दल का गठन:— (i) जहां चारों पदों के चुनाव एक साथ हो तो प्रत्येक मतदान बूथ के लिए 7 व्यक्तियों का एक दल नियुक्त किया जायेगा जिसमें निम्न पद वाले व्यक्ति होंगे:—

(क) मतदान अधिकारी — एक

(ख) सहायक मतदान अधिकारी— 6

(ii) जहां चारों चुनाव एक साथ नहीं हों तथा एक समय पर पंच/सरपंच चुनाव हो अथवा जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य चुनाव हो तो सहायक मतदान अधिकारी 4 ही होंगे।

अध्याय–3

पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्य

(1) सामान्य :–

1. जहां जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्यों का साथ–साथ मतदान वोटिंग मशीनों से होगा वहां एक पीठासीन अधिकारी एवं चार मतदान अधिकारी होंगें।

2. यद्यपि इस मार्गदर्शिका के विभिन्न अध्यायों में विस्तृत निर्देश हैं तथापि आपके मार्गदर्शन के लिये आपके कर्तव्यों के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण बिन्दू नीचे दिये गये हैः–

    (i) चूंकि इन चुनावों में मतपेटी के स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग हो रहा है, अतः आपको मतदान मशीनों द्वारा मतदान के संचालन के लिये विहित नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में नवीनतम स्थिति से स्वयं को भली–भांति अवगत होना चाहिये, और विशेष सतर्कता से काम करना है।

    (ii) आपको मतदान मशीन के संचालन और उसमें उपलब्ध विभिन्न बटनों की क्रियाओं से स्वयं को पूरी तरह से परिचित होना चाहिये।

    (iii) आपको अपने मतदान दल के सदस्यों से परिचय कर चाहिये ओर आपकी पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के समय से ही उनसे सम्पर्क बनाना चाहिये।

    (iv) आपको पीठासीन अधिकारी से सम्बन्धित सभी आदेशों को प्राप्त करना होगा।

    (v) आपको अपने मतदान केन्द्र की अवस्थिति अैर मतदान केन्द्र से आने और जाने की मार्ग निर्देशिका एवं योजना का स्पष्ट ज्ञान होना चाहियें।

    (vi) आपको अनुपस्थित हुए बिना समस्त पूर्वाभ्यासों और प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिये।

    (vii) निर्वाचन सामग्री संग्रहित करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समस्त वस्तुऐं आपको प्राप्त गई है। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री वोटिंग मशीन का सेट (मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट) जो जिला परिषद सदस्य के लिये पृथक एवं पंचायत समिति सदस्य के लिये पृथक–पृथक होगा, निविदत मतपत्र, मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप–12) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और नामावली की अतिरिक्त प्रतियां, पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, सभी प्रकार के फार्म व लिफाफे, चपड़ी, अमिट स्याही है।

(viii) मतदान केन्द्र पर पंहुचने पर आपको समुचित मतदान बूथ की स्थापना के लिये की जाने वाली व्यवस्थाओं, विशेषतः मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने, मतदाताओं की पंक्ति का विनियमन करने, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त मतदान कार्यवाहियों का संरक्षण इत्यादि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये।

(ix) मतदान प्रारंभ होने के पूर्व, उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संतुष्टि के लिये वोटिंग मशीन का प्रदर्शन करना होगा कि उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं है। उनको यह भी प्रदर्शित करना होगा कि मशीन एकदम चालू स्थिति में है। इन प्रयोजनों के लिये प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिये कुछ मत रिकार्ड करके एक दिखावटी मतदान (Mock-Poll) आयोजित किया जायेगा और उसके परिणाम की गणना की जायेगी। ये कार्य दोनों चुनावों के लिये पृथक–पृथक होगा।

(x) दिखावटी मतदान आयोजित करने के पश्चात ऐसे दिखावटी मतदान मे रिकार्ड किये गये मत मशीनों की कन्ट्रोल युनिटों से क्लीयर (Clear) किये जायेंगे ताकि दिखावटी मतदान से सम्बन्धित कोई आंकड़े मशीनों की स्मृति में नही रहे। इसके बाद मतदान मशीनों की नियंत्रण यूनिटों को स्पेशल टेग, पिंक पेपर सील एवं स्ट्रिपसील लगा कर पृथक–पृथक मुहरबंद और सुरक्षित किया जावे एवं एड्रेस टैग लगाया जावे।

(xi) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, मतदाताओं के रजिस्टर को भी मतदान आरंभ करने से पूर्व मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित किया जाये और यह घोषित करना होगा कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले चिन्हो के अलावा कोई चिन्ह नहीं है तथा मतदाता रजिस्टर में किसी मतदाता की प्रविष्टि नहीं है। जहां जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य दोनों के लिये मतदान साथ–साथ हो, वहां पर एक ही मतदाता रजिस्टर और चिन्हित मतदाता सूची भी एक ही काम में ली जायेगी।

(xii) मतदान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत समय पर प्रारंभ किया जाना चाहिये। मतदान प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं और मतदान अधिकारियों को मत की गोपनीयता बनाये रखने के लिये चेतावनी दी जानी चाहिये ओर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधान जो इन चुनावों में भी लागू है, उनके ध्यान में लाये जाने चाहिये।

(xiii) दिखावटी मतदान, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और मतदाताओं के रजिस्टर के प्रदर्शन के बारे में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ता के समक्ष

मतदान प्रारंभ करने से पूर्व आपको निर्धारित प्ररूप में दोनों चुनावों के लिये पृथक–पृथक घोषणा करनी होगी ओर इन पर संबंधित चुनाव के उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी कराये जायें अर्थात् पीठासीन अधिकारी की घोषणा दो होंगी। जिला परिषद सदस्य चुनाव से संबंधित घोषणा के प्रारुप पर जिला परिषद सदस्य चुनाव के संबंधित अभिकर्ता/अभ्यार्थी हस्ताक्षर करेंगें और इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य चुनाव के मामले में भी किया जायेगा।

(xiv) निर्वाचक की पहचान प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा उचित रूप से और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विर्निदिष्ट दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित की जायेगी। किसी निर्वाचक द्वारा लायी गई अशासकीय पहचान पर्ची को ही आधार नहीं समझना चाहिये।

(xv) किसी निर्वाचक की निर्वाचन नामावली में उसकी प्रविष्टि के सम्बन्ध मे पहचान होने के पश्चात बॉयें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही चिन्हित करनी चाहिये।

(xvi) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदाता की तर्जनी पर लगाया गया अमिट स्याही का चिन्ह पूरी तरह से सूख गया है और अमिट स्याही का सुस्पष्ट चिन्ह बन गया है उसकी बाई तर्जनी की जांच मतदाता के मतदान केन्द्र छोड़ने के पूर्व दुबारा करनी चाहिये।

(xvii) किसी निर्वाचक की पहचान करने के पश्चात निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टि को रेखांकित करना चाहिये। महिला निर्वाचक के मामले में टिक मार्क (√) भी अंकित करना होगा। जिन मतदाताओं के लिंग को अन्य के रूप में अंकित किया गया है, उनके मामलें में स्टार (*) का चिन्ह अंकित किया जाये।

(xviii) निर्वाचक की क्रम संख्यांक (नाम नहीं) जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दिया गया है, मतदाता रजिस्टर (प्ररूप–12) में नोट किया जाना चाहिये।

(xix) मत रिकार्ड करने की अनुमति से पूर्व निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी मतदाता रजिस्टर (प्ररूप–12) में करवाने चाहिये। यदि कोई निर्वाचक मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी देने से इंकार करता है तो उसे मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(xx) निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी मतदाता रजिस्टर मे कराने के पश्चात उसे ऐसे क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए दो मतदाता पर्चियां (निर्धारित प्रारूप में) जारी

की जायेगी, जिस पर उससे सम्बन्धित प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर में की गई है। इस में एक पर्ची पीले {yellow}रंग में जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिये तथा दूसरी पर्ची नीले{Blue}रंग में पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये मतदाता को जारी की जायेगी।

(xxi) निर्वाचकों को मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि के आधार पर जारी मतदाता पर्चियों के क्रमानुसार संबंधित चुनाव की वोटिंग मशीन में उनके मत रिकार्ड करने की अनुमति दी जायेगी।

(xxii) पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये वोटिंग कम्पार्टमेन्ट पृथक होगा, जिसके ऊपर स्पष्ट अक्षरों में ''पंचायत समिति'' और इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य चुनाव वाले वोटिंग कम्पार्टमेन्ट पर ''जिला परिषद'' शब्द लिखा जाये ताकि मतदाताओं को स्पष्ट दिखाई दें।

(xxiii) यदि आप यह मानते है कि कोई निर्वाचक मतदाता की न्यूनतम आयु अर्थात 18 वर्ष से काफी कम है किन्तु आप उसकी पहचान और निर्वाचक नामावली में उसका नाम सम्मिलित होने के तथ्य से संतुष्ट है तो आपको उससे उसकी आयु के सम्बन्धमें एक घोषणा परिशिष्ट–10 के प्ररूप में लेनी चाहिये।

(xxiv) जब कभी सुसंगत घटनायें घटें, आपको उसी समय उन्हें पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट–8) में लिखनी चाहिये। दोनों चुनाव साथ होने पर भी पीठासीन अधिकारी की डायरी एक ही होगी, जिसमें दोनों चुनावों के मतदान संबंधी विभिन्न विवरण दर्शाये जायेंगें।

(xxv) आपको मतदान के शान्तिपूर्वक ओर निर्वाध संचालन के लिये मतदान केन्द्र की कार्यवाही को नियमित करना होगा। आपको काफी व्यवहार कुशल किन्तु साथ ही स्थिर विचार का और तटस्थ होना चाहिये।

(xxvi) यदि किसी कारण से मतदान देर से प्रारम्भ हुआ हो तो भी आपको निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत समय पर मतदान बन्द करना चाहिये। तथापि मतदान की समाप्ति के समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित समस्त मतदाताओं को मत देने दिया जायेगा चाहे मतदान कुछ समय तक और चलता रहे। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के पश्चात् कोई व्यक्ति पंक्ति में नही आने पाये। इस प्रयोजन के लिए आप द्वारा पंक्ति में खडे समस्त

मतदाताओं को पर्चियां वितरित की जानी चाहिए, ऐसा वितरण पंक्ति में खडे अंतिम मतदाता से प्रारम्भ किया जाना चाहिये।

(xxvii)मतदान की समाप्ति पर आपसे प्ररूप –14 के भाग I में रिकार्ड किये मतों का लेखा एवं पेपर सीलों का लेखा दोनों चुनावों के लिये पृथक–पृथक तैयार करना अपेक्षित है। ऐसे रिकार्ड किये मतों एवं पेपर सीलों के लेखे की प्रमाणित प्रतियां कोई अभ्यर्थी का उपस्थित मतदान अभिकर्ता यदि प्राप्त करना चाहे तो उसे दें।

(xxviii)मतदान की समाप्ति पर मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्रादि निर्धारित रीति से मुहरबन्द और सुरक्षित रखने चाहिए। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं जो जिस चुनाव से संबंधित हैं, को भी, यदि वे ऐसा करना चाहें, आपकी मुहर के साथ–साथ मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों पर उनकी मुहर लगाने की अनुमति दें। आपको मतदान मशीन और निर्वाचन से संबंधित कागज पत्रों को मुहरबन्द तथा सुरक्षित रखने के बारे में अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अनुसरण करना चाहिए।

(xxix) यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि समुचित रूप से मुहरबन्द और सुरक्षित मतदान मशीनों और समस्त निर्वाचन पत्रादि उनको एकत्रित करने वाले अधिकारी को उचित रसीद प्राप्त कर संभलायें।

(xxx) विभिन्न स्तरों पर आपके मुख्य–मुख्य कर्तव्य आपकी सुविधा के लिए पांच विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत <u>परिशिष्ट–14</u> में संक्षेप में दिये गये है।

(xxxi) चैक मीमों यह सुनिश्चित करने के लिए है कि निर्वाचन के संबंध में विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं की आपने पूर्ति कर ली है, एक चैक मीमो <u>परिशिष्ट–15</u> पर बताया गया है। जिसे आप द्वारा भरना चाहिये।

(2) मतदान दल का गठन तथा पूर्वाभ्यासः–

1. **मतदान दल के अन्य सदस्यों से संपर्क :–** आपके मतदान दल में आपके अलावा चार मतदान अधिकारी होंगे। मतदान दल की नियुक्ति करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी आपके दल के किसी मतदान अधिकारी को मतदान केन्द्र पर अपरिहार्य कारणों से आपके अनुपस्थित रहने पर, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों को वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

2. यथाशीघ्र आप सुनिश्चित कर लें कि आपके मतदान दल के अन्य सदस्य कौन–कौन है और आप आपके अधीन नियुक्त मतदान अधिकारियों के निवासीय पते भी जान लें। आपको

उनसे सम्पर्क रखते हुए उन्हे मतदान दल के प्रत्येक सदस्य की भूमिका के बारे में बतलाना चाहिये। यदि टीमवर्क नहीं है तो पीठासीन अधिकारी के रूप में आपका कार्य अधिक कठिन हो जायेगा।

3. **मतदान पूर्वाभ्यास–** जहां तक हो सके आप समस्त मतदान पूर्वाभ्यासों में भाग लें। यह आवश्यक है कि आप स्वयं को मतदान मशीन की प्रणाली से पूर्णतः परिचित कर लें और मतदान प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर लें तथा नियमों को समझ लें।

4. आपको इन पूर्वाभ्यासों में अपने साथ उस मतदान अधिकारी को भी ले जान चाहिए जो आपकी अपरिहार्य अनुपस्थिति के दौरान आपके कर्तव्यों की पालना के लिए प्राधिकृत किया गया है। यह अति आवश्यक है कि आप और ऐसा प्राधिकृत मतदान अधिकारी मतदान मशीन पर विभिन्न कार्य स्वयं करे और केवल प्रदर्शन देखकर संतुष्ट न हो। आप दोनों को Mock poll, पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग इत्यादि को लगाने से भी स्वयं को परिचित कर लेना चाहिए।

5. आपको प्ररूप–14 में रिकार्ड किये मतों का लेखा और पेपर सील लेखा के नमूने तैयार करने चाहिए।

6. यदि आपने लोकसभा/विधानसभा/नगर पालिका में किसी पूर्व निर्वाचन में मतदान मशीनों का उपयोग पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में किया हो तब भी आपको प्रशिक्षण कक्षाओं/पूर्वाभ्यासों में उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि इन चुनावों में निर्वाचन विधि और प्रक्रिया में कई भिन्नतायें है और यह आवश्यक है कि आप प्रक्रिया की भिन्नता को भी समझ लें अन्यथा निर्वाचन का संचालन सही प्रक्रिया या अनुदेशों के अनुसार नही हो सकेगा। इसके अतिरिक्त अपनी स्मृति को ताजा कर लेना सदैव लाभदायक होता है।

(3) डाक मतपत्र प्रमाण–पत्र के लिये आवेदनः–

1. आप और आपके मतदान अधिकारी जहां आपको चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है, जिला परिषद में उससे भिन्न किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हो सकते है या जिस पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचन में आप चुनाव ड्यूटी पर है, उससे भिन्न पंचायत समिति के मतदाता हो सकते है और जहां के मतदाता आप है जिला परिषद के उस निर्वाचन क्षेत्र या पंचायत समिति के चुनाव भी आपकी चुनाव ड्यूटी के दौरान ही हो रहे है तो डाक द्वारा मत देने के लिये नियमानुसार आप आवेदन कर सकते है। इसके लिये आपको आयोग द्वारा निर्धारित प्ररुप में डाक मतपत्र के लिये संबन्धित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना

होगा। आपको नियुक्ति के आदेश की दूसरी प्रति के साथ आवेदन प्ररूप तुरंत भेजना है अन्यथा डाक मतपत्र प्राप्त करने के लिये ओर डाक मतपत्र को गणना से पूर्व समय पर रिटर्निंग आफिसर को लौटाने के लिये पर्याप्त समय नहीं होगा। निर्वाचन ड्यूटी पर लगे मतदाताओं को डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने का आवेदन मतदान के दिन से कम से कम पांच दिन पूर्व या किसी ऐसी लघुतर अवधि के पूर्व जो रिटर्निंग आफिसर अनुज्ञात करे, किया जाना चाहिये।

2. चूंकि निर्वाचन ड्यूटी पर पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों को उस पंचायत समिति जहां के वे निवासी है या पदस्थापित है, सामान्यतया नहीं लगाया जाता है, अतः निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र (EDC) के आधार पर मतदान केन्द्र पर मतदान करने की स्थिति नहीं बनती।

3. पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में समाहित पंचायतों की निर्वाचक नामावली की एक प्रति पूर्वाभ्यासों और प्रशिक्षण कक्षाओं के केन्द्र (केन्द्रो) पर निरीक्षण हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि आप निर्वाचक नामावली की विशिष्टियां नोट कर सकें जो आपको डाक मतपत्र के लिये आपके आवेदन पत्र में देनी है। आवेदन पत्र के प्रारुप की अतिरिक्त प्रतियां उक्त केन्द्र (केन्द्रो) पर भी उपलब्ध होगी।

4. आपको व मतदान अधिकारियों को डाकमतपत्र जारी होने की स्थिति में अलग–अलग चुनावों के लिये अलग–अलग डाक मतपत्र अलग–अलग रंग के जारी होगें।

(4) मतदान मशीन और मतदान सामग्री एकत्रित करना

1. **मतदान सामग्री** :–मतदान से कम से कम एक दिन पूर्व मतदान बूथ के लिये प्रस्थान करते समय आपको सम्पूर्ण मतदान सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी सूची **<u>परिशिष्ट–5</u>** में दी गई है। मतदान बूथ के लिये प्रस्थान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने समस्त सामग्री प्राप्त कर ली है।

2. **मतदान मशीन की जांच** – निम्नलिखित को विशेष रूप से जांच कर लें किः–

   (i) आपको दी गई दोनों चुनावों के लिये पृथक–पृथक वोटिंग मशीन के सैट, अर्थात पृथक चुनाव की पृथक नियंत्रण यूनिट और पृथक ही मतदान यूनिट, वही है जो आपके मतदान बूथ पर उपयोग हेतु है। इसकी उक्त यूनिटों से संलग्न एड्रेस टैग के संदर्भ में भी जांच की जानी चाहिये जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्येक ऐसे एड्रेस टैग पर मतदान बूथ की संख्या और नाम उपदर्शित किये गये हैं। बैलेट यूनिट पर लगे

मतपत्र से भी देख लें कि मशीन उसी निर्वाचन से संबंधित है जिसके लिए आपको लगाया गया है।

(ii) जिला परिषद सदस्य की कन्ट्रोल चुनिट व बैलेट यूनिट का सैट पृथक होगा जिस पर पहचान हेतु पीले रंग के एड्रेस टेग, व इनके कैरिंग बक्सों पर पीले (Yellow) रंग का स्टीकर (3x6 सेमी) होगा, बैलेट यूनिट की स्क्रीन के भीतर दिखता हुआ पीले रंग का मतपत्र होगा और कंट्रोल यूनिट के कैण्डसेट सैक्शन के बाहरी कवर पर भी पीले रंग का (3x6 सेमी) स्टीकर चिपकाया हुआ होगा। इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य चुनाव की कन्ट्रोल युनिट एवं बैलेट यूनिट के सैट की अलग पहचान हेतु उक्त बताये स्टीकर, एड्रैस टेग और मतपत्र नीले (Blue)रंग के होंगें। उक्त पहचान के आधार पर भी आप जांच कर लें कि कोई अन्य मशीन तो नहीं दी गयी।

(iii) दोनो नियंत्रण यूनिट का "केंड सेट सेक्शन" सम्यक रूप से मुहरबंद किया गया है ओर उसके साथ एड्रेस टैग मजबूती से संलग्न है।

(iv) नियंत्रण यूनिटों के "केंड सेट सेक्शन" मे स्थापित बैटरी पूरी तरह से काम लेने योग्य है। इसकी पृष्ठ भाग के कक्ष पर उपलब्ध पावर स्विच को "आन" स्थिति में डाल कर, जांच की जायेगी। उक्त जांच के पश्चात पावर स्विच को "आफ" स्थिति में लाना होगा।

(v) आपको अपेक्षित संख्या में "मतदान यूनिटें" दी गई हैं और मतपत्र उनके प्रत्येक के मतपत्र स्क्रीन के अंदर सम्यक रूप से लगा दिये गये हैं। आपको दी जाने वाली मतदान यूनिटों की संख्या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी। किन्तु इन चुनावों में मतदाताओं को मतपत्र पर नोटा (उपर्युक्त में से काई नहीं) का विकल्प उपलब्ध करवाया जायेगा तथा मतपत्र में चुनाव लड़ने वाले अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (उपर्युक्त में से काई नहीं) तथा इसके लिये निर्धारित प्रतीक मतपत्र पर अंकित होगा। इसलिये यदि लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2 से अधिक और नोटा सहित 16 तक है तो केवल एक मतदान यूनिट दी जायेगी और मतदान यूनिट के दायीं ओर सबसे उपर विण्डो से दिखने वाला स्लाइड स्विच रिटर्निंग आफिसर द्वारा "1" स्थिति मे सैट किया जायेगा। यदि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 17 से अधिक किंतु **नोटा सहित** 32 तक है तो आपको दो मतदान यूनिटें दी जायेंगी। पहली मतदान यूनिट जिसमें उपर्युक्त उल्लिखित स्लाइड स्विच "1" स्थिति में सैट किया जावेगा, मतपत्र में क्र.सं. 1 से 16 तक लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंकित

अभ्यर्थियों के नाम होंगे। दूसरी मतदान यूनिट 17 से आगे 32 तक (नोटा सहित) लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों से युक्त मतपत्र की दूसरी शीट प्रदर्शित करेगी और उस यूनिट में स्लाइड स्विच "2" स्थिति में सैट किया जायेगा। यदि लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 33 से अधिक व **नोटा सहित** 48 तक हो तो वहां ऐसी 3 मतदान यूनिटें दी जायेंगीं। तीसरी मतदान यूनिट में मतपत्र में क्रम संख्या 33 से आगे 48 तक **(नोटा सहित)** अभ्यर्थियों के नाम होंगे और इसका स्लाइड स्विच "3" स्थिति में सैट किया जायेगा तथा यदि अभ्यर्थियों की संख्या 48 से अधिक और 64 तक (नोटा सहित) हो तो वहां ऐसी 4 यूनिटें होंगी और चौथी मतदान यूनिट उसमें लगे मतपत्र पर क्र.सं. 49 से आगें के अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित करेगी और इसका स्लाइड स्विच ''4'' स्थिति में सैट किया जायेगा।

(vi) प्रत्येक यूनिट के मतपत्र और स्लाइड स्विच सही तरह से फिक्स/सैट किये गये हैं, जैसा पूर्ववर्ती पैरा में वर्णन किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि मतदान मशीनों पर लगाये गये मतपत्र उचित रूप से फिक्स कर दिये गये हैं और प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम और प्रतीक तथा नोटा तथा उसके निर्धारित प्रतीक उनके तत्स्थानी लैम्प और बटन के लाइन में हैं तथा मतपत्र पर अभ्यर्थियों के पैनल तथा अन्तिम अभ्यर्थी के पैनल और नोटा के पैनल को विभाजित करने वाली रेखाऐं, मतदान यूनिट पर के तत्स्थानी संधियों की लाइन में है।

(vii) अभ्यर्थियों के बटन, जो मतदान यूनिटों पर हैं, लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) के बराबर हैं, और शेष बटन, यदि कोई हों, ढक दिये गये हैं।

(viii) प्रत्येक मतदान यूनिट सम्यक रूप से मुहरबंद कर दी गई है और दो स्थानों अर्थात दायीं ओर उपर और दायीं ओर के नीचे के भाग रिटर्निंग अधिकारी की मुहर से सुरक्षित कर दिये गये हैं और एड्रेस टैग उसके साथ अच्छी तरह से लगा दिये गये हैं।

(5) मतदान सामग्री की जांच करना :– यह भी जांच कर लें किः–

1. आपकी दी गई शीशीयों में, पर्याप्त मात्रा में अमिट स्याही है और स्टाम्प पैड सूखे हुए नही है।

2. निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की तीनों प्रतियॅा पूर्ण और सभी तरह से समान है, और विशेषकर :–

(क) आपको दिया गया सुसंगत भाग उसी पंचायत से संबंधित वार्डो का है जिसके लिए मतदान बूथ स्थापित किया गया है और यह कि उसकी प्रत्येक अनूपुरक सूचियॅा सहित सभी प्रकार से पूर्ण है।

(ख) अनुपूरक सूचियों के अनुसार सभी प्रतियों में से नाम काट दिये गये है और लिपिकीय या अन्य गलतियों से सम्बन्धित शुद्धियॅां सम्यक रूप से कर दी गई है।

(ग) नामावली की प्रत्येक वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ मूल मतदाता सूची के अनुसार क्रम संख्या 1 के अनुक्रम में संख्याकित है।

(घ) मतदाताओं की मुद्रित क्रम सं. को शुद्ध नही किया गया है और उनके स्थान पर नये संख्याक प्रतिस्थापित नही किये गये है।

3. आपको दिये गये निविदत्त मतपत्र उन्ही निर्वाचन क्षेत्रों के लिए है जिन के लिये जहां आपका आवंटित मतदान बूथ स्थापित है और कि वे किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण नही है। आपको इसकी भी जांच करनी चाहिए कि उनके क्रम संख्यांक, आपको दिये गये ब्यौरों से मेल खाते है।

4. यदि आप किसी भी मतदान मशीन या किसी मतदान सामग्री को किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण पाते है तो आपको आवश्यक समाधान के लिए उक्त त्रुटि को तुरन्त मतदान मशीन/मतदान सामग्री के वितरण के प्रभारी अधिकारी या रिटर्निग ऑफिसर के ध्यान में लाना चाहिए।

5. यह भी जांच कर लें कि दोनों चुनावों में लड़ने वाले अभ्यार्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूने की फोटोप्रतियॅा भी आपको दी गई है। यह मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षरों की वास्तविकता को सत्यापित करने में आपकी मदद करेंगे।

(6) मतदान बूथ की स्थापना :—

1. उस स्थान, जहां कि मतदान बूथ की स्थापना की जानी है, जो सामान्यतया पंचायत मुख्यालय पर हैं, पर पहॅुचने पर आपको मतदान के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भवन का निरीक्षण करना चाहिए। नियम 30 में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चयनित पोलिंग स्टेशन में मतदान का बूथ स्थापित करना है, जिसकी सूची आपको मतदान सामग्री लेते समय

प्राप्त करनी है। मतदान केन्द्र का ले–आउट संलग्न **<u>परिशिष्ट–6</u>** में भी बताया गया है। मतदान बूथ का सेटअप करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :–

(i) मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त जगह है।

(ii) जहां तक व्यवहारिक हो पुरूष/महिलाओं के लिए अलग–अलग प्रतीक्षा स्थल हों।

(iii) मतदाताओं के लिए प्रवेश तथा बाहर जाने के लिए अलग–अलग व्यवस्था हो। प्रवेश तथा बाहर जाने की अलग–अलग व्यवस्था के लिए एक रस्सी बांधकर एक ही दरवाजे में से ही की जा सकती है।

(iv) मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश से लेकर मतदान केन्द्र छोड़ने तक आसानी से आ–जा सकें तथा मतदान केन्द्र के भीतर आड़ा–तिरछा न चलना पड़े।

(v) मतदान अभिकर्ताओं को ऐसे ढंग से बिठाना चाहिए कि वे किसी निर्वाचक का चेहरा, उसके मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही देख लें ताकि आवश्यकता हुई तो वे उसकी पहचान को चुनौती दे सकें किन्तु वे किसी स्थिति में ऐसी जगह पर नहीं बैठेगे जहां बैठकर उन्हें मतदाता द्वारा बटन दबाकर उसकी पसन्द के चिन्ह पर मत रिकार्ड करते हुए देखने का अवसर मिल सके।

(vi) समस्त मतदान अधिकारियों को बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वे मतदाता को बटन दबाकर, मत देते हुए नहीं देख सकें।

(vii) जिला परिषद सदस्य के लिये एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये पृथक–पृथक वोटिंग कम्पार्टमेन्ट बनाये जाये, जिस पर स्पष्ट दिखने वाले नोटिस ''पंचायत समिति'' या यथास्थिति, ''जिला परिषद'' उपदर्शित किये जायें।

(viii) मतदान बूथ जहां स्थित है, उस भवन में यदि एक ही दरवाजा है तो भी दरवाजे के बीच में से बांसो तथा रस्सियों की सहायता से प्रवेश करने तथा बाहर जाने की पृथक व्यवस्था की जा सकती है। यह बात आप सुनिश्चित कर ले कि मतदान कक्ष के अन्दर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है।

(ix) यदि एक ही भवन में एक से अधिक मतदान बूथ स्थित है तो आपको इस बात का समाधान हो जाना चाहिए कि बिना परेशानी के मतदाताओं को अलग करने तथा प्रत्येक मतदान बूथ के सामने की जगह से अलग–अलग स्थानों पर उनके खड़े होने की व्यवस्था कर दी गई है।

(x) मतदान बूथ का भवन तथा उससे 100 मीटर की परिधी का क्षेत्र आपके नियंत्रण में होना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति को चाहे वह हथियारबंद है अथवा नही, 100 मीटर की परिधी के भीतर नहीं रहने दिया जायेगा। मतदान बूथ पर तथा उपर्युक्त क्षेत्र के भीतर सुरक्षा प्रबन्ध की व्यवस्था की जिम्मेदारी पूर्णतः आपके नियंत्रण के अधीन रहेगी।

(xi) राजनीतिक दलों के नेताओं के फोटो या ऐसे ब्यौरे जिनका सम्बन्ध निर्वाचनों से है प्रदर्शित नहीं किये जाने चाहिए और यदि ये पहले से ही वहां प्रदर्शित हो रहे हो तो मतदान समाप्त होने तक इसे हटाये रखने की कार्यवाही करनी चाहिए।

(xii) वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग मतदाताओं को मतदान हेतु प्राथमिकता से आने देवे और इसके लिये दृष्टव्य स्थानों पर पोस्टर भी चिपकायें।

(xiii) मतदान के दौरान मतदान बूथ के भीतर किसी प्रयोजन के लिए खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(xiv) यदि आपको स्वयं की बीमारी या अन्य अपरिहार्य कारणों से मतदान बूथ से अनुपस्थित रहना पड़े तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस निमित पहले से ही प्राधिकृत मतदान अधिकारी आपके स्थान पर कार्य करेगा और वह पीठासीन अधिकारी की समस्त शक्तियॅा तथा कार्यवाहियों का प्रयोग करेगा। आप मतदान बूथ से सम्बन्धित कार्यवाहियों में से कोई कार्यवाही मतदान दल में आपकी एवज में कार्य कर रहे किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते है लेकिन फिर भी इससे आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नही हो सकतें।

(xv) पंचायत कार्यालय के नोटिस वार्ड पर और पंचायत कार्यालय न होने की स्थिति में मतदान केन्द्र परः–

(क) एक नोटिस लगाया जायेगा जिसमें मतदान क्षेत्र यानि मतदान केन्द्र में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार मतदाताओं को विवरण विनिर्दिष्ट होगा।

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रतीक चिन्ह सहित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति प्रदर्शित की जायेगी जिसमें विवरण और क्रम वही होगा जो कि प्ररूप–5 में दर्शित है।

(7) मतदान केन्द्र में प्रवेश करने तथा बैठने के प्रबन्ध का विनियमन

1. मतदान बूथ के लिए नियत निर्वाचकों के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों को ही मतदान बूथ में आने की अनुमति नियम 24–क सपठित नियम 58, 68, एवं 69 के अनुसार दी जा सकती है :–

   (क) मतदान अधिकारी,

   (ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोकसेवक, एवं पुलिस अधिकारी

   (ग) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

   (घ) अभ्यर्थी, नियम 68 के अंतर्गत उनके निर्वाचन अभिकर्ता और नियम 69 के अन्तर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता,

   (ङ.) किसी मतदाता की गोद का कोई बच्चा,

   (च) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय–समय पर मतदाताओं की पहचान करने के लिए बुलावें।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ में प्रवेश नही करेगा एवं पीटासीन अधिकारी उपर्युक्त के अलावा अन्य व्यक्तियों को वहां से अपवर्जित करेगा।

3. किन्ही मतदान बूथों पर अन्दर चल रही मतदान प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी, राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अध्यधीन कराई जा सकती है, और ऐसे मतदान बूथों पर जब मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाये तो यह ध्यान रखा जाये कि मत देने के लिए आने वाले मतदाता के चेहरे की फोटो तो रिकार्ड हो किंतु मत देते समय की फोटो नहीं हो क्योंकि इससे मत की गोपनीयता भंग हो सकती है।

4. आप यह नोट कर लें कि उपर्युक्त ''निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर लोकसेवक'' में संघ तथा राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल नही है।

5. अपने ड्यूटी के पालन में आप केवल राज्य निर्वाचन आयोग की मार्गदर्शिका तथा निर्वाचन नियमों एवं कानूनों द्वारा आबद्ध है। आपको कोई पक्षपात नहीं दिखाना है। मतदान बूथों में प्रवेश करने के लिए सरकारी उच्च अधिकारियों या अन्य को आप तभी अनुमति दें जब उनके पास राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये मान्य प्राधिकार–पत्र हों।

6. निर्वाचकों की पहचान में आपकी सहायता करने के लिए आपके द्वारा नियुक्त कोई मतदान अधिकारी या अन्य अधिकारियों को सामान्यतया मतदान बूथ के प्रवेश द्वार के बाहर ही

बिठाया जाना चाहिए, उसे मतदान बूथ में तब ही बुलाना चाहिए जब कि किसी विशिष्ट मतदाता की पहचान आवश्यक हो। मतदान बूथ के भीतर किसी भी व्यक्ति को शब्दों या इशारों से मतदाताओं को किसी विशिष्ट प्रकार से मत देने के लिए प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

7. मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के प्रारम्भ होने के 45 मिनट पूर्व मतदान बूथ में हाजिर होने के लिए कहना चाहिए। मतदान की प्रारम्भिक व्यवस्थाओं का कोई भाग पहले से ही पूरा किया जा चुका हो तो किसी देरी से आने वाले मतदान अभिकर्ता को समायोजित करने के लिए कार्यवाही को नये सिरे से प्रारम्भ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मतदान अभिकर्ता विलम्ब से भी आता है तो भी उसे मतदान बूथ की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप–9 में नियुक्ति दी जायेगी और मतदान बूथ में प्ररूप–9, को पेश करने पर ही प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी।

8. प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता एक मतदान बूथ के लिए एक मतदान अभिकर्ता ही नियुक्ति कर सकता है, इन चुनावों में अवमुक्ति अभिकर्ता (Relief Agent) नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। लेकिन एक समय पर किसी अभ्यर्थी के एक ही मतदान अभिकर्ता को प्रवेश दिया जायेगा। मतदान अभिकर्ता को, जिसे मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है, मतदान अभिकर्ता का बैज दिया जायेगा, जिसको लगातार ही वह आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्र में आ जा सकेगा।

9. मतदान केन्द्र में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं देवें।

10. राज्य निर्वाचन आयोग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी के प्राधिकार पत्र को धारण किया हुआ यदि कोई मीडियाकर्मी मतदान बूथ में प्रवेश करता है तो उसे किसी मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करते हुए उसकी फोटो लेना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा; और उसे कैमरा/वीडियो/मोबाइल मतदान केन्द्र में नहीं लाने दिया जाये। मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं की लाईन की फोटो मीडियाकर्मी ले सकते है।

11. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिये पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। मतदान के दिन कोई पर्यवेक्षक आपके मतदान बूथ का निरीक्षण कर सकता है। जब वह आपके मतदान बूथ का निरीक्षण करे तो आपको उसके प्रति शिष्टाचार ओर सम्मानरखना चाहिये तथा अपेक्षित सूचना भी आपको देनी चाहिये।

पर्यवेक्षक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये बैजों को धारित किये हुए होगा और आयोग द्वारा जारी किये गये नियुक्ति पत्रों को भी अपने पास रखेगा।

12. अभ्यर्थियों का राजनीतिक नेताओं के नाम और/या उसके चित्र वाले बैजों और प्रतीक आदि को लगाये हुए किसी भी व्यक्ति को मतदान बूथ के भीतर या उसके 100 मीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

13. आपको चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर रिटर्निंग आफिसर द्वारा भेजे जायेंगे। पोलिंग अभिकर्ता आपके पास फार्म–9 लेकर आयेगा उस पर आप उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता तथा पोलिंग के हस्ताक्षर जो पहले से ही किये हुए होंगे, उनको देख लें। पोंलिंग अभिकर्ता आपके सामने फिर हस्ताक्षर करेंगे इन दोनों हस्ताक्षरों को मिला लें एवं उसे कागज का बैज दें जिसको वह अपने शरीर पर धारण कर लेगा।

(8) मतदान मशीन को तैयार करना और उसका संचालन करना–

1. आपको मतदान के पूर्व की तैयारी करनी है जिसमें विशेषकर वोटिंग मशीन को तैयार करना है और मतदान के दौरान मशीन के सही और सुचारू उपयोग को सुनिश्चित करना है। मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को किस प्रकार तैयार करना है, नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को परस्पर किस प्रकार जोड़ना है, किस प्रकार दिखावटी मतदान संचालित करना है, किस प्रकार पेपर सील लगानी है और किस प्रकार मतदान प्रारंभ करते हुए मतदान का संचालन करना है आदि प्रक्रिया आपको आगे के अध्यायों में बताई गई है, जिनका अच्छी तरह से अध्ययन कर कार्य सम्पादित करायें।

2. वोटिग मशीनों के दोनो चुनावों के आपके पास दो पृथक–पृथक सैट हैं, यह विशेष सावधानी रखे कि इनकी कन्ट्रोल युनिटें व बैलेट यूनिटें परस्पर भिन्न नहीं हों।

3. दोनों चुनावों की मशीनों का दिखावटी मतदान कराया जायेगा और यदि मशीन बदली जाती है तो बदली गई मशीन का भी दिखावटी मतदान कराया जायेगा।

(9) मतदान प्रक्रिया की देखरेख

1. मतदान ठीक निर्धारित समय पर आरंभ हो जाना चाहिये। यदि आपको मतदान मशीन तैयार करने में थोड़ी देर हो जाये तो भी आप मतदाता को ठीक निर्धारित समय पर अन्दर बुला लें व वोट डालने के पहले की कार्यवाही शुरू कर दे।

2. प्रत्येक मतदाता, जिसे मत देने की अनुमति दी गई है मतदान बूथ में मतदान की पूर्ण गोपनीयता रखेगा।

3. मतदान प्रारंभ करने से पूर्व उपस्थित सभी व्यक्तियों को मतों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये उनके कर्तव्य और उनके भंग करने पर शास्ति के सम्बन्ध मे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 (देखें परिशिष्ट–2) के प्रावधानों को भी स्पष्ट कर दें।

4. टेण्डर वोट के मामले आपको तय करने होंगे।

5. मतदाता सूची में छपाई की अशुद्धियों पर ध्यान नहीं देना है। छपे हुए विवरण से आपको संतुष्ट होना है कि ये विवरण उसी व्यक्ति के हैं जो आपके सामने खड़ा है। कभी–कभी 21 साल की उम्र 12 छप जाती है। ऐसी गलतियों पर ध्यान नहीं देना हैं।

6. यदि कोई निर्वाचक चेतावनी के बावजूद भी मतदान की प्रक्रिया को मानने से इन्कार करे तो उस मत रिकार्ड करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। {नियम 40–क} और मतदाता पर्ची उससे वापिस ले कर रद्द कर दी जाये।

7. मतदाता की पहचान जिस पहचान दस्तावेज के आधार पर की गयी है, उस दस्तावेज की क्रम संख्या के आखिरी चार डिजिट, मतदाता रजिस्टर के रिमार्क के कॉलम में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा दर्ज की जायेगी।

8. यदि नियम 36–ख में बताई गयी परिस्थितियों में मतदान के दौरान् वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में आपको जाना पड़े तो मतदान अभिकर्ताओं को भी साथ आने के लिए कहें।

9. जहां मतदाता रजिस्टर के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी करने के उपरान्त आप उसे मतदान प्रक्रिया के उलंघन के कारण मत देने की अनुमति नहीं दें, तो रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में इस आशय का नोट अंकित किया जायेगा और नोट के नीचे पीठासीन अधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर करेगा। मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1) में उस निर्वाचक या उतरवर्ती निर्वाचक की क्र.सं. में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

10. प्ररूप 14 में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सीलों का लेखा दोनों चुनावों के लिये पृथक–पृथक आप स्वयं सावधानी से भरें। पहले कोरे कागज पर सारा हिसाब मिला लें ओर बाद में फार्म भरें। इससे फार्म भी खराब नहीं होगा व हिसाब पूरा रहेगा। उम्मीदवार/इलेक्शन अभिकर्ता/पोलिंग अभिकर्ता यदि चाहे तो इसकी प्रमाणित प्रति भी उन्हें देवें।

11. अन्त में निर्धारित लिफाफों में कागज बन्द कर चिपका दें जिन्हे चपड़ी से सील करना हो, सील कर दें। इन लिफाफों पर दोनों चुनावों में जो जिस चुनाव से संबंधित है, वह उम्मीदवार/इलेक्शन अभिकर्ता/पोलिंग अभिकर्ता यदि चाहें तो अपने हस्ताक्षर कर सकते

हैं या सील लगा सकते है। यदि किसी फार्म में कोई सूचना नही भरनी है तो उस पर शब्द 'शून्य' लिख कर हस्ताक्षर कर लिफाफे में बन्द कर दें।

12. मतदान मशीन को सबके सामने सील करें ओर उस पर जो जिस चुनाव से संबंधित अभ्यर्थी/अभिकर्ता है अपनी सील लगाना चाहें तो लगाने देवें।

13. रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को मतदान मशीनों के दोनो सेट व अन्य सभी कागजात यथा निर्देशानुसार तैयार कर अच्छी तरह संभलायें।

14. यदि पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी को मतदाता की पहचान पर संदेह हो या मतदान केन्द्र पर उसके मत डालने के अधिकार पर संदेह हो और यदि किसी अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा चाहा जावे तो पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी अपनी संतुष्टि के लिए कि मतदाता सही व्यक्ति है, ऐसे मतदाता से प्रश्न पूछ सकता है।

15. नियम 45 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति मतदान बूथ पर अवचार करता है उसे मतदान केन्द्र से हटाने का अधिकार आपको है। पीठासीन अधिकारी के कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे मतदान अधिकारी के विधि पूर्ण आदेशों को यदि मतदान केन्द्र में मौजूद कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्ति को आप किसी भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेकर ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र से तुरन्त हटा सकते है और उसे पुनः प्रवेश से वर्जित कर सकते है।

16. मत देने का अधिकारः– राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18–ग के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वह वोट देने का हकदार है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज है तो वह पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्रा से अर्थात् प्रत्येक चुनाव में एक–एक बार ही अपना वोट दे सकेगा और यदि किसी भी चुनाव में वह एक से अधिक वोट देता है तो उस चुनाव में उसके सभी वोट निरस्त कर दिये जायेंगे। कानूनी प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी जेल या पुलिस अभिरक्षा में है तो वह वोट नहीं दे पायेगा।

17. मतदाता की पहचान हेतु दस्तावेजः– राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता की पहचान हेतु कुछ दस्तावेज अधिसूचित किये हैं, जिसके अनुसार मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करना होगा और इसे प्रस्ततु नहीं करने की स्थिति में विहीत किये गये वैकल्पिक फोटोयुक्त 19 दस्तावेजों में से कोई

एक दस्तावेज उसे अपनी पहचान स्थापित करने हेतु प्रस्तुत करना होगा। किसी मतदाता के परिवार के मुखिया की पहचान भी इनमें से किसी दस्तावेज से स्थापित हो जाती है, और परिवार के अन्य सदस्य के साथ कोई दस्तावेज नहीं है, तो परिवार के अन्य सदस्य की पहचान मुखिया की पहचान के आधार पर उसके साथ आने पर की जायेगी। इस विषय में आयोग की अधिसूचना **परिशिष्ट 13** पर देखें।

18. मतदान समाप्तिः— अन्य चुनावों की तरह मतदान की समाप्ति के लिये निर्धारित समय पर पीठासीन अधिकारी बाहर आकर जितने मतदाता पंक्ति में खड़े हैं उन्हें अपनी हस्ताक्षरित चिट दे दें, जिससे वे सब मतदान के लिये निर्धारित समय के बाद मतदान कर सकें। (नियम 46)

19. अपाहिज व अन्धे मतदाताओं की सहायताः— प्रत्येक बूथ के पीठासीन अधिकारी नियम 41—क के प्रावधानों के अनुसार अन्धे, व अपाहिज मतदाताओं को उनके निवेदन पर मत कक्ष में जाकर उनकी इच्छानुसार मत रिकार्ड कर देंगे। ऐसे मतदाताओं के विवरण लिखने हेतु कोई फार्म निर्धारित नहीं है, लेकिन नियमानुसार आप मतदाता सूची में उस मतदाता के नाम के सामने दो अक्षर ''अ अ'' लिख दें (नियम 41—क)।

20. मतदाता की पहचान को आक्षेपित (Challange) चैलेंज करनाः— पंचायत चुनावों में न तो कोई चैलेंज लिस्ट बनेगी और न ही कोई चैलेंज फीस होगी। मतदान बूथ में मतदाता की पहचान हेतु राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा 19 दस्तावेज अधिसूचित किये हैं। यदि वह व्यक्ति आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज अपनी पहचान हेतु नही दिखाता है और पीठासीन अधिकारी द्वारा या मतदान अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो उसे मत नहीं देने दिया जायेगा। मतदाता सूची में छपाई की गलती की वजह से मतदाता को मना नहीं किया जावे। यदि मतदाता की पहचान हो जावे तो उसे मत देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उसकी मतदाता के रूप में अयोग्यता के बारे में कोई ऐतराज नहीं उठाया जा सकता।

21. अल्प आयु के मतदाताओं से धोषणा प्राप्त करनाः— जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह कानूनन वोट देने का अधिकार रखता है किन्तु ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसकी आयु आप बहुत ही अल्प समझते हैं तो उसके दावे के प्रति आपको निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के सन्दर्भ में साफ—साफ समाधान हो जाना चाहिये। यदि आपको प्रथम दृष्ट्या उसकी पहचान और उसके नाम के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के

बारे में समाधान है किन्तु उसे न्यूनतम आयु से कम का मानते हैं तो आप उस निर्वाचक से, जनवरी के प्रथम दिन जिसके सन्दर्भ से निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई है उसकी आयु के सम्बन्ध में एक घोषणा **परिशिष्ट 10** में लेंगे। आप ऐसे निर्वाचक की घोषणा अभिप्राप्त करने से पूर्व उसे मिथ्या घोषणा के लिये राज. पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 18–क (**परिशिष्ट–3**) में विहित दण्डनीय प्रावधानों से अवगत करा दें। आप ऐसे मतदाताओं की भी सूची (**परिशिष्ट–11**) तैयार करें जिनसे आपने ऐसी घोषणाएं अभिप्राप्त की है। आपको उक्त परिशिष्ट 11 में उन मतदाताओं की जिन्होंने उपर्युक्त घोषणा करने से इन्कार कर दिया हो और बिना मतदान किये चले गये है एक सूची भी तैयार करनी चाहिये। मतदान की समाप्ति के पश्चात् उपर्युक्त उल्लिखित सूची और घोषणाएं लिफाफा नं पी. ई.–57 (पं.स./जि.प. सदस्य चुनाव के लिये) में रखनी है, जिन्हे सील नहीं किया जाये।

22. मतदाताओं के प्रवेश को विनियमित करना – निःशक्तजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को मतदान के लिये प्राथमिकताः– महिलाओं एवं पुरूष मतदाताओं की पृथक–पृथक पंक्तियां होनी चाहिये। एक बार में तीन या चार मतदाताओं को ही मतदान बूथ में महिला व पुरूष मतदाताओं की पंक्ति में से आने देवे। निःशक्तजन, बुजुर्गो एवं महिलाओं जिनके गोद में बच्चा हो, उन्हें पंक्ति में खड़े अन्य मतदाताओं से पहले प्रवेश की सुविधा देवे। विकलांग मतदाताओं को मतदान बूथ मे प्रवेश करने के लिए आवश्यक सहयोग भी करना चाहिए। निःशक्तजन, वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में प्राथमिकता देने के आशय के प्लेकार्ड सहजदृश्य स्थान पर लगावें।

(10) मतदान स्थगन/पुर्नमतदानः–

1. यदि आपको मतदान केन्द्र पर मतदान की कार्यवाही में खुले रूप से हिंसात्मक कार्यवाही द्वारा बाधा डाली जाये या कार्यवाही रोकी जावे या किसी दैवीय संकट के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान केन्द्र पर मतदान की कार्यवाही करना बिल्कुल असंभव हो जावे तब आप उस मतदान केन्द्र पर मतदान के आगे की कार्यवाही को स्थगित घोषित कर शीघ्रताशीघ्र संबंधित निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर दें। पब्लिक में यह भी घोषणा कर दें कि स्थगित मतदान की कार्यवाही के लिए आपको बाद में सूचित किया जावेगा। हल्की बरसात के छींटे या जोर की हवा या मामूली दंगे फसाद मतदान की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। जब इस प्रकार आप द्वारा मतदान की कार्यवाही स्थगित कर दी जावे तो प्रयोग में लाई गई मतदान मशीन निर्वाचक

नामावली की चिन्हित प्रति एवं मतदाता रजिस्टर इत्यादी महत्वपूर्ण कागजों को उम्मीदवार या उसके इलेक्शन अभिकर्ता या पोलिंग अभिकर्ता के सामने सीलबन्द कर दिया जावे जैसे कि मतदान का कार्य सामान्य रूप से समाप्त हो। उम्मीदवार, उसके इलेक्शन अभिकर्ता या पोलिंग अभिकर्ता यदि चाहे तो अपनी सील उक्त मशीन व उक्त कागजों के लिफाफों पर लगा सकते है। (नियम 48 सपठित नियम 58)

2. जहां किसी मतदान बूथ पर मतदान स्थगन किया गया है वहीं मतदान जिस स्तर पर स्थगित करते समय छोडा गया था उससे आगे आयोग द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर पुनः प्रारंभ कराया जायेगा और जिन मतदाताओं ने स्थगन से पूर्व मत नहीं दिया था, वे अपना मत दे सकेगें। पीठासीन अधिकारी स्थगित मतदान को पूरा करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी से निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति व मतदाता रजिस्टर का सीलबन्द पैकिट प्राप्त करेगा तथा नयी मतदान मशीन को उपयोग में लायेगा। स्थगित मतदान की प्रक्रिया के संबंध में नियम के प्रावधान वेसे ही लागू होंगे जैसे मूल मतदान में होते है।

3. किसी मतदान केन्द्र पर बूथ कैप्चरिंग हो जाये या यहां पर उपयोग में ली गई कोई मतदान मशीन पीठासीन अधिकारी को अभिरक्षा से विधि विरूद्ध ले जायी जाने पर या घटनावश या जान–बूझकर नष्ट कर दिये जाने पर या खो जाने पर या इस हद तक क्षतिग्रस्त या बिगाड़ दिये जाने पर कि उस मतदान बूथ में मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता या मतदान में प्रक्रिया संबंधी कोई ऐसी गलती/अनियमितता, जिससे मतदान दूषित होना संभाव्य हो, हो जाती है या मतदान मशीन में खराबी आने से, मतदान संभव नहीं रहता तो ऐसी स्थिति की रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को करेगा तथा अपनी डायरी में भी विवरण अंकित करेगा। (नियम 48 क एवं नियम 48 ख) बूथ कैप्चर के मामले में वह तुरन्त क्लोज बटन दबाकर मशीन बन्द कर देगा और यूनिटों को पृथक कर देगा।

4. आयोग जहां पुनर्मतदान का आदेश देता है, तो मतदान की वही रीति होगी जो मूल मतदान में थी और यहां सारे मतदाता पुनः मतदान में मत देने के हकदार होंगे लेकिन पुनर्मतदान में अमिट स्याही बांयी मध्यमा पर लगायी जायेगी।

(11) मतदान पश्चात मशीनों/ निर्वाचन कागजात को सीलबन्द करना/तैयार करना/जमा कराना:–

1. आपको यथानिर्दिष्ट समस्त फार्म, इत्यादि संबंधित लिफाफों में रखना, चिपकाना व सीलबन्द करना हैं वही लिफाफे चपड़ी से सीलबन्द करें जिन्हें कि आपको सीलबन्द करना है और

जिनके लिए सूची/चार्ट में ऐसा करना बताया गया है। सभी लिफाफे चपड़ी से सील नहीं होंगे व चपड़ी अनावश्यक खराब नहीं करे।

2. यदि एक ही मतदान दल द्वारा चारों चुनाव अलग–अलग दिनों में होते हैं, यानि पंचायत समिति/ जिला परिषद सदस्य का मतदान कराने के बाद उसी मतदान दल को पंचायत मुख्यालय पर ठहरकर अगले दिनों में पंच/सरपंच का भी मतदान कराना है तो पंचायत समिति/जिला परिषद चुनाव के लिये कराये गये मतदान की वोटिंग मशीनें व निर्वाचन कागजात मतदान के समय पश्चात सीलबन्द/ तैयार कर जिला मुख्यालय पर पहुंचाने की व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

3. मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सकें वह कागज पत्रों और लिफाफों को तैयार कर लेवें। उपस्थित उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में प्रयोग में लाई गई वोटिंग मशीनों व निर्वाचन कागजात को सील करेगा और अपनी मोहर लगायेगा। इसके अतिरिक्त नियम 47–क के उप नियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत वह लिफाफे तैयार कर उन्हें मोहरबंद करेगा। चूंकि मतदाता रजिस्टर तथा चिन्हित मतदाता सूचि एक ही काम ली गई है, अतः दोनों चुनावों का इनका लिफाफा एक–एक ही होगा जिसके उपर दोनों चुनावों का विवरण दर्ज होगा। निविदत् मतपत्र व निविदत् मतों की सूची के सीलबंद लिफाफे दोनों चुनावों के अलग–अलग होंगे। नियम 47–क के उपनियम (1) के खण्ड (ड.) में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्रों को भी मुहरबंद करने का उल्लेख है किन्तु इन चुनावों में केवल डाक मतपत्र की रीति ही विहित की गयी है अतः निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। इन चुनावों के नियमों में मतदाता की पहचान को आक्षेपित करने या चैलेंज फीस वसूल करने की रीति विहित नहीं है और ना ही चुनौती मतों की सूची विहित है। अतः इन चुनावों में यह सूची भी नहीं बनेगी।

4. नियम 47–ख में बताये गये मोहरबन्द लिफाफों के अतिरिक्त पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन में आयोग द्वारा यह भी निर्देश है कि प्रयुक्त मतदाता पर्चियों एवं अप्रयुक्त निविदत् मतपत्र को भी सीलबंद पैकेट में रखा जावे। अतः इन्हे भी सीलबंद पृथक–पृथक लिफाफों में रखना है।

5. उपर्युक्त सीलबंद लिफाफों के अलावा निम्नांकित लिफाफे और तैयार होंगे जो सीलबंद नहीं करने हैः–

(i) महिला–पुरूष वार व अन्य के रूप में अंकित मतदाताओं का सांख्यिकीय आंकड़ो का लिफाफा पी–2 (जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य दोनों के लिए एक),

(ii) रिकार्ड किये गये मतों व पेपर सीलों का लेखा फार्म (पंचायत समिति सदस्य के लिए पृथक (पी. ई.–53) तथा जिला परिषद् के सदस्य के लिये पृथक (पी. ई.–54)। उक्त फार्म दो–दो प्रतियों में तैयार होंगे, जिनमें से एक–एक लिफाफा नं. पी. ई.–53 एवं पी. ई.–54 में रखें जायेंगे और एक–एक फार्म पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ लिफाफा नं. पी. ई.–52 में रखा जायेगा।

(iii) पीठासीन अधिकारी की घोषणा पंचायत समिति सदस्य के लिए लिफाफा नं. पी. ई. –55 तथा जिला परिषद् सदस्य के लिए लिफाफा नं. पी. ई.–56 में रखी जायेगी।

(iv) पीठासीन अधिकारी की डायरी पी. ई.–52 (दोनो चुनावों की एक)

(v) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व सूची, अप्रयुक्त मतदाता सूचियां, चिन्हित मतदाता सूची से भिन्न मतदाता सूचियां आदि विविध कागजात दोनों चुनावों के लिए एक ही लिफाफे पी. ई.–57 में रखें जायेगें।

6. लिफाफे जो सीलबंद या बिना सील किये हुये जमा कराने होगे, उनका विवरण **परिशिष्ट–12** पर और अध्याय–12 में दिया गया है।

अध्याय–4

मतदान दल के सदस्यों का कार्य विभाजन

मतदान के सफल व सुचारू संचालन के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए मतदान दल का कौनसा सदस्य क्या कार्य करेगा। जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य दोनों के लिये साथ–साथ मतदान होने पर एक मतदान दल में पीठासीन अधिकारी की सहायतार्थ चार मतदान अधिकारी होंगे। मतदान दल के सदस्यों द्वारा जो कार्य किये जाने है उनका वर्णन आगे विस्तार से किया गया है और मुख्य–मुख्य कार्य बिन्दु इस अध्याय में बताये जा रहे हैः–

प्रथम मतदान अधिकारीः–

1. यह चिन्हित मतदाता सूची का प्रभारी होगा और मतदाता की पहचानकरने के लिए उत्तरदायी होगा।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विर्निदिष्ट फोटो दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान के साथ–साथ यह अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है।
3. इसके पास निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति होगी जिसमें वे नाम काटे हुए होगे जिनके नाम हटाये गये नामों की सूची में अंकित है। नाम काटे जाने के कारण मूल सूची के मतदाताओं की प्रविष्टियों की छपी हुई क्रम संख्या में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। शुद्धियों की सूची के आधार पर पहले से ही शुद्धि की हुई होगी। जिससे प्रत्येक प्रविष्टी का सही विवरण तुरन्त मिल जाए व मतदान में किसी प्रकार की देरी ना हो।
4. पहचान हो जाने पर यह अधिकारी मतदाता की प्रविष्टी के समस्त विवरण को जोर से बोलेगा जिससे द्वितीय मतदान अधिकारी और पीछे बैठे हुए पोलिंग अभिकर्ता सुन सके। पोलिंग अभिकर्ता इसी वक्त चाहें तो पहचान बाबत् एतराज उठा सकते है।
5. पहचान हो जाने के तुरन्त बाद यह अधिकारी प्रत्येक ऐसे मतदाता के नाम के नीचे लाईन (Underline) खींच देगा और यदि मतदाता महिला है तो महिला मतदाता के नाम के बांये तरफ टिक (✓) भी लगायेगा तथा मतदाता सूची में अन्य के रूप में अंकित है तो उसके नाम के बांयी तरफ स्टार (*) का चिन्ह लगायेगा। जिससे मतदान के अंत में गिनकर पता लगाया जा सके कि कुल कितने पुरूष मतदाताओं में मत दिये व कितने स्त्री मतदाताओं तथा कितने अन्य के रूप में अंकित मतदाताओं ने मत दिये। स्थिति का परिणाम पीठासीन

अधिकारी की डायरी में अभिलिखित किया जायेगा। जिस मतदाता की पहचान भारत निर्वाचन आयोग से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र से की जावे उसके नाम के आगे 'E' शब्द लिखे तथा जिसकी पहचान अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर की जावे तो उसके नाम के आगे 'D' शब्द लिखा जावे। दृष्टिहीन मतदाताओं के मामले में मतदाता की क्रम संख्या पर गोला 0 भी लगा दें। और ''अ आ'' भी अंकित कर दें। उक्त प्रकार के अंकनों के आधार पर स्थिति का परिणाम गिनकर पता लगा लें जिसे पीठासीन अधिकारी की डायरी में अंकित किया जाए।

6. साधारणतया प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों के खेंमों से पहचान पर्ची लाते हैं, जिसकी सहायता से पहला मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में उसका नाम ढूंढता है, पर यदि कोई मतदाता अपने साथ ऐसी पर्ची नहीं भी लाये तो भी इस मतदान अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे मतदाता का नाम ढूंढे तथा पर्ची न होने के कारण मतदाता को नही लौटाये। कानून के अनुसार पर्ची लाना आवश्यक नहीं है।

नोटः— पहचान पर्ची सफेद कागज पर मुद्रित हो सकती है और जिस पर केवल निम्न विवरण छपाये जा सकते हैः—

(i) जिला परिषद या पंचायत समिति का नाम व निर्वाचन क्षेत्र संख्या।

(ii) मतदान केन्द्र की संख्या व नाम।

(iii) मतदाता का नाम।

(iv) मतदाता सूची में मतदाता का वार्ड संख्या और क्रम संख्या

इस पर उम्मीदवार का नाम व चुनाव चिन्ह छापना कानूनी अपराध है। पहचान स्थापित हो जाने के बाद पहचान पर्ची को फाडकर कूडेदान की टोकरी में डाले, फर्श पर नहीं फेंकें।

7. मतदान केन्द्र पर बैठे पोलिंग अभिकर्ता/उम्मीदवार/इलैक्शन अभिकर्ता यदि चाहे तो इस स्टेज पर किसी मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकते है।

8. चुनौती दिये जाने के बाद पीठासीन अधिकारी निर्णय करेगा।

9. पहचान स्थापित हो जाने के बाद मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास चला जायेगा।

(2) द्वितीय मतदान अधिकारीः—

1. द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर, अमिट स्याही और मतदाता पर्चियों का प्रभारी होगा। इसके पास निम्नांकित सामग्री होगीः—

(i) अमिट स्याही की शीशी।

(ii) मतदाता रजिस्टर।

(iii) निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रति।

(iv) बाल पैन।

(v) स्टैम्प पैड।

(vi) गीले कपडे का टुकडा।

(vii) मतदाता पर्चियॉ दो प्रकार की होगी –

 (a) जिला परिषद के लिये पीले (Yellow)रंग की,

 (b) पंचायत समिति सदस्य के लिये नीले (Blue)रंग की

2. जैसे ही प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक का वार्ड संख्याक तथा क्रम संख्यांक उंची आवाज से बोलता है, उसी समय द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता की बांयी तर्जनी को देखेगा कि उस पर अमिट स्याही का निशान तो नहीं है। तत्पश्चात् अमिट स्याही मतदाता की बांयी हाथ की तर्जनी (अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली) पर नख के बिल्कुल उपर ही कोमल चमडी पर और नख को छूते हुए लगाई जानी है। यह ध्यान रखे कि मतदाता की बांयी दर्जनी पर अमिट स्याही लगाते समय राड से अधिक स्याही न लगाये। केवल राड के उपरी भाग को स्याही में डुबोये इससे अधिक स्याही लेने से बचा, जा सकता है। प्लास्टिक की राड को स्याही में डुबोने के बाद उसे इस तरह से लगाये कि त्वचा व नख के बीच रिज के उपर भी फैल जाय और अंगुली पर निशान रह जाय। यह सुनिश्चित कर लें कि स्याही लगाते समय मतदाता की तर्जनी सीधी है और स्याही लगाने के तत्काल बाद कम से कम 30 सैकेण्ड तक इसे रगडने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि किसी मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी नहीं है, तो किसी भी ऐसी अंगुली जो उसके बांय हाथ की है पर अमिट स्याही लगाये। यदि किसी के बांये हाथ में कोई अंगुली नहीं है तो उसके दायें हाथ की तर्जनी पर और यदि दांये हाथ की दर्जनी भी नहीं है तो उसकी तर्जनी से शुरू होने वाली किसी भी अंगुली पर लगा दें। यदि उसके किसी भी हाथ में कोईं भी अंगुली नहीं है तो उसके बांये हाथ या दांये हाथ जो भी हो के छोर पर स्याही लगानी चाहिए (नियम 38–क) यदि किसी मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी पर पहले से ही ऐसा चिन्ह विद्यमान है तो वहां यह समझा जावेगा कि उसने निर्वाचन में पहले ही अपना मत दे दिया है और उसे कोई मत नहीं देने दिया जावेगा। साथ ही किसी मतदाता को कोई मत तब तक नहीं

देने दिया जायेगा जब तक व अपनी बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही से चिन्ह नहीं लगवाये। (नियम 38–क) महिला मतदाता की अंगुली नहीं छूनी है।

3. पुनर्मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगे निशान पर ध्यान नहीं दिया जायेगा और मतदाता के बांये हाथ के बीच की अंगुली (Middle Finger) के नाखून की जड में अमिट स्याही का ताजा निशान लगाया जायेगा।

4. उपर्युक्त रीति से मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी ऐसे मतदाताओं की प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में करेगा और मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठा उक्त रजिस्टर में करायेगा। मतदाता रजिस्टर के प्रथम कालम में निरन्तर क्रम संख्या लिखी जायेगी जो क्रम संख्या–1 से प्रारंभ होगी। रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ट में 15 क्रम संख्याये रखे जाने का प्रावधान रखा गया हैं और मतदान अधिकारी को चाहिए कि कुछ पृष्ठों पर इस कालम में अग्रिम रूप से क्रम संख्याये अंकित कर लें। रजिस्टर के दूसरे कालम में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में मतदाता की जो क्रम संख्या अंकित है वह लिखी जायेगी। उदाहरण स्वरूप मतदान प्रारम्भ होने पर प्रथम क्रम पर आने वाले मतदाता को निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या 518 पर दर्ज है के लिये मतदाता रजिस्टर के कालम (1) में क्रम संख्या–1 पर दर्ज होगी तथा दूसरे कालम में क्रम संख्या 518 दर्ज होगी। दूसरे क्रम पर आने वाले मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में क्रम संख्या 313 पर है तो रजिस्टर के प्रथम कालम में क्रम संख्या–2 और द्वितीय कालम में क्रम संख्या 313 दर्ज होगी और इसी प्रकार प्रविष्टियां रजिस्टर में होती रहेगी।

5. मतदाता की पहचान किसी फोटो युक्त दस्तावेज, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रयोजनार्थ विर्निदिष्ठ किये है से की जानी है। अतः ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अन्तिम चार डिजिट (Digit) मतदाता रजिस्टर के अभ्युक्ति (Remark) कालम में लिखे जायेंगे।

6. मतदाता रजिस्टर में प्रथम, द्वितीय तथा अभियुक्ति कालम की पूर्ति हो जाने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी रजिस्टर के तीसरे कालम में (प्रथम व द्वितीय कालम में उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के सम्मुख) प्राप्त करेगा।

7. जब मतदान अधिकारी मतदाता के हस्ताक्षर कराये तो मतदाता से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पूरे हस्ताक्षर करे अर्थात वह पूरा नाम (अर्थात नाम और उपनाम पूरा) लिखें या फिर नाम के सांकेतिक अक्षरों के साथ पूराउप नाम लिखें। यदि कोई मतदाता जो साक्षर है

हस्ताक्षर स्वरूप मात्र एक निशान लगाता है और यह तर्क दे कि यही उसके हस्ताक्षर है तो उस मतदाता का अंगूठा निशानी लेने चाहिए क्योंकि साक्षर व्यक्ति के मामले में हस्ताक्षर का आशय यह है कि जिस दस्तावेज पर अधि–प्रमाणन स्वरूप वह अपने दस्तखत करता है तो उसे अपना पूरा नाम दर्शित करते हुए ही दस्तखत करने चाहिये। यदि साक्षर व्यक्ति उपर्युक्त रीति से अपेक्षा अनुसार हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसका अंगूठा निशानी लेना चाहिए और अंगूठा निशानी भी नहीं करता है तो उसे वोट देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

8. यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाता रजिस्टर में उसके बांये हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिये। अंगूठा निशानी को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नही है। अंगूठा निशानी स्पष्ठ होनी चाहिये न तो निशान हल्का होना चाहिये और न ही अधिक स्याही का। अंगूठा निशानी लेने के उपरान्त अंगूठे पर लगी स्याही को गीले कपडे के टुकडे से मिटा देना चाहिये।

9. मतदाता यदि अंगूठा निशानी लगाता है तो बायें अंगूठे की छाप लगायी जावेगी। दोनों ही अंगूठे नहीं होने के मामले में बायें हाथ की किसी भी अंगुली जो तर्जनी से प्रारम्भ हो की छाप लगायी जायेगी। रजिस्टर में इस आशय का अंकन कॉलम 4 में लिया जायेगा।

10. मतदाता की अंगुली के निशान लगाने और मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि कर उसके हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी प्राप्त कर लेने के पश्चात मतदान अधिकारी उस मतदाता के लिये पंचायत समिति सदस्य चुनाव एवं जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए दो अलग–अलग मतदाता पर्ची भी तैयार करेगा। मतदाता पर्ची का निम्नांकित प्रारूप होगाः–

    1. मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1) के अनुसार क्र.स.
    2. निर्वाचक नामावली में मतदाता की क्रम संख्या
    3. मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर

    ये मतदाता पर्ची दोनों चुनावों की अलग–अलग रंगों में होगी, जो मतदान सामग्री के साथ आपको 50–50 के बण्डलों में दी जायेगी।

    मतदाता पर्ची तैयार कर द्वितीय मतदान अधिकारी इसे मतदाता को दे देगा ओर उसे तीसरे मतदान अधिकारी जो जिला परिषद सदस्य चुनाव की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी है के पास भेज देगा। जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिये दी गयी पर्ची (पीले रंग में) तृतीय मतदान अधिकारी को एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव वाली पर्ची (पीले रंग में) चतुर्थ मतदान अधिकारी को मतदान से पूर्व सौपी जायेगी।

(3) तृतीय मतदान अधिकारी

1. तृतीय मतदान अधिकारी जिला परिषद सदस्य चुनाव की मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा।

2. यह मतदान अधिकारी मतदाता को पीले रंग की मतदाता पर्ची, जो द्वितीय मतदान अधिकारी ने जारी की है को अपने पास सुरक्षित रखेगा और नीले (Blue)रंग की मतदाता पर्ची जो पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये है, उसे मतदाता के पास ही छोडेगा। वह पीले रंग की मतदाता पर्ची के आधार पर ही मत रिकार्ड करने के लिये जिला परिषद सदस्य चुनाव के मतदान कक्ष (वोटिंग कम्पार्टमेंट) में जाने की अनुंमति देगा जहॉ जिला परिषद सदस्य वाली बैलेट यूनिट होगी। मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने से पहले यह भी देखा जायेगा कि मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान स्पष्ट है।

3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में मतदान कक्ष में मतदान को जाने की अनुमति दी गई है। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस क्रम का अनुपालन किसी मतदाता के मामले में नही हो पाता है तो जिस क्रम में मतदाता ने अपना वोट रिकार्ड किया है सही क्रम की मतदाता रजिस्टर के कालम (4) मे टिप्पणी कर दी जायेगी ओर ऐसी ही समुचित प्रविष्टियां बाद के मतदाताओं जिनका भी क्रम प्रभावित हो गया है के सम्बन्ध में की जायेगी।

4. मतदाता अपना मत रिकार्ड करने हेतु दोनों प्रकार की मतदाता पर्ची द्वितीय मतदान अधिकारी से लायेगा तो उन मतदान पर्चियों को में से पीले रंग वाली (जिला परिषद सदस्य चुनाव) तृतीय मतदान अधिकारी अपने पास एक पृथक लिफाफे में रख लेगा। यह लिफाफा (पी. ई.–45) मतदान समाप्ति के बाद सील कर दिया जायेगा।

5. जब मतदाता अपना मत रिकार्ड करने के लिये जिला परिषद सदस्य वाले मतदान कक्ष में जायेगा तो मतदान कक्ष में रखी हुई मतदान यूनिट को क्रियाशील करने के लिये मतदान अधिकारी नियंत्रण यूनिट (जिला परिषद सदस्य चुनाव वाली) के बैलेट (Ballot) बटन को दबायेगा। जैसे ही बैलेट बटन दबेगा तो नियंत्रण यूनिट में लगी हुई "Busy" बत्ती लाल हो जायेगी और इसके साथ ही मतदान यूनिट में "Ready" बत्ती हरी हो जायेगी।

6. मतदान कक्ष में स्थपित मतदान यूनिट में मतदाता जब अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चुनाव चिन्ह के सामने नीले बटन को दबायेगा तब उम्मीदवार के सामने की बत्ती

(Lamp) लाल दिखने लग जायेगी और मतदान यूनिट के उपर हरी बत्ती बुझ जायेगी। इसके अतिरिक्त इसी के साथ नियंत्रण यूनिट में बीप की आवाज भी सुनाई देगी। थोड़े ही सेकिण्डों में बीप की आवाज समाप्त हो जायेगी और मतदान यूनिट में उम्मीदवार की लाल बत्ती बुझ जायेगी साथ ही नियंत्रण यूनिट में "Busy" की लाल बत्ती भी बुझ जोयगी। इन बत्तीयों के बुझने और बीप की आवाज समाप्त होने से यह पता हो जायेगा कि मतदाता ने अपना मत रिकार्ड कर दिया है। इसके बाद मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जायेगा ओर चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास जायेगा।

(4) चतुर्थ मतदान अधिकारीः–

1. यह पंचायत समिति सदस्य चुनाव की मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।
2. जिला परिषद सदस्य के लिये मतदान करने के पश्चात् मतदाता चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास आयेगा। चतुर्थ मतदान अधिकारी मतदाता को जारी की हुई नीले रंग की मतदाता पर्ची (पंचायत समिति सदस्य चुनाव वाली) मतदाता से लेकर अपने पास एक पृथक लिफाफे में सुरक्षित रख लेगा और क्रम से रखेगा। मतदान के अन्त में ये पर्चियां पृथक सीलबन्द लिफाफे (लिफाफा नम्बर पी. ई.–44) में सील बन्द की जायेगी।
3. चतुर्थ मतदान अधिकारी पूर्वोक्त तृतीय मतदान अधिकारी के निर्धारित दायित्व भी पूर्ण करेगा।
4. पंचायत समिति सदस्य के लिये मतदान करने के तुरन्त बाद मतदाता मतदान केन्द्र छोड देगा।
5. प्रत्येक मतदाता के मत रिकार्ड करने के लिये यह प्रक्रिया चलती रहेगी। किसी भी समय मतदान कक्ष में एक से अधिक मतदाता को जाने नही दिया जावेगा ओर जब तक पहले वाला मतदाता मतदान कक्ष से बाहर नही आये तब तक नियंत्रण यूनिट का "Ballot " बटन नहीं दबाया जायेगा।
6. मतदान के बीच किसी भी समय रिकार्ड किये गये मतों की संख्या की जानकारी लेने के लिये नियंत्रण यूनिट के "Total" बटन को दबा कर यह संख्या ज्ञात की जा सकती है और मतदाता रजिस्टर की प्रविष्टियों से मिलान किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी सुसंगत प्रविष्टियों करने के लिये पीठासीन अधिकारी को समय–समय पर रिकार्ड किये गये मतपत्र की संख्या को ज्ञात करना चाहिये। "Total" बटन तभी दबाना चाहिये जब नियंत्रण यूनिट की "Busy" बत्ती जली हुई नहीं हो।

अध्याय–5
मतदान मशीन को तैयार करना और मशीन के उपयोग की प्रक्रिया
मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व मतदान मशीन को तैयार करना–

(1) दोनों चुनाव साथ होने पर मशीनों की पहचान बाबत् :–

1. जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिये साथ–साथ मतदान होने पर वोटिंग मशीन के पृथक–पृथक दो सैट होगें अर्थात् कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट का एक सैट जिला परिषद सदस्य के लिये और कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट का एक पृथक सैट पंचायत समिति सदस्य के लिये होगा।

2. दोनो सेटों की कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट परस्पर मिल नहीं जायें, इसके लिये विशेष सावधानी रखनी है। आपकी सुविधा के लिये जिला परिषद सदस्य वाली कन्ट्रोल यूनिट व इसके कैरिगं बक्से पर पहचान स्टिकर (3x6 सेमी) पीले रंग के चिपके हुये होंगें, तथा बैलेट यूनिट के कैरिग बक्से पर भी पीले रंग का पहचान स्टिकर (3x6 सेमी) चिपका होगा। पीले रंग का मतपत्र बैलेट यूनिट के स्क्रीन में लगा हुआ होगा। तथा एड्रैस टैग भी जिला परिषद सदस्य की मशीनों पर पीले रंग के होंगें। पंचायत समिति सदस्य वाली मशीनों पर उपर्युक्त स्टिकर, एड्रैस टैग और मतपत्र नीले रंग के होंगें। इन सबका प्रयोजन यह है कि कन्ट्रोल यूनिटें एवं बैलेट यूनिटें दूसरे चुनाव की कंट्रोल युनिट या बैलेट यूनिटों में परस्पर मिल नहीं जायें।

(2) मतदान के पूर्व की तैयारीः–

1. किसी मतदान केन्द्र पर मतदान मशीन का वास्तविक उपयोग किये जाने के पूर्व, पीठासीन अधिकारियों के स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के साथ–साथ कुछ तैयारियां मतदान बूथ पर की जानी आवश्यक है जो अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में की जानी है। आपको इन प्रारम्भिक तैयारियों की शुरूआत मतदान प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से लगभग एक घंटा पूर्व कर देनी चाहिए। यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित न हो तो आपको मतदान अभिकर्ता की इंतजारी तक तैयारियों को स्थगित नहीं करना चाहिए और यदि कोई मतदान अभिकर्ता देर से आये तो तैयारियां पुनः शुरू नहीं करनी चाहिए।

2. **मतदान यूनिट की तैयारियांः–** मतदान यूनिट रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर पहले से ही पूरी तरह से सम्यक् रूप से तैयार की हुयी है और मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर इस यूनिट की कोई और तैयारी किया जाना अपेक्षित नहीं है सिवाय इसके कि इसकी परस्पर संबद्ध केबल नियंत्रण यूनिट के प्लग में लगानी है। मतदान केन्द्र के लिए रवाना होने के

पूर्व अन्य मतदान सामग्री के साथ मतदान मशीन लेते समय, आपको इस अध्याय के पूर्वोक्त के पेरा (1) के अनुसार जांच करनी है कि मशीनें वही हैं जो आपको दी जानी हैं साथ ही यह भी यदि आपके वार्ड में उम्मीदवारों की संख्या नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) के विकल्प सहित 16 से अधिक है तो यह भी जांच करनी है कि आपको अपेक्षित संख्या में मतदान यूनिटें उपलब्ध करायी गयी है। ऐसी प्रत्येक यूनिट पर मतपत्र स्क्रीन के अन्द उचित रूप से लगाये और पंक्तिबद्ध किये गये है। प्रत्येक यूनिट पर स्लाइड स्विच समुचित स्थिति में सैट किया गया है ओर प्रत्येक यूनिट सम्यक् रूप से सील की गयी है तथा सबसे उपर दायें भाग और नीचे के दायें भाग, दोनों पर एड्रेस टैग लगे है।

3. **मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट का परस्पर संयोजनः–** (i) जहां लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) के विकल्प सहित 16 से अधिक है, वहां एक से अधिक, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मतदान यूनिटें प्रयुक्त की जायेंगी। किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की जाने वाल ऐसी समस्त मतदान यूनिटें परस्पर जुड़ी हुयी होंगी और केवल पहली मतदान यूनिट नियंत्रण यूनिट से संबद्ध होगी। मतदान यूनिट इस प्रकार संबद्ध होगी कि द्वितीय मतदान यूनिट अर्थात मतदान यूनिट जिसमें स्लाइट स्विच 2 स्थिति पर सैट किया हुआ है, पहली मतदान यूनिट जिसमें स्लाइड स्विच 1 की स्थिति पर सैट किया हुआ है से सम्बद्ध होगी। तीसरी दूसरी से और इसी प्रकार आगे भी। मशीनों के संयोजन में यह सावधानी भी रखनी होगी कि जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य की मशीनें आपस में जोडी नहीं जायें।

(ii) किसी मतदान यूनिट को दूसरी से जोड़ने के लिए मतदान यूनिट के नीचे के भाग में उपलब्ध एक कक्ष में एक सॉकेट है। दूसरी मतदान यूनिट के सम्बद्ध केबल का कनेक्टर, पहली मतदान यूनिट के उपर उल्लिखित सॉकेट के प्लग में लगाया जायेगा। इसी तरह, तीसरी मतदान यूनिट के परस्पर सम्बद्ध केबल का कनेक्टर दूसरी यूनिट के प्लग में लगाया जायेगा और चौथी यूनिट का तीसरी यूनिट में। तत्पश्चात् पहली मतदान यूनिट के केबल को नियंत्रण यूनिट से प्लग किया जायेगा। नियंत्रण यूनिट का सॉकेट, जिसमें मतदान युनिट का सम्बद्ध केबल प्लग किया जायेगा, नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में उपलब्ध है।

(iii) नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में 'पावर' स्विच भी है और जब इस स्विच को 'ऑन' स्थिति में किया जाता है तो मतदान मशीन की बैटरी क्रियाशील हो जाती है और नियंत्रण यूनिट और समस्त मतदान यूनिटों को, जब उपर वर्णित रीति से नियंत्रण यूनिट से जोडा जाये, बिजली का प्रदाय करती है।

4. यूनिटों के परस्पर संयोजन में विशेष सावधानियां:– (i) पर्वोक्त पैरा (1) का ध्यान रखें।

(ii) जब एक से अधिक मतदान यूनिटें उपयोग में लायी जा रही हों, तब उन्हें उपर पैरा में यथा–उल्लिखित उचित अनुक्रमिक रूप से परस्पर सम्बद्ध करना चाहिये। मतदान यूनिटों को गलत प्रकार से जोड़ने से मशीन अक्रियाशील हो जायेगी और नियंत्रण यूनिट के किसी बटन को दबाने पर नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन पैनल पर सम्बद्ध गलती उपदर्शित करते हुए अक्षर 'एल ई' (Link Error) दिखाई देंगे। सम्बद्ध गलती को दूर करने के लिए मतदान यूनिटों को उचित अनुक्रमिक रूप से परस्पर सम्बद्ध करना चाहिये।

(iii) परस्पर केबल का कनेक्टर, जिसका एक सिरा मतदान यूनिट से जुड़ा हुआ है, एक मल्टी–पिन कनेक्टर है। कनेक्टर, अन्य मतदान यूनिट या नियंत्रण यूनिट के सॉकेट में केवल एक रास्ते से ही जाता है जिसका पिनों के दिवस्थापन (Orientation) और कनेक्टर के हुड पर लिखे या उत्कीर्ण शब्द 'टॉप' (Top) को देखकर, आसानी से पता लगाया जा सकता है। कनेक्टर की पिनें बहुत नाजुक होती है और कनेक्टर को सॉकेट में इतनी जोर से नहीं डलना चाहिये जिससे पिन क्षतिग्रस्त या मुड़ जाये। मशीन केवल तब ही कार्य करेगी जब कनेक्शन उचित रूप से किया जायेगा।

(iv) परस्पर सम्बद्ध केबल के कनेक्टर का, नियंत्रण यूनिट से या अन्य मतदान यूनिट से सम्बन्ध विच्छेद केबल कनेक्टर हुड के दोनों तरफ से स्प्रिंग आकार के क्लिपों की निर्मुक्त (Release) होगें जब एक साथ आन्तरिक रूप से दबाये जायें और स्प्रिंग टाईप क्लिप को ऐसे ही दबायें रखते हुए कनेक्टर को तब खींचा जाना चाहिये।

(v) मतदान यूनिटों और नियंत्रण यूनिट उचित रूप से जोड़ने या अलग करने के लिए आपके लिए कुछ अभ्यास अपेक्षित है ताकि मशीन को क्षति होने से बचाया जाये।

(3) नियंत्रण यूनिट की तैयारी:–

1. **नियंत्रण यूनिट की जांच:–** मतदान केन्द्र के लिए रवाना होने से पहले वितरण केन्द्र पर नियंत्रण यूनिट की डिलिवरी लेते समय, आपको **<u>अध्याय–3 के पैरा (4)</u>** में यथा–उल्लिखित नियंत्रण यूनिट की जांचें करनी है। आपने पहले ही जांच कर ली होगी कि नियंत्रण यूनिट का 'कैंड सैट सेक्शन' सम्यक् रूप से सील किया हुआ है और एड्रेस टैग इसके साथ मजबूती से लगे है और कि उस भाग में लगी बैटरी पूर्णतः क्रियाशील है।

2. **नियंत्रण यूनिट की तैयारी:–** मतदान केन्द्र पर किसी नियंत्रण यूनिट को उपयोग में लेने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर , बैटरी लगाने के लिए और लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या व्यवस्थापन के लिए उसमें की गयी तैयारियों के अतिरिक्त मतदान केन्द्र पर कुछ

और तैयारियां करनी आवश्यक है। पीठासीन अधिकारी द्वारा नियंत्रण यूनिट पर की जाने वाली तैयारियां निम्न प्रकार से है–

(a) नियंत्रण यूनिट को मतदान यूनिट या जहां एक से अधिक मतदान यूनिटें उपयोग मे लायी जानी हों वहां प्रथम मतदान यूनिट से परस्पर सम्बद्ध करने,

(b) पावर स्विच की 'ऑन' स्थिति में करने,

(c) उपर (a) व (b) पर किये गये कृत्यों के पालन के पश्चात् पिछले कक्ष को बन्द करने,

(d) दिखावटी मतदान (Mock-Poll) का संचालन करने,

(e) दिखावटी मतदान के पश्चात् मशीन को क्लीयर करना और समस्त गणनाओं को 'जीरो' पर सैट करने,

(f) परिणाम सेक्शन के आन्तरिक कक्ष को सुरक्षित करने के लिए पिंक पेपर सील (सीलें) लगाने,

(g) परिणाम सेक्शन के अन्दरूनी दरवाजे को बंद करके सील लगाना और इस पर स्पेशल टैग लगाना, और

(h) परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द करना और सील लगाना।

3. **नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट का जोड़ना :–** मतदान यूनिट या प्रथम मतदान यूनिट, जहां एक से अधिक मतदान यूनिट प्रयुक्त की जा रही है, की परम्परा सम्बद्ध केबल के प्लग को नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध साकिट में डालना चाहिये। नियंत्रण यूनिट को मतदान यूनिट से सम्बद्ध करते समय आपको पूर्वोक्त आवश्यक सावधानी अपनानी चाहिये।

4. **बिजली ''आन'' करना :–** मतदान मशीन बैट्री से कार्य करती है जो रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर नियंत्रण युनिट के ''कैड सेट सेक्शन'' में लगाई जाती है। बैटरी को क्रियाशील करने के लिए नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में पावर के स्विच उपलब्ध है जो, नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों), जब उन्हें परस्पर सम्बद्व किया जाता है, दोनों के बिजली प्रदाय करेगी। पावर स्विच को ऑन करते ही कन्ट्रोल यूनिट से बीप की आवाज सुनाई देगी और हरी बत्ती जलती दिखेगी। नये डिजाईन की मशीन में तिथि, समय, कन्ट्रोल यूनिट का क्रमांक उम्मीदवारों की संख्या व बैटरी की स्थिति भी प्रदर्शित होगी।

5. **पिछले कक्ष को बंद करना :–** इसके पश्चात् आपको पिछला कक्ष बंद करना चाहिए। इसे पक्की तरह से बंद करने के लिए, इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छेदों में एक पतले

तार का टुकड़ा डाला जाये और तार के सिरों को मोड़ दियाजाये। आपको यह नोट करना चाहिए कि पिछले कक्ष को सील नहीं करना है क्योंकि मतदान की समाप्ति के पश्चात् पावर का स्विच 'आफ' करने के लिए और मतदान यूनिट का संबंध विच्छेद करने के लिए इसे पुनः खोला जाना है।

6. उपर्युक्त तरह से मशीनों की तैयारी जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य दोनों के लिये बारी–वारी से करेंगें।

(4) दिखावटी मतदान संचालित करना :–

1. **'क्लीयर' मतदान मशीन का प्रदर्शन :–** (i) मतदान प्रारम्भ करने के पूर्व, आपको न केवल स्वयं बल्कि उपस्थित समस्त संबंधित मतदान अभिकर्ताओं को भी सन्तुष्ट करना चाहिए कि मतदान मशीन एकदम चालू हालत में है और मशीन के पहले से कोई भी मत रिकार्ड किये हुए नही है। ऐसे समाधान के लिए, आपको सबसे पहले उपस्थित समस्त संबंधित व्यक्तियों को 'क्लीयर' बटन दबाकर दिखाना चाहिए, कि समस्त गणनांक जीरो पर सैट किये गये हैं। 'क्लीयर' बटन नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन के कक्ष में उपलब्ध है। यह कक्ष एक आन्तरिक द्वार और एक बाहरी कवर से ढका हुआ है। आन्तरिक द्वार 'क्लीयर' बटन, 'रिजल्ट I 'बटन और' रिजल्ट II' बटन से युक्त कक्षों को कवर करता है और बाहरी कवर आन्तरिक द्वार के ऊपर उपलब्ध है और 'क्लोज' बटन से युक्त कक्ष को भी कवर करता है। जहां मशीनें नई डिजाईन की है वहां आन्तरिक द्वार में 'क्लीयर' बटन 'रिजल्ट' बजट एवं 'प्रिन्ट' बटन है और बाहरी कवर जो आन्तरिक द्वार के ऊपर है उसमें 'क्लोज' बटन युक्त कक्ष है। दोनों ही प्रकार की मशीनों में 'क्लीयर' बटन तक पहॅुचने के लिए आपको बांयी और उपलब्ध सिटकिनी को अंदर की ओर धीरे से दबाकर पहले बाहरी कवर को खोलना चाहिए। तत्पश्चात् 'रिजल्ट I ' और रिजल्ट II' अथवा 'रिजल्ट' और ''प्रिन्ट'' बटन जैसा भी मशीन की डिजाईन हो, के ऊपर दो छेदों में अंगूठा और एक अंगूली डालकर और उसके पश्चात् सिटकिनी को एक साथ अन्दर की ओर से धीरे से दबाकर आन्तरिक द्वार को खोला जा सकता है। किसी भी स्थिति में ऊपर वर्णित रीति में सिटकिनी को खोले बिना आन्तरिक द्वार को बलपूर्वक नहीं खोलना चाहिए अन्यथा यह अति महत्वपूर्ण कक्ष क्षतिग्रस्त हो जायेगा।

(ii) **जब 'क्लीयर'** बटन को दबाया जायेगा तब नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन पैनल पर निम्नलिखित जानकारी (यदि मशीन 9 अभ्यर्थियों के लिए सैट की गयी हो) अनुक्रमिक रूप से प्रदर्शित होनी आरम्भ हो जायेगी :–

पुराने मॉडल की मशीनों में		पोस्ट–2006 व अपग्रेडेड पोस्ट–2006 (नये मॉडल) की मशीनों में
cd	**9**	DELETING POLLED VOTE
to	**0**	CANDIDATES 9
O1	**0**	TOTAL POLLED VOTES - 0
O2	**0**	CANDITAES - 01 VOTES - 0
O3	**0**	CANDITAES - 02 VOTES - 0
O4	**0**	CANDITAES - 03 VOTES - 0
O5	**0**	CANDITAES - 04 VOTES - 0
O6	**0**	CANDITAES - 05 VOTES - 0
O7	**0**	CANDITAES - 06 VOTES - 0
O8	**0**	CANDITAES - 07 VOTES - 0
O9	**0**	CANDITAES - 08 VOTES - 0
END		CANDITAES - 09 VOTES - 0
		END

प्रत्येक संकेत के पश्चात् बीप की आवाज आयेगी।

नोट :– यदि 'क्लीयर' बटन दबाने पर, प्रदर्शन पैनल ऊपर उपदर्शितानुसार प्रदर्शित नही करता है तो इसका यह अर्थ होगा कि मशीन को क्लीयर करने के लिए आवश्यक आरम्भिक क्रियाओं का पालन नही किया गया है। मशीन क्लीयर करने के लिए यह

सुनिश्चित कर लें कि मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट को उचित रूप से सम्बद्व कर दिया गया है। 'क्लोज' बटन दबाईये और तत्पश्चात् 'रिजल्ट I' अथवा ''रिजल्ट'' (मशीन की डिजाईन की स्थिति अनुसार) बटन दबाईये। अब 'क्लीयर' बटन को दबाईये, प्रदर्शन पैनल ऊपर उपदर्शितानुसार जानकारी प्रदर्शित करना आरम्भ कर देगा।

(iii) प्रदर्शन पैनल पर उपर्युक्त जानकारी का प्रदर्शन, मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं का इस बात का समाधान कर देगा कि मशीन में पहले से कोई मत रिकार्ड किये हुए नही है।

2. **दिखावटी मतदान (Mock-Polling) :—** 1. उपर्युक्त प्रदर्शन करने के पश्चात् कि मशीन में पहले से कोई मत रिकार्ड किया हुआ नही है, आपको अचानक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कुछ मत रिकार्ड कर के दिखावटी मतदान आयोजित करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित क्रियाओं का पालन किजिए :—

(i) नियंत्रण यूनिट के मत सेक्शन के 'बैलेट' बटन को दबाईये। 'बैलेट' बटन के दबाने पर प्रदर्शन सेक्शन में 'बिजी' लैम्प ''लाल'' चमकेगा। इसके साथ–साथ मतदान यूनिट पर का 'रेडी' लैम्प भी ''हरा'' चमकना आरम्भ कर देगा।

(ii) किसी भी मतदान अभिकर्ता से, उसकी पसन्द के अनुसार, मतदान यूनिट पर के किसी भी अभ्यर्थी के बटन को दबाने के लिए कहो। ध्यान रहे कि प्रत्येक बटन कम से कम एक बार दबाया गया हो ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि, प्रत्येक बटन जांचा गया है और सही कार्य कर रहा है।

(iii) अभ्यर्थी का बटन इस प्रकार दबाये जाने पर, मतदान यूनिट पर का 'रेडी' लैम्प बुझ जायेगा और बटन के पास अभ्यर्थी का लैम्प लाल चमकने लगेगा। नियंत्रण यूनिट से निकलती हुई बीप साउण्ड भी सुनाई देगी। कुछ सैकण्ड पश्चात्, अभ्यर्थी के लैम्प की लाल बत्ती, 'बिजी' लैम्प की लाल बत्ती और बीप साउण्ड बंद हो जायेगी। यह इस बात का संकेत होगी कि अभ्यर्थी, जिसका बटन दबाया गया है, का मत नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड कर लिया गया है और मशीन अगला मत ग्रहण करने के लिए अब तैयार है।

(iv) शेष रहे प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक या अधिक मत रिकार्ड करने हेतु पूर्ववर्ती पैरा (i), (ii) और (iii) में उल्लेखित प्रक्रिया की पुनरावृति करें। प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में इस प्रकार रिकार्ड किये गये मतों का सर्तकता पूर्वक लेखा रखें।

(v) जब मत इस प्रकार रिकार्ड किये जा रहे हो, तब नियंत्रण यूनिट के मत सेक्शन पर के 'टोटल' बटन को यह जांच करने के लिए किसी भी समय दबाया जाये कि मशीन में रिकार्ड किये गये कुल मत उस समय तक डाले गये मतों की संख्या से मेल ख़ाती है।

नोटः– 'टोटल' बटन को किसी अभ्यर्थी के लिए मत रिकार्ड करने के पश्चात् और प्रदर्शन सेक्शन के 'बिजी' लैम्प के बंद होने पर ही दबाया जाना चाहिए।

(vi) दिखावटी मतदान की समाप्ति पर, परिणाम सेक्शन के 'क्लोज' बटन को दबाये। इस प्रकार 'क्लोज' बटन दबाये जाने पर, प्रदर्शन सेक्शन में के प्रदर्शन पैनल निम्नलिखित जानकारी अनुक्रमिक रूप से दर्शित करेंगे (यदि डाले गये मतों की संख्या 54 है और अभ्यर्थियों की संख्या 9 है) :–

पुराने माडल की मशीन हो तो

NP	1
cd	9
TO	54
END	

पोस्ट–2006 व अपग्रेडेड पोस्ट–2006 नये मॉडल की मशीन

CLOSING
DTE 12-1-2007 TIME 07-50-56
SL. No BCU AA 00001
CANDIDATES 9
TOTAL POLLED VOTES 54
POLL CLOSED

नोटः समय की उपलब्धता के अध्यधीन, दिखावटी मतदान में अधिक मत रिकार्ड करने की अनुज्ञा देने में कोई आपत्ति नही है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के रिकार्ड किये गये मतों की संख्या समान होनी चाहिए।

(vii) अब परिणाम सैकशन में के 'रिजल्ट' चिन्हित बटन को दबाईये। उस बटन को दबाये जाने पर, प्रदर्शन पैनल निम्नलिखित जानकारी अनुक्रमिक रूप से दर्शित करना आरम्भ कर देंगे :–

पुराने माडल की मशीन हो तो		पोस्ट–2006 व अपग्रेडेड पोस्ट–2006 नये मॉडल की मशीन
cd	9	COMPUTING RESULT
to	54	CANDIDATES 9
01	6	TOTAL POLLED VOTES 54
02	6	CANDIDATE- 01 VOTES- 6
03	6	CANDIDATE-02 VOTES- 6
04	6	CANDIDATE -3 VOTES- 6
05	0	CANDIDATE-04 VOTES -6
06	6	CANDIDATE-05 VOTES- 6
07	6	CANDIDATE-06 VOTES- 6
08	6	CANDIDATE -07 VOTES- 6
09	6	CANDIDATE -08 VOTES- 6
END		CANDIDATE -09 VOTES- 6
		END

(viii) आगे दिखावटी मतदान के दौरान रिकार्ड किये गये मतों के लेखों को 'क्लीयर' बटन दबाकर 'क्लीयर' करें। 'क्लीयर' बटन को इस प्रकार दबाये जाने पर, ऊपर में यथावर्णित समस्त गणनांक 'जीरो' दर्शायेगें।

(ix) उपर्युक्तानुसार दिखावटी मतदान आपको दोनों चुनावों के लिये पृथक–पृथक करना है। जो उसी चुनाव की संबंधित मशीनों के सैट से करना है।

(5) नियंत्रण यूनिट में पिंक पेपर सील का लगाया जानाः–

1. **पिंक पेपर सील का लगाया जानाः–** मतदान की परम्परागत पद्धति में जहां मतपत्र और मतपेटियां उपयोग में ली जाती है, वहां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष रूप से मुद्रित पिंक पेपर सील लगाकर मतपेटियों को मुहरबन्द और सुरक्षित किया जाता है। मतपेटी में एक बार पिंक पेपर सील लगा दी जाये और पेटी का ढक्कन बन्द कर दिया जाये तो पेटी को तब तक खोला नहीं जा सकता और उसमें डाले गये मतपत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती या गणना के लिए नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि पिंक पेपर सील को फाड नहीं दिया जाये। इसी प्रकार के रक्षोपाय मतदान मशीन में उपलब्ध कराये गये है ताकि एक बार नियंत्रण यूनिट मुहरबन्द कर दी जाये और मतदान प्रारम्भ हो जाये तो कोई भी मतदान प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उसे प्राप्त और सुनिश्चित करने के लिए वही पिंक पेपर सील जो मतपेटी को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट में लगाने की व्यवस्था की गयी है। पेपर सील (लम्बाई 10 इन्च) लगाने के लिए नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के द्वार के अन्दर की ओर एक फ्रेम उपलब्ध है। सील इस प्रकार लगायी जानी चाहिये ताकि उसकी गुलाबी सतह (Pink-Surface) छेद में से बाहर दिखायी दे। सील फ्रेम में पक्की तरह से लगी रहे और अपने स्थान से हटे नही, इसके लिए एक पतले गत्ते की पैडिंग लगायी जानी चाहिए। इसकी जांच की जाये कि एक सिरे से धीरे से खींचने पर पेपर सील अपने स्थान से हट न सके। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी दशा में कोई क्षतिग्रस्त पेपर सील उपयोग में नहीं ली जाये और यदि लगाये जाने की प्रकिया में कोई पेपर सील क्षतिग्रस्त हो जाये तो आन्तरिक कक्ष के द्वार को बन्द करने के पूर्व उसी समय इसे बदला जाना चाहिये।
2. **पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षरः–** पेपर सील लगाये जाने के पश्चात् आन्तरिक कक्ष के द्वार को दबा कर बंद किया जाना चाहिए। इसे ऐसी रीति से बंद किया जाना चाहिए कि पेपर सील के दोनों किनारे आन्तरिक कक्ष के किनारों से बाहर निकले रहें। तत्पश्चात् इस प्रकार बाहर निकली पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी को पेपर सील के क्रम संख्यांक के ठीक नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर करने चाहिए। इस पर संबंधित चुनाव वाले ऐसे अभ्यार्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं, जो उपस्थित

हो, और अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, के हस्ताक्षर कराये जायेंगे। पीठासीन अधिकारी को सत्यापित करना चाहिए कि पेपर सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, नियुक्ति पत्रों पर के, उनके हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं।

3. **पेपर सील का लेखा :–** पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए उसे दी गई पेपर सील और उसके द्वारा नियंत्रण यूनिट को सील करने और सुरक्षित करने के लिए वास्तविक रूप से उपयोग में ली गई पेपर सील का सही लेखा रखना चाहिए। ऐसा लेखा उसके द्वारा प्ररूप 14 के भाग–I के मद 9 द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप में रखा जायेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों या उसके अभिकर्ताओं को इस प्रकार उपयोग के लिए दी गई और वास्तविक रूप से उपयोग में ली गई पेपर सील के क्रम संख्याक नोट करने के लिए अनुमति भी दी जानी चाहिए। यह लेखा भी दोनों चुनावों के लिये पृथक–पृथक तैयार होगा।

(6) नियंत्रण यूनिट को बंद और सील करना :–

1. **स्पेशल टैगः–** यह 7.5 सेमी x 5.5 सेमी की साईज का है और पोस्टकार्ड की मोटाई के बराबर इसकी मोटाई होती है। सीधे कोने पर एक छेद है उपर एक मेटल रिंग है ताकि उसमें धागा डालकर सील कर दिया जाए। स्पेशल टैग प्रयुक्त करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी स्पेशल टैग पर कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखेगा। स्पेशल टैग पर कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखने के पश्चात पीठासीन अधिकारी स्पेशल टैग के पीछे की ओर अपने हस्ताक्षर करेगा। वह मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व पोलिंग स्टेशन में उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं (जो जिस चुनाव से संबंधित हों) से स्पेशल टैग के पीछे, यदि वे चाहें, उनसे हस्ताक्षर करने हेतु भी कहेगा। वह स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या को पढ कर सुना देगा और उपस्थित संबंधित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए कहेगा। यदि किसी वजह से स्पेशल टैग नष्ट हो जाय या फट जाय तो वह दूसरा स्पेशल टैग प्रयुक्त करेगा। इस प्रयोजन हेतु पिंक पेपर सील की तरह, रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी को 3 स्पेशल टैग की आपूर्ति करेगा।

2. पिंक पेपर सील लगाने और सुरक्षित करने और पीठासीन अधिकारी एवं संबंधित मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित करने के उपरान्त क्लियर बटन और रिजल्ट बटन के उपर के अन्दरूनी भाग को दबाकर स्थिर (फिट) और बन्द कर सील के दो खुले सिरे लगातार अन्दर के दरवाजे के किनारों को बाहर से प्रदर्शित करें। फिर इस अन्दर के दरवाजे को विशेष टेग से सील कर दिया जाए। इस हेतु आप इसके लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा विशेष रूप से आपूर्ति किया गया उच्च क्वालिटी का दो सूती धागा अन्दरूनी दरवाजे में

उपलब्ध छेद तथा स्पेशल टेग में उपलब्ध आशकिट वाले छेद से डाला जाए। आपके द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाए कि खराब या टूटा स्पेशल टैग किसी भी केस में उपयोग में नही लाया जाए। यदि किसी कारण से टैग खराब हो जाए तो दूसरे टैग का उपयोग किया जाए।

3. यह सब करने के बाद धागे की एक गांठ बनाकर स्पेशल टैगपर सीलिंग चपड़ी लगाकर धागे को सील करें। तत्पश्चात् सील को बिना तोडे आप स्पेशल टैग को 'क्लोज' बटन के कक्ष में इस तरह समायोजित करे कि 'क्लोज' बटन उस छेद जो कि स्पेशल टैग के बीच में काटा गया है, से बाहर निकले।

4. **परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को बंद और सील करना :**

(i) नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन के आन्तरिक कक्ष को बंद और सील करने के पश्चात्, परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को, उस सेक्शन को बंद करने के लिए, दबाया जाना चाहिए। उस बाहरी कवर को दबाये जाने के पूर्व पिंक पेपर सील (सीलों) के खुले किनारे ऐसी रीति से सतक्रता पूर्वक मोड़े जाने चाहिए कि पेपर सील का कोई भी भाग बाहरी कवर की किसी भी तरफ से बाहर निकला नही रहें।

(ii) परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को बंद करने के पश्चात् उस कवर को (क) बाहरी कवर की बांयी और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छेदों में से एक धागा डालकर (ख) पीठासीन अधिकारी की मुहर के साथ थ्रेड सील लगाकर और (ग) लेबल (एड्रेस टैग), जैसा रिटर्निग ऑफिसर के स्तर पर 'कैंड सैट' सेक्शन में लगाया गया है, मुहरबंद किया जाना चाहिए।

(iii) एड्रैस टैग में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :—

जिला परिषद् / पंचायत समिति का नाम ....
निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....
नियंत्रण यूनिट सं. ....
मतदान बूथ की क्रम संख्या ....
व नाम ....
मतदान की तारीख ....

(v) मतदान सामग्री के आपको वितरण के समय में खाली मुद्रित एड्रेस टैग भी उपलब्ध करवाये जायेंगे जो जिला परिषद के मामले में पीले रंग के व पंचायत समिति के मामले में नीले रंग के होंगें। आपको एड्रेस टैग में विशिष्टियां सतक्रता पूर्वक भरनी चाहिए। इसके नीचे के हिस्से में प्रत्येक नियंत्रण यूनिट की क्रम सं. लिखी जानी है।

(vi) उपस्थित संबंधित चुनाव के अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ताओं को भी बाहरी कवर पर उनकी मुहर लगाये जाने की अनुमति देनी चाहिए, यदि वे ऐसा करना चाहें।

(vii) आन्तरिक कक्ष और बाहरी कवर को इस प्रकार बंद करने और सील करने से सम्पूर्ण परिणाम सेक्शन मुहरबंद और सुरक्षित हो जायेगा तथा नियंत्रण युनिट द्वारा रिकार्ड किये गये मतों के साथ छेडछाड़ नहीं की जा सकेगी।

(7). नियंत्रण यूनिट को स्ट्रिप सील से सील करना :–

1. **स्ट्रिप सील :–**इलैक्ट्रिक वोटिंग मशीन की सीलिंग को सुरक्षित करने की दृष्टि से एक बाहरी कागज की पट्टी से सील किया जायेगा (जिसे अब स्ट्रिप सील कहा जायेगा) ताकि कन्ट्रोल यूनिट के इस क्षेत्र को खोला न जा सके। जब मतदान शुरू हो गया हो और जब तक कि मतगणना समाप्त हो चुकी हो यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जब मशीन में मतदान केन्द्र में पहला वोट डाला गया हो और जब तक मतगणना मेज तक न आ जाये तब तक कोई भी व्यक्ति परिणाम कक्ष को बिना सील पट्टी को नुकसान पहुंचाये न खोल सके। उक्त प्रयोजन से राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि हर मतदान केन्द्र जहां EVM का इस्तेमाल होना है, कन्ट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील पट्टी से सुरक्षित एवं सील कर देना है।

2. **स्ट्रिप सील का विस्तृत विवरण :–**

   (i) स्ट्रिप सील कागज की एक सील होती हैं जिसकी निम्न नाप होती है, 23.5 इंच (लम्बाई) और 1 इंच (चौडाई)। पट्टी की लम्बाई ऐसी होती है जिसे की कन्ट्रोल यूनिट की चौड़ाई पर आसानी से लपेटा जा सके।

   (ii) स्ट्रिप सील पर एक विशिष्ट पहचान नम्बर होता है।

   (iii) यह स्ट्रिप सील एक ऐसे संस्थान से उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे कि आयोग ने अधिकृत किया है।

   (iv) स्ट्रिप सील के दोनों सिरों पर चार स्टीकर लगे हुए है इसमें से तीन हिस्सों का वर्ग एक वर्ग इन्च (अक्षर A,B,C) द्वारा पहचाने जायेंगे और एक का वर्ग दो वर्ग इन्च होगा

(D अक्षर से पहचाना जायेगा) प्रत्येक स्टीकर वाला हिस्सा (गोंद लगा हुआ) वेक्स पेपर से ढका होगा।

(v) स्ट्रिप सील के एक आन्तरिक परत और एक बाहरी परत होगी। आन्तरिक परत के एक छोर पर दो समन्वय पहले से गोंद लगे हुए स्थल होगें (जो A और B अक्षर से चिहिन्त है) आन्तरिक परत के दूर छोर पर दो वर्ग इंच का स्टीकर D द्वारा चिन्हित किया गया है। पट्टी के बाहरी तरफ खाली एक ही स्टीकर होगा जिस पर C अक्षर चिन्हित होगा।

3. **कन्ट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील सहित सील करने की पूर्ण विधि :–** आसानी से समझाने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न कदम लिये जाने हैं ताकि सील पट्टी को स्थाई किया जा सके :–

(i) असली मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी एक दिखावटी मतदान करता है।

(ii) दिखावटी मतदान करने के उपरान्त और परिणाम दर्शाते हुए पीठासीन अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट का आंकडा, जिसका कि दिखावटी मतदान से संबंध हो 'क्लीयर' बटन दबा कर साफ कर देता है।

(iii) साफ करने के बाद वह पिंक पेपर सील डालता है, जो परिणाम क्षेत्र के आन्तरिक दरवाजे की खिड़की को ढकने के लिए डालता है। पिंक पेपर सील डालते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए की, सील का पिंक क्षेत्र दरवाजे की खिड़की, बंद करने के उपरान्त दिखाई दे रहा है।

(iv) पिंक पेपर सील डालने के बाद परिणाम बटन के ऊपर का आन्तरिक दरवाजा बंद कर देना चाहिए।

(v) तब परिणाम कक्ष का दरवाजा स्पेशल टैग द्वारा सील कर देना चाहिए।

(vi) स्पेशल टैग लगाने के बाद परिणाम कक्ष का बाहरी दरवाजा बंद कर दें ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि पिंक पेपर सील के दोनों खुले छोर बंद बाहरी दरवाजे से बाहर निकले रहें।

(vii) तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी बाहरी दरवाजे को धागे एवं एड्रैस टैग द्वारा सील कर दें।

(viii) इसके पश्चात् वह स्ट्रिप सील को कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम कक्ष के चारों तरफ से इस तरह से लपेटेगा ताकि वह क्षेत्र मतदान आरम्भ होने के बाद स्ट्रिप सील को नुकसाने पहुंचाये बिना न खोला जा सके। स्ट्रिप सील को लगाने का तरीका नीचे दिया गया है।

(ix) स्ट्रिप सील को परिणाम कक्ष के बाहर सील करने के पूर्व, पीठासीन अधिकारी को पेपर सील के क्रम संख्याक के ठीक नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर तुरन्त करने चाहिए। इस पर ऐसे अभ्यर्थियों का उनके मतदान अभिकर्ताओं जो उपस्थित हों और अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, के हस्ताक्षर कराये जायेंगे। पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि पेपर सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, नियुक्ति पत्रों पर उनके हस्ताक्षरों से मेल खाते है।

(x) स्ट्रिप सील को क्लोज बटन की रबर कैप के ठीक नीचे इस प्रकार लगाया जाय कि वो CLOSE (क्लोज) बटन के नीचे से परिणाम कक्ष के बाहरी दरवाजे को ठीक प्रकार से ढक ले। स्ट्रिप सील को लगाने का विस्तृत तरीका नीचे दिया जा रहा है।

4. **मशीनों को स्ट्रिप सील द्वारा सील करने का चरणबद्ध तरीका :–**

पहला कदमः– स्ट्रिप सील के स्टीकर वाले हिस्से 'A' को पिंक पेपर सील के धरातल के पास इस तरह से रखें ताकि पिंक पेपर सील आन्तरिक दरवाजे के अन्त से लटकती रहे। क्षेत्र A के ऊपर से वेक्स पेपर हटा दे। तत्पश्चात् पिंक पेपर सील आन्तरिक परत को गोंद लगे परत के ऊपर दबायें, पिंक पेपर सील के बाहरी परत को अन्दरूनी परत के ऊपर रखें।

दूसरा कदमः– स्टीकर वाले क्षेत्र B के ऊपर से भी वेक्स पेपर हटा दें। इस गोंद लगे भाग B को पिंक पेपर सील की बाहरी परत पर दबा दें। B क्षेत्र को पिंक पेपर सील के ऊपर चिपकाने के बाद गोंद लगाकर क्षेत्र C ऊपरी स्थिति में आ जायेगा।

तीसरा कदमः– स्टीकर C के ऊपर के वेक्स पेपर को हटा दें और पिंक पेपर सील दोनों छोरों को जो कि बाहरी दरवाजे के ऊपरी क्षेत्र से लटक रहे है इस तरह से दबायें ताकि पिंक पेपर सील आन्तरिक परत C क्षेत्र के ऊपर पूर्णतः चिपक जायें।

चौथा कदम :– स्ट्रिप सील के बचे हुए भाग को कन्ट्रोल यूनिट के बांई तरफ से ऐसे घुमायें एवं सुनिश्चित करें की पट्टी 'क्लोज बटन' के नीचे से निकले। स्ट्रिप सील के दूसरे सिरे को कन्ट्रोल यूनिट के दांई तरह से बाहरी दरवाजे के ऊपरी तरफ से लायें जहां कि स्टीकर ABC चिपकाये गये है।

पांचवा कदमः– स्टीकर D के ऊपर से वेक्स पेपर हटाये और उसे पिंक पेपर सील जो कि ऊपरी दरवाजे से लटक रही है उसके ऊपर दबा दें जो गोंद लगा 'D' हिस्सा स्ट्रिप सील के ऊपर फैल जाता है। इस फैले हुए क्षेत्र D को स्ट्रिप सील के ऊपर दबा दें।

ऊपर दिये गये तरीकों द्वारा पिंक पेपर सील के चारों खुले क्षेत्र, जो कि दरवाजे से लटक रहे हैं स्ट्रिप सील द्वारा पकड़ एवं चिपका दी जाती है। इसी समय परिणाम कक्ष का बाहरी दरवाजा भी इसी स्ट्रिप सील द्वारा हर तरफ से सील कर दिया जाता है और यह कक्ष बिना पिंक पेपर सील को नुकसान पहुंचाये नहीं खोला जा सकता।

5. **स्ट्रिप सील स्थाई करने के बाद कन्ट्रोल यूनिट का पावर स्विच बंद करनाः–** कन्ट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील द्वारा सील करने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेगा की सील मतदान के दौरान न तो नष्ट की गई है न ही उसमें कोई बदलाव किया गया है और यह सील मतदान के बाद मतदान केन्द्र पर हटाई नहीं जायेगी।

6. मतदान खत्म हो जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी CLOSE बटन के ऊपर का ढक्कन ऐसे हटायेगा कि स्ट्रिप सील को छेड़ा न जाये और CLOSE बटन को दबायेगा एवं ढक्कन को लगा देगा। मतदान समाप्त हो जाने के बाद अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण करने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट को सावधानी से पैक करेगा और उसके खोल के अन्दर एवं खोल को भी सील करेगा। यह सील लगा हुआ खोल मतगणना स्थल पर, अन्य सामग्री सहित नियंत्रण कक्ष में जमा कर दिया जायेगा।

7. मतगणना वाले दिन कन्ट्रोल यूनिट जिसे की स्ट्रिप सील द्वारा बंद किया गया है अभ्यर्थी द्वारा या गणना अभिकर्ता द्वारा निरीक्षण करने के लिए दिया जायेगा। इसके पश्चातृ ही सील हटाई जायेगी। इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि पिंक पेपर सील न टूटने पाये।

8. पिंक पेपर सील एड्रैस टैग सील जो कन्ट्रोल यूनिट के बाहरी कक्ष से लटक रही है, का निरीक्षण करने के तत्पश्चात् ही कन्ट्रोल यूनिट को खोला जायेगा।

9. **स्ट्रिप सील करते समय महत्वपूर्ण सावधानियां :–**

   (i) यह स्ट्रिप सील इस तरह से लगाई जायेगी कि CLOSE बटन कैप के नीचे से परिणाम कक्ष के बाहरी दरवाजे को पूर्ण रूप से ढकें। इस पट्टी को स्थाई करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि CLOSE बटन को साफ छोड़ दिया गया है एवं थोड़ा भी नहीं ढका गया है ताकि इस बटन को इस्तेमाल करने में कोई भी तकलीफ न हो।

   (ii) स्ट्रिप सील स्थाई रूप से पक्की कर दी जायेगी और खुली नहीं छोडी जायेगी।

(iii) टूटी हुई स्ट्रिप सील इस्तेमाल न करें।

(iv) हर मतदान बूथ पर दोनों चुनावों के लिये 6 स्ट्रिप सील दी जायेगी जैसा कि पिंक पेपर सील होती है।

(v) पीठासीन अधिकारी हर स्ट्रिप सील जो कि मतदान बूथ पर मतदान करने हेतु दी गई है, के लिए उत्तरदायी होगा।

(vi) उन्हें हर स्ट्रिप सील जो कि इस्तेमाल में नहीं लाई गई हो (उन पट्टियों और उन टुकड़ो को भी जो आकस्मिक रूप से टूट गये हो या खराब हो गये हों) पीठासीन अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर लौटा देने हैं जो कि इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराये जायेंगे यदि स्ट्रिप सील किसी समय किसी अनाधिकृत व्यक्ति के हाथों में पाई जाती है।

(vii) जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक रिटर्निंग आफिसर को आपूर्ति किये स्ट्रिप सील के क्रम संख्या को एक रिकार्ड तैयार करवायेंगे और इसी तरह प्रत्येक रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए आपूर्ति की गई स्ट्रिप सील का रिकार्ड रखेंगे।

(viii) स्ट्रिप सील का एक नमूना प्रशिक्षण हेतु प्रयोग में लिया जायेगा। स्ट्रिप सील भी सुरक्षित रखी जायेगी। स्ट्रिप सील के प्रशिक्षण अथवा प्रदर्शन जैसी भी स्थिति हो, के पश्चात् प्रयोग की गई स्ट्रिप सील को श्रेडिंग मशीन द्वारा नष्ट किया जाय।

(8) वास्तविक मतदान के लिए तैयार मतदान मशीन :—

1. उपर्युक्त वर्णित रीति से दोनों चुनावों के लिये मशीनों के दो पृथक–पृथक सभी तरह से वास्तविक मतदान के उपयोग के लिए तैयार है।

2. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व, आपको मतदान यूनिट (यूनिटें) संबंधित मतदान कक्ष के भीतर रखनी चाहिए। अर्थात जिला परिषद वाले वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में और पंचायत समिति वाले वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में संबंधित बैलेट यूनिट रखी जावे। मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट के बीच परस्पर सम्बद्व केबल की लंबाई पांच मीटर है। इसलिए मतदान कक्ष उचित दूरी पर होना चाहिए। साथ ही, केबल का रास्ता इस प्रकार होना चाहिए कि यह मतदान केन्द्र के भीतर के मतदाताओं के आने जाने में बाधा कारित नहीं करता हो और उनको इसे लांघकर नहीं जाना पड़े। साथ ही केबल साफ भी दिखाई देती रहे। मतदान कक्ष में मशीन इस प्रकार रखी जायें कि मतदान की गोपनीयता भंग नहीं हो।

(9.) वोटिंग कम्पार्टमेन्ट की पहचान का नोटिस– दोनों चुनावों के पृथक–पृथक वोटिंग कम्पार्टमेन्ट पर उनकी पहचान दर्शाने वाला नोटिस ''जिला परिषद्'' या यथा स्थिति, ''पंचायत समिति'' अंकित किया हुआ लगायें।

अध्याय – 6

मतदान का प्रारम्भ और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए उपाय

1. **मतदान का प्रारम्भ :–** मतदान प्रारम्भ करने के लिए जो समय हो, ठीक उसी समय मतदान प्रारम्भ करायें। उस समय तक औपचारिकताऐं पूरी हो जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश उस समय तक प्रारम्भिक औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हों तो आप मतदान के प्रारम्भ करने के लिए नियत समय पर लगभग आधार दर्जन मतदाताओं को अन्दर आ जानें दे और मतदान अधिकारियों को उनकी पहचान आदि के संबंध में तब तक कार्यवाही करते रहने दें जब तक कि आपके द्वारा की जाने वाली औपचारिकताएं पूरी न हो जाएं। मतदान प्रारम्भ करने के लिए नियत समय पर प्रारम्भिक कार्यो को पूरा न हो जाना अत्यन्त अवांछनीय है और इससे बचने का प्रत्येक प्रयास करना चाहिए। यदि किसी भी कारण से आप नियत समय पर, मतदान प्रारम्भ नहीं करते हैं तो भी आपको मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
2. **मतदान की गोपनीयता के बारे में चेतावनीः–** मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व सभी उपस्थित व्यक्तियों को मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के बारे में उनके कर्तव्य और उनके उल्लंघन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबन्धों को समझा दीजिए।
3. **अमिट स्याही के संबंध में सावधानियॅाः–** अमिट स्याही के प्रभारी मतदान अधिकारी को अमिट स्याही की शीशी को प्रयोग के लिए खोले जाने से पूर्व उसे भली–भांति हिला लेना चाहिए तथा पर्याप्त सावधानी बरतने के लिए कहा जाना चाहिए कि अमिट स्याही वाली शीशी झुकी हुई नही हो और मतदान के दौरान स्याही फैल न जाए। इस निमित्त आप एक प्याले में या सिगरेट के खाली डिब्बे में या चौड़े पैंदे वाली किसी बर्तन में कुछ रेत या मिट्‌टी भर लें और उस बर्तन के बीच में उस शीशी का तीन चौथाई भाग रेत या मिट्‌टी के अन्दर दबा दें, जिससे डाट के साथ लगी हुई प्लास्टिक की सींक शीशी में सीधी खड़ी रहे और उसे केवल मतदाताओं की तर्जनी पर निशान के लिए ही निकाला जाए। इस सींक को उसके निशान लगाने के सिर को नीचे की ओर लम्बवत रखकर सीधा पकड़ा जाना चाहिए अन्यथा कुछ स्याही सींक से गिर जायेगी और उससे उसका प्रयोग करने वाली व्यक्ति की अंगुलियां खराब हो जायेंगी।

4. **निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतिः—** दोनों चुनावों की मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एक ही होगी। मतदान के प्रारम्भ से पूर्व आपको दोनों चुनावों में मतदान अभिकर्ताओं और मतदान केन्द्र में उपस्थित अन्य व्यक्तियों को भी यह दिखाना है कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उन मतदाताओं जिनको डाक मतपत्र जारी किये जा चुके है की प्रविष्टियों के आगे लगाये गये चिन्हों से भिन्न कोई अन्य चिन्ह या प्रविष्टियां अन्तर्विष्ट नहीं है।

5. **मतदाता रजिस्टरः—** मतदाता रजिस्टर भी दोनों चुनावों के लिए एक ही होगा। मतदान अभिकर्ताओं या अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह भी बताना चाहिए कि प्ररूप 12 में मतदाताओं के रजिस्टर में प्रत्येक ऐसे मतदाता के संबंध में प्रविष्टियां अंकित की जायेंगी, जिसे मत देने की अनुमति दी गई है और इसमें मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लिया जाना है और मतदान प्रारम्भ से पहले इसमें किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि नहीं है।

6. **मतदान केन्द्र में मतदाताओं के प्रवेश को विनियमित करना :—** पुरूष तथा महिला मतदाताओं के लिए पृथक—पृथक, पंक्तियॅा होनी चाहिए। लाईन बनवाने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति आपके निर्देशानुसार एक बार में तीन या चार मतदाताओं को ही मतदान केन्द्र में अन्दर जाने की अनुमति देंगे। अन्य मतदाताओं को जो अन्दर जाने की प्रतीक्षा में खड़े हो, बाहर पंक्ति में ही खड़ा करवाया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों, शिथिलांग मतदाताओं और ऐसी महिला मतदाताओं को जिनके गोद में बालक हो पंक्ति में खड़े अन्य मतदाताओं से पहले मत देने की सुविधा दी जावें। शारीरिक रूप से विकलांग मतदाता की व्हील चेयर को पोलिंग बूथ में आने की सुविधा हेतु यदि स्थाई रैंम्प नही है तो वुडन (Wooden) रैम्प की व्यवस्था करनी चाहिए। पुरूष और महिला मतदाताओं को मतदान केन्द्र में बारी—बारी से पृथक—पृथक समूहों में आने देना चाहिए। पुरूष अथवा महिला मतदाताओं की एक—एक से अधिक पक्तियॅा नहीं बननी दी जानी चाहिए। मतदान बूथ परिसर में इस आशय का पोस्टर जो आपकी मतदान सामग्री में है, सहज दृश्य स्थान पर लगावे कि शिथिलांग व वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता से आने देवे।

7. **स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों द्वारा घोषणाएंः—** यह निश्चित करने के लिए आप पहले के अध्यायों में अन्तर्विष्ट अनुदेशों जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आवश्यक पूर्वोपाय है, का सम्यक् रूप से पालन कर चुके हैं आपसे मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व **परिशिष्ट—7** में घोषणा पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। यह घोषणायें भी दोनों चुनावों की पृथक—पृथक होंगी। यह लोक प्रतिनिधित्व

अधिनियम, 1951 की धारा 128 के मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने संबंधी उपबन्धों को पढ़कर सुनाना चाहिए ताकि मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्ति उसे सुन लें और फिर आपको उस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर भी कर देने चाहिए और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी करवा देने चाहिए जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों। आपको उस घोषणा पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के नाम भी अभिलिखित करने चाहिए जो उस पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार करते है। यह ध्यान रखें कि जो अभ्यर्थी/अभिकर्ता जिस चुनाव के है, उसी से संबंधित घोषणाओं पर उन्हे हस्ताक्षर करने हेतु कहा जावे अर्थात जिला परिषद् सदस्य चुनाव में इसके अभ्यर्थी/अभिकर्ता ही हस्ताक्षर कर सकेगें और पंचायत समिति सदस्य चुनाव में इसके अभ्यर्थी/अभिकर्ता ही हस्ताक्षर कर सकेंगे।

8. **नई मतदान मशीन के उपयोग के समय पालन की जाने वाली प्रक्रियाः–** यदि मतदान के दौरान बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण नई मतदान मशीन का उपयोग करना आवश्यक हो जाये तो नई मशीन से भी दिखावटी मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कर आपसे पुनः **परिशिष्ठ–7** में विहित किये अनुसार, अतिरिक्त घोषणा पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा जब कभी नई मशीन उपयोग के लिए ली जाए तब करना पड़ेगा। (मतदान की समाप्ति पर आपको उसी रीति से **परिशिष्ट–7** में एक अतिरिक्त घोषणा अभिलिखित करनी चाहिए) यह घोषणा एक पृथक, लिफाफे में रखी जायेगी और मतदान समाप्त होने के बाद इसे मतपत्र लेखा तथा मुद्रा लेखों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को सौंप दिया जायेगा।

9. **मतदान केन्द्र में और इसके आसपास निर्वाचन विधि का पालन कराना :–**

1. आपको चातुर्य, दृढता और निष्पक्षता, विशेषतः अन्तिम शान्ति के किसी भंग के विरूद्ध सबसे महत्वपूर्ण रक्षोपाय है। सभी दलों और अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार करे और प्रत्येक विवादग्रस्त बिन्दु पर उचित रूप से और न्याय संगतता से विनिश्चय करें। यह कहने की आवश्यकता नही है कि न तो आपको और न ही आपके मतदान केन्द्र पर किसी और अधिकारी को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसका अर्थ निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी की सम्भावनाओं को अग्रसर करना लगाया जाये।

2. मतदान दल के सदस्यों को यथोचित व शालीन व्यवहार का आचरण करना चाहिए। किसी वी.आई.पी. के मत देने के लिए आते समय मतदान केन्द्र में विशेष महत्व नहीं देना चाहिए और ना ही हाथ मिलाना चाहिए आदि।

3. मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर पक्ष प्रचार करना अपराध है। कोई व्यक्ति, जो ऐसा करता है, पुलिस द्वारा वारन्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 (परिशिष्ट–2) के अधीन अभियोजित किया जा सकेगा।

4. मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूरी पर अभ्यर्थी अपना निर्वाचन बूथ बना सकते है जिस पर एक छतरी या तिरपाल के साथ एक मेज व दो कुर्सी लगाई जा सकती है। इन निर्वाचन बूथों पर मतदाताओं को अशासकीय पर्चियां अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित की जा सकती है। लेकिन इन बूथों पर भीड़–भाड़ एकत्र होने की, मतदाताओं को प्रभावित करने की गतिविधियों की, अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला करने की या स्वतंत्र व निष्पक्ष व निर्बाध चुनाव में व्यवधान डालने की अनुमति नही है। यदि ऐसी कोई अवांछनीय गतिविधि आपके ध्यान में आये तो जोनल मजिस्ट्रेट या अन्य उत्तरदायी अधिकारी के ध्यान में लायें।

5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 में अन्तर्विष्ट उपबंधो को लागू करने के लिए यदि कोई व्यक्ति विच्छृंखल तरीके से व्यवहार करता है तो आप उसी समय उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करवा सकते है और उसे अभियोजित करवा सकते है। पुलिस के पास ऐसे कदम उठाने और ऐसा बल प्रयोग करने की शक्ति हैं जो ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है। तथापि, ऐसी शक्तियों को तब ही अपनाया जाना चाहिए जब उसे मनाना और चेतावनी देना प्रभावहीन साबित हो जाये। यदि किसी मेगाफोन या लाउडस्पीकर के उपयोग से मतदान केन्द्र का कार्य बाधित हो तो आपकों ऐसा उपयोग रोकने के लिए कदम उठाये चाहिए। यह विनिश्चय करना आप पर छोड़ दिया गया है कि क्या मतदान केन्द्र की कार्यवाहियों को बाधित करने के लिए यह काफी निकट या काफी तेज है।

6. कोई भी व्यक्ति जो मतदान के दौरान स्वयं अपचार करता है या आपके विधिपूर्ण निर्देशो की अवज्ञा करता है, आपके आदेशों से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या आप द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132)

7. आपके पास मतदाताओं के अवैध प्रवहण को रोकने के लिए कोई सकारात्मक शक्ति नही है। यदि इस आशय की कोई शिकायत की जाती है तो आप शिकायतकर्ता को कहें कि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 के अधीन अपराधी को अभियोजित करने या सम्यक् अनुक्रम में अपराधी अभ्यर्थी के विरूद्ध निर्वाचन याचिका

फाईल करने के आधार के रूप में तथ्य का उपयोग करने की कार्यवाही कर सकता है। आपके समक्ष फाईल की गई किसी शिकायत को उपखण्ड़ या अन्य मजिस्ट्रेट को ऐसी टिप्पणियों के साथ अग्रेषित करे जो आप अपने स्वयं के संप्रेक्षण और व्यक्तिगत ज्ञान से कर सकते है।

8. कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतदान मशीन को कपटपूर्वक या अप्राधिकृत रूप से ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है या ऐसे किसी कार्य को करने में जानबूझकर, सहायता या दुष्प्रेरण करता है, वह एक वर्ष तक के कारावास से या पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय संज्ञेय अपराध करता है।

9. आपका ध्यान धारा 134 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जो यह उपबंधित करता है कि यदि कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी, युक्तियुक्त कारण के बिना अपने पदीय कर्तव्य के भंग में कोई कार्य करने या किसी लोप का दोषी है तो वह संज्ञेय अपराध करता है।

10. **मतदान केन्द्र में या इसके निकट सशस्त्र जाने का प्रतिबंधः–** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134–ख के उपबंधों के अनुसार कोई भी व्यक्ति (रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और मतदान केन्द्र पर शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी भी अन्य अधिकारी, जो मतदान केन्द्र पर ड्यूटी पर है, से भिन्न) मतदान के दिन, आयुध अधिनियम, 1959 में यथा–परिभाषित किसी भी प्रकार के आयुध से सुसज्जित होकर किसी मतदान केन्द्र के आसपास नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का उल्लंघन करता हे तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित होने का दायी है, अपराध संज्ञेय है।

11. **मतदान केन्द्र में सेल्युलर फोन्स, कार्डलैस फोन्स, वायरलैस सेट्स आदि का प्रतिबन्धः–** आयोग के निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति मोबाईल, कार्डलेस फोन आदि नहीं ले जा सकता इसकी सख्त मनाई है। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी तक को मतदान केन्द्र की नेबर हुड (सीमा) कहा गया है।

अध्याय – 7

मतदाता की पहचान, निविदत्त मतपत्र, मतदाता का मत देने से इन्कार और मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन पर मत देने की अनुमति नहीं देना

(1) निर्वाचक की पहचान का सत्यापन :–

1. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता की पहचान के लिए दस्तावेजी पहचान आवश्यक की है। मतदाता को मतदाता फोटो मतदाता पहचान पत्र (EPIC) पहचान स्थापित करने हेतु प्रस्तुत करना चाहिए। यदि मतदाता के पास EPIC नहीं है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज पहचान हेतु पेश करना चाहिए। परिवार के मुखिया के पास ऐसा फोटोयुक्त दस्तावेज है तो मुखिया के साथ आने पर परिवार के अन्य सदस्यों की भी पहचान की जा सकती है। इस विषय में आयोग द्वारा जारी निर्देशों (देखें **परिशिष्ट–13**) की पालना की जायेगी और मतदाता की पहचान के संबंध में प्रथम मतदान अधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करवाई गई है। अतः निर्वाचक केन्द्र में फोटोयुक्त मतदाता सूची में फोटो प्रकाशित है, उसे फोटो परिचय के लिए मान्य किया जायेगा।

2. प्रायः प्रत्येक मतदाता अपने साथ एक अशासकीय पहचान पर्ची लाता है जो शायद उसे किसी अभ्यर्थी या किसी अभिकर्ता द्वारा दी होती है। इस पर्ची पर किसी अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। यह बात ध्यान रखनी है कि यह मतदाता की पहचान की गारण्टी नहीं है ओर न ही इसके द्वारा कोई मतदान अधिकारी अपने कर्तव्य ओर ऐसे जिम्मेदारी से मुक्त हो पाता है। वह मतदाता की पहचान के बारे में स्वयं का समाधान करें। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी तथा निर्वाचक की पहचान के लिये जिम्मेदार प्रथम मतदान अधिकारी को किसी निर्वाचक द्वारा अशासकीय पहचान पर्ची को प्रस्तुत कर देने पर ही निर्वाचक की पहचान साबित हो जाना नहीं मान लेना चाहिये। यद्यपि ऐसी पर्चियों से निर्वाचक नामावली में निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टि को ढूंढने में सहायता मिलती है, किन्तु यह मान कर नही चला जा सकता कि ऐसी पर्ची को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सही मतदाता हो, साथ ही यह भी जरूरी नही है कि उसक पास जो पर्ची है वह वास्तव में उससे ही सम्बन्धित है। अतः प्रथम मतदान अधिकारी को पर्ची के आधार पर निर्वाचक नामावली अंकित क्रम संख्या को ही पढना चाहियें। किन्तु उसे

पर्ची में अंकित नाम तथा अन्य विवरण पढने नही चाहिये। उसके पश्चात मतदान अधिकारी को उसका नाम ओर यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि की अन्य विशिष्टियां जोर से बोलने के लिये कहना चाहिये। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता के रूप मे पर्चियां लाने वाला व्यक्ति ही सही मतदाता है यदि प्रथम मतदान अधिकारी को पूरा समाधान नही होता है तो उस व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिये कहा जा सकता है, जो स्वयं के समाधान के लिये मतदाता की पहचान में और छानबीन करेगा। यदि यह प्रतिरूपण करने वाला सिद्व हो जाय तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे निर्वाचक को पुलिस के हवाले करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिये। महिला निर्वाचकों विशेषकर पर्दाधारी महिलाओं की पहचान करने के लिये किसी महिला मतदान अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिये।

3. यह आशा की जाती है कि मतदान अभिकर्ता अपने साथ मृत, अनुपस्थित या जाली मतदाताओं की सूची साथ लाये, जिसकी प्रति आपको भी दे सकते है। यदि इस सूची में से कोई व्यक्ति मतदाता होने का दावा करे तो उसकी पहचान दस्तावेजों के आधार पर कड़ाई से की जावें। मतदान अधिकारी को मतदाता की पहचान के बारे में संदेह उत्पन्न होने पर उसकी वास्तविक पहचान करने के मामलें में पीठासीन अधिकारी को निर्णय के लिए सौंप देना चाहिए।

4. कई बार किसी मतदाता से संबंधित विशिष्टियां निर्वाचक नामावली में मुद्रण और लिपिकीय गलती से अशुद्ध अंकित हो जाती हैं जिसमें मतदाता का दोष नहीं होता और केवल मात्र मुद्रण और लिपिकीय त्रुटि निर्वाचक नामावली में हो जाने के आधार पर किसी सही मतदाता को उसके मताधिकार के प्रयोग से वंचित नही करना चाहिए। यदि पीठासीन अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि निर्वाचक नामावली में अंकित कोई प्रविष्टी किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है लेकिन उस प्रविष्टी में लिपिकीय या मुद्रण की गलती है तो भी पीठासीन अधिकारी यह सन्तुष्टि करेगा कि प्रविष्टी उक्त व्यक्ति से संबंधित है या नहीं है और ऐसी विशिष्टियों के कारण को लिखित रूप से अंकित करेगा। साथ ही, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में ऐसे प्रत्येक मतदाता के बारे में प्रविष्टियां स्याही से नोट कर दी जायेगी।

5. **मतदाता की पात्रता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता :—** जब मतदाता की पहचान स्थापित हो जाती हैं तो किसी मतदाता को इस आधार पर मत देने से रोका नही जा सकता कि वह मतदाता के रूप में पात्र नही हैं।

(2) मतदाता द्वारा उसकी आयु के बारे में घोषणा :–

1. जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह कानूनन वोट देने का अधिकार रखता है किन्तु ऐसे व्यक्ति के मामलें में जिसकी आयु आप बहुत ही अल्प समझते हैं तो उसके दावे के प्रति आपको निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के संदर्भ में साफ–साफ समाधान हो जाना चाहिए। यदि आपको प्रथम दृष्ट्या उसकी पहचान और उसके नाम के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के बारे में समाधान है किन्तु उसे न्यूनतम आयु से कम का मानते हैं तो आप उस निर्वाचक से, जनवरी के प्रथम दिन जिसके संदर्भ से निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई है उसकी आयु के संबंध में एक घोषणा **परिशिष्ट–10** में लेंगे। आप ऐसे निर्वाचक की घोषणा अभिप्राप्त करने से पूर्व उसे मिथ्या घोषणा के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 18–क (**परिशिष्ट–3**) में विहित दण्डनीय प्रावधानों से अवगत करा दें।
2. आप ऐसे मतदाताओं की भी सूची तैयार करें जिनसे आपने **परिशिष्ट–10** में ऐसी घोषणाएं अभिप्राप्त की है। आपको **परिशिष्ट–11** में उन मतदाताओं की जिन्होंने उपर्युक्त घोषणा करने से इन्कार कर दिया हो और बिना मतदान किये चले गये हैं एक सूची भी तैयार करनी चाहिए। मतदान की समाप्ति के पश्चात् उपर्युक्त उल्लिखित सूची और घोषणाएं लिफाफा नं. **पी.ई.–57** में साथ–साथ रखी जानी चाहिए।

(3) निविदत्त मतपत्र :–

1. जब असली मतदाता की जगह कोई फर्जी मतदाता मत देकर चला जाता है और बाद में असली मतदाता मत देने आता है जिससें उसकी पहचान बाबत जानकारी से आप संतुष्ट हो जाते है तो उसे मतदान मशीन से मत रिकार्ड करने की अनुमति देने के बजाय 'टेण्डर मत पत्र' दिया जायेगा।
2. यह 'निविदत्त मतपत्र' (Tendered Vote) वैसा ही मतपत्र होगा जो मतदान यूनिट में लगाया गया है, अन्तर इतना ही है कि ऐसे मतपत्र की पीठ पर आपको शब्द 'निविदत्त मतपत्र' अपने हाथ से लिखकर नीचे हस्ताक्षर करने होगे। दोनों चुनावों के पृथक–पृथक ''निविदत्त मतपत्र'' होंगे।
3. मतदान केन्द्र पर निविदत्त मतपत्र के लिये बीस मतपत्र आपको दिये जायेंगे। यदि ऐसी स्थिति बने कि 20 मतपत्र कम पडे तो आप जोनल ऑफिसर को बतायें ताकि वह अतिरिक्त मतपत्र का इन्तजाम करे।

4. मतदाता मतदान कक्ष में निविदत्त मतपत्र को चिन्हित करने और मोडने के पश्चात् उसे पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रखे गये लिफाफे में रखेगा तथा मतदान समाप्ति के पश्चात् उक्त लिफाफे को सीलबन्द कर दिया जायेगा। ये लिफाफे भी दोनों चुनावों के पृथक–पृथक होंगे यानि पी.ई.–46 एवं पी.ई.–47।

5. उपर्युक्त प्रकार से निविदत्त मतपत्र जारी करने से पूर्व आप मतदाता से ऐसे प्रश्न जिन्हें आप उसकी पहचान के बारे में स्वयं अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझते है, यदि उसकी पहचान के बारे में आपका समाधान हो जाता है तो ही आप उसकी बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगवा दें, पत्पश्चात् आप निविदत्त मतों की सूची प्ररूप–13 में आवश्यक प्रविष्ट कर दें और उस पर उस मतदाता के हस्ताक्षर करवा लें अथवा उसके अंगूठे का निशान लगवा लें इसके पश्चात् ही आप उसे निविदत्त मतपत्र जारी करें। निविदत्त मतपत्र के प्रकरण आप स्वयं को ही निपटाने चाहिए।

6. उक्त 'निविदत्त मतपत्र' को मतदाता को जारी करने से पूर्व आपके मतदान केन्द्र से संबंधित सुभिन्नकारी चिन्ह की मोहर से मतपत्र की पीठ पर स्टांपित भी किया जायेगा। सुभिन्नकारी चिन्ह में ऊपर वार्ड का क्रमांक और नीचे आपके मतदान केन्द्र का क्रमांक अंकित होगा।

7. मतदान की समाप्ति के पश्चात् निविदत्त मतपत्र की सूची (प्ररूप–13) को आप पृथक लिफाफे में रखें और उसे सीलबन्द कर दें। ये लिफाफे भी दोनों चुनावों के पृथक–पृथक होंगे यानि पी.ई.–48 एवं पी.ई.–49।

8. प्ररूप 14 के भाग की मद संख्या 8 में समस्त निविदत मतपत्र का सही लेखा रखेंगे। **परिशिष्ट–9** पर उदाहरण देखें।

9. निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देते समय उसे स्याही लगी हुयी ऐरो क्रॉस मार्क सील भी दी जायेगी। यह सील आपको मतदान सामग्री के साथ प्रदाय की जायेगी। निविदत्त मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित निर्वाचक मतदाता कक्ष में उसकी इच्छानुसार अभ्यर्थी के प्रतीक पर या नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) के विकल्प के लिए निर्धारित प्रतीक या उसके पास में ऐरो क्रॉस सील से चिन्हित करेगा।

(4) मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मत देने की अनुमति नहीं देना :–

ऐसा प्रत्येक निर्वाचक, जिसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखेगा। उसे मतदान प्रक्रिया का पालन कडाई से

करना चाहिए। यदि कोई निर्वाचक पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात् भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के निदेशाधीन कोई मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता से मतदाता पर्चियों को वापिस ले लेगा तथा मतदाता को मत नहीं देने दिया जायेगा। मतदाता पर्चियों को निरस्ती का अंकन कर प्रयुक्त मतदाता पर्चियों वाले लिफाफे में रखा जायेगा। मतदाता की मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि, जो कर दी गयी है, के रिमार्क कालम में इस आशय (मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है) का अंकन कर दिया जायेगा तथा पीठासीन अधिकारी इस टिप्पणी के नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर करेगा, किंतु उस निर्वाचक या किसी उत्तरवर्ती निर्वाचक की मतदाता रजिस्टर में दर्ज क्रम संख्या में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा।

अध्याय–8
मतों का रिकार्ड किया जाना और मतदान प्रक्रिया

(1) मतदाता की बांयी तर्जनी का निरीक्षण और अमिट स्याही का लगाया जाना :

1. प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा किसी निर्वाचक की पहचान सत्यापित किये जाने के पश्चात् और यदि उस निर्वाचक की पहचान के बारे में कोई चुनौती नहीं दी गई है, तो यथाशक्य शीघ्र, द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा, विहित रीति के अनुसार, उसकी बांयी तर्जनी को अमिट स्याही से चिन्हित किया जायेगा। यदि मतदाता बायीं तर्जनी का निरीक्षण या चिन्हित करवाने से इंकार करे या उसकी बांयी तर्जनी पर ऐसा कोई चिन्ह पहले से ही हो या स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करे तो उसे मत नहीं देने दिया जायेगा। यदि ऐसा देखने में आये कि किसी निर्वाचक ने अपनी अंगुली पर लगाये जाने वाले अमिट स्याही के चिन्ह को प्रभावहीन करने के लिए अपनी अंगुली पर कोई तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ लगा लिया है तो उस निर्वाचक की अंगुली पर अमिट स्याही का चिन्ह लगाने के पूर्व उपलब्ध कराये गये कपड़े के टुकड़े की सहायता से ऐसा तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ मतदान अधिकारी द्वारा हटाया जाना चाहिए। ऐसे अमिट स्याही का चिन्ह निर्वाचक की बांयी तर्जनी पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पूर्व लगाया जाता है ताकि जब तक निर्वाचक अपना मत देने के पश्चात् मतदान केन्द्र छोड़े तब तक अमिट स्याही को सूखने और एक सुस्पष्ट अमिट चिन्ह बनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाये।

2. **नये सिरे से मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग :–** नये सिरे से मतदान/पुनः मतदान प्रत्यादिष्ट मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगाये गये चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और मतदाता के बांयी मध्यमा (Middle Finger) के नाखून की जड़ में अमिट स्याही से नया चिन्ह इस प्रकार लगाया जाये कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ के बीच में फैल जायें और एक स्पष्ट चिन्ह रह जाये।

3. **निर्वाचक की बांयी तर्जनी न होने की स्थिति में अमिट स्याही का लगाया जानाः** यदि किसी निर्वाचक की बांयीं तर्जनी न हो तो अमिट स्याही उसकी ऐसी किसी भी अंगुली पर लगाई जानी चाहिए जो उसके बायें हाथ में हो। यदि उसके बायें हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो स्याही उसकी दायीं तर्जनी पर लगाई जानी चाहिए और उसके दायीं तर्जनी भी न हो तो उसकी दायीं तर्जनी से प्रारम्भ करते हुए उसके दांये हाथ की किसी भी अन्य अंगुली

पर स्याही लगाई जानी चाहिए। यदि उसके किसी भी हाथ पर कोई भी अंगुली न हो तो स्याही उसके बायें या दायें हाथ के ऐसे सिरे (ठूंठ) पर, जो भी उसके हो, लगाई जानी चाहिए।

(2) मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टियां एवं मतदाताओं के हस्ताक्षर :–

1. **मतदाताओं के रजिस्टर में मतदाता की मतदाता नामावली संख्या का अभिलेख :** पूर्ववर्ती पैरा में स्पष्ट की गई रीति से द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की बायीं तर्जनी को चिन्हांकित करने के पश्चात् उसे मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 12) में ऐसे निर्वाचक का अभिलेख रखना चाहिए और उस रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करना चाहिए। ऐसा अभिलेख मतदाताओं के रजिस्टर में, द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति में रखा जायेगा:–

   i. मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में, द्वितीय मतदान अधिकारी, क्रम संख्या से प्रारम्भ करते हुए निर्वाचकों की क्रम संख्या क्रमवार लिखेगा। मतदान के प्रारम्भ के समय वह कुछ पृष्ठों पर पहले से ही ऐसी क्रम संख्याऐं लिख सकता है।

   ii. उक्त रजिस्टर के स्तम्भ (2) में, निर्वाचक की निर्वाचक नामावली संख्या (अर्थात क्रम संख्या) लिखेगा जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दर्ज है। उदाहरण के लिए यदि प्रथम निर्वाचक का नाम, जो मतदान प्रारम्भ होने के समय मतदान केन्द्र पर मत डालने आता है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में क्रम संख्या 256 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाताओं के रजिस्टर के प्रथम स्तम्भ में क्रम संख्या 1 और द्वितीय स्तम्भ में क्रम संख्या 256 लिखेगा। इसी तरह यदि द्वितीय मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या 304 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी रजिस्टर के स्तम्भ 1 में क्रम संख्या 2 और स्तम्भ 2 में क्रम संख्या 304 लिखेगा और इसी तरह आगे भी। ऊपर वर्णित रीति में, किसी निर्वाचक के संबंध में रजिस्टर के स्तम्भ (1) और (2) भर लेने के पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी, रजिस्टर के स्तम्भ (3) में, उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करेगा।

2. **मतदाता के हस्ताक्षर की परिभाषा :–** हस्ताक्षर से अभिप्राय है कि किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति का नाम उस दस्तावेज को अभिप्रमाणित करने के आशय से लिखा जाना। किसी साक्षर व्यक्ति से, मतदाताओं के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय उसका नाम

अर्थात् उसका पूरा नाम या नामों और उपनाम दोनों ही या किसी भी दशा में उसका पूरा उपनाम या नाम लिखने की अपेक्षा की जायेगी। किसी साक्षर मतदाता के मामले में श्रेयस्कर तो यह होगा कि उससे हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाये अर्थात उसका पूरा नाम और उपनाम दोनों हों। यदि कोई साक्षर व्यक्ति साधारणतः कोई चिन्ह लगा दे और स्वयं को एक साक्षर व्यक्ति हाने का दावा करते हुए उस चिन्ह को ही हस्ताक्षर मान लेने पर जोर देता रहे तो उस चिन्ह को हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता क्योंकि साक्षर व्यक्ति के मामले में हस्ताक्षर से अभिप्राय है, स्वयं उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम, दस्तावेज जिस पर वह अपना नाम लिखता है, तो अधिप्रमाण स्वरूप लिखना है। ऐसी दशा में यदि वह अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो उस स्थिति में उसके अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि वह अपने अंगूठे का निशान लगाने से भी इंकार कर दे तो उसे मत डालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

3. **मतदाता के अंगूठे का निशानः–** (i) यदि कोई निर्वाचक अपने नाम के हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाताओं के रजिस्टर पर उसके बायें हाथ के अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करना चाहिए। यह बात नोट कर लें कि पीठासीन अधिकारी या किसी मतदान अधिकारी कि लिए रजिस्टर पर ऐसे अंगूठे के निशान को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है।

(ii) राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 38 क के स्पष्टीकरण के अनुरूप अमिट सयाही लगाने के बारे में यदि मतदाता का बायां अंगूठा नही हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि दोनो अंगूठे न हों तो बाये हाथ की तर्जनी से प्रारम्भ करते हुए किसी भी अंगुली का निशान लेना चाहिए। यदि बाये हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो उस स्थिति में दायें हाथ की तर्जनी से प्रारम्भ करते हुए किसी भी अंगुली का निशान लेना चाहिए।

(iii) यह आवश्यक है कि मतदाताओं के रजिस्टर पर अंगूठे का निशान साफतौर पर अंगूठे का निशान ही होना चाहिए। स्टाम्प पैड से मतदाता के अंगूठे पर स्याही इतनी हल्की नहीं लगानी चाहिए कि यह केवल धुंधलासा या अस्पष्ट निशान ही बन पाये और न ही अंगूठे पर इतनी ज्यादा स्याही लगानी चाहिए कि यह रजिस्टर पर एक स्पष्ट अंगूठे के निशान के बजाय एक धब्बा ही बन जाये।

(iv) अंगूठे का निशान लेने के पश्चात् निर्वाचक के अंगूठे की स्याही गीले कपडे की सहायता से पोंछ दी जानी चाहिए।

(3) **मतदाता को मतदाता पर्ची जारी किया जानाः–**

(i) जैसा कि बताया जा चुका है, दो चुनाव होने पर मतदाता पर्चियां भी दो होगी और उनका रंग भी अलग–अलग होगा।

(ii) किसी मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने और मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिए दो मतदाता पर्ची एक पीले रंग की जिला परिषद् सदस्य चुनाव के लिए व दूसरी नीले रंग की पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए निम्नलिखित प्ररूप में तैयार करेगाः–

मतदाता पर्ची

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार निर्वाचक की क्रम सं . . . .
निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की क्रम सं. . . . .
मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर . . . .

(iii) ये मतदाता पर्चियां किसी पोस्ट कार्ड के आधे आकार के कागज पर मुद्रित करायी जायेंगी और आपके मतदान केन्द्र को समनुदेशित मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए, सौ पर्चियों और या पचास पर्चियों का स्टिच किया हुआ प्रत्येक बंडल मतदान सामग्री की किसी मद के रूप में आपको प्रदायित किये जायेंगे।

(iv) प्रत्येक मतदाता के संबंध में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा तैयार की गई मतदाता पर्चियां उसके द्वारा उस मतदाता को परिदत्त की जायेंगी और मतदाता को तृतीय मतदान अधिकारी या यथास्थिति चतुर्थ मतदान अधिकारी, जो क्रमशः जिला परिषद् सदस्य व पंचायत समिति सदस्य चुनाव की मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी हो, के पास जाने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

(4) अनुक्रमिक रूप से मतों का रिकार्ड किया जाना :–

1. मतदाता जैसे ही द्वितीय मतदान अधिकरी द्वारा उसे जारी की गयी मतदाता पर्ची के साथ तृतीय मतदान अधिकारी या, यथास्थिति, चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास आयेगा वैसे ही

उसे, ऐसी मतदाता पर्ची के आधार पर ही, मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। अनुज्ञात करने से पूर्व उस मतदाता को दी गई पर्ची को तृतीय या यथास्थिति चतुर्थ मतदान अधिकारी रख लेगा।

2. यह आवश्यक है कि मतदाता मतदान मशीन में अपने मत उसी क्रम में रिकार्ड कराये जिस क्रम में वे मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किये गये हैं। नियंत्रण यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी को, मतदान पर्ची में उल्लिखित क्रम संख्या के अनुसार ही मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने देने के लिए अनुज्ञात करना चाहिये।

3. यदि किसी असाधारण परिस्थिति या अपरिहार्य कारण से किसी निर्वाचक के बारे में ऐसी निश्चित क्रम संख्या का अनुसरण करना सम्भव न हो तो वही क्रम संख्या, जिस पर वह मत डाल चुका है, दर्शाने वाली एक उपयुक्त प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तम्भ में संबधित व्यक्ति के सामने रिकार्ड की जायेगी। पश्चात्वर्ती मतदात, जिसका क्रम उसके कारण से उलट–पुलट हो गया है, के संबंध में समरूप प्रविष्टि भी की जानी चाहिये।

(5) मत रिकार्ड करने के लिए मतदाता को अनुमति देनाः–

1. जैसे ही मतदाता, मतदाता पर्ची के साथ नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय या यथास्थिति चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास आये तो मतदाता पर्ची उस मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता से ले ली जायेगी और उसे मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

2. मतदाताओं से संकलित की गयी समस्त मतदाता पर्चियां सावधानीपूर्वक संरक्षित की जायेगी और मतदान के अन्त में दोनों चुनावों की पृथक–पृथक लिफाफे में रखी जायेगी। इस प्रयोजन के लिए लिफाफा नं. पी.ई.–44 एवं पी.ई.–45 आपको प्रदाय किये गये है जो सील किये जायेगें और सुरक्षित रखे जायेगें।

3. मतदाता से मतदाता पर्ची संग्रहीत कर लेने के पश्चात् उसकी बायीं तर्जनी की आप द्वारा नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय एवं चतुर्थ मतदान अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी। यदि उस पर लगी हुई अमिट स्याही अस्पष्ट है या हटा दी गयी है तो उसे दुबारा इस प्रकार लगाया जायेगा जिससे कि एक स्पष्ट अमिट चिन्ह बने।

4. उक्त कार्यवाही के बाद मतदाता को अपना मत रिकार्ड करने के लिए संबंधित मतदान कक्ष में जाने के लिए निर्देशित किया जावेगा।

(6) मतदान प्रक्रिया :–

1. मतदाता अपना मत रिकार्ड कर सके, इसके लिए नियंत्रण यूनिट का 'बैलेट' बटन, उस यूनिट के प्रभारी तृतीय या यथास्थिति चतुर्थ मतदान अधिकारी द्वारा दबाया जायेगा जो कि मतदान कक्ष में मत रिकार्ड करने के लिए मतदान यूनिट (यूनिटों) को तैयार रखेगा। बैलेट बटन दबाये जाने पर नियंत्रण यूनिट की 'बिजी' बत्ती लाल हो जायेगी और साथ ही साथ मतदान कक्ष में मतदान यूनिट पर की 'रेडी' बत्ती हरी हो जायेगी।

2. मतदाता मतदान कक्ष में मतदान यूनिट पर, अपनी पसन्द के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने उपलब्ध 'केण्डीडेट बटन' को दबा कर अपना मत रिकार्ड करेगा। जैसे ही वह बटन दबायेगा मतदान यूनिट पर उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने उपलब्ध बत्ती लाल होना शुरू हो जायेगी और मतदान यूनिट पर की हरी बत्ती बुझ जायेगी। नियंत्रण यूनिट से बाहर आने वाली बीप ध्वनि भी सुनायी देगी। कुछ ही क्षणों पश्चात्, बीप ध्वनि और मतदान यूनिट पर के केण्डीडेट लैम्प की लाल बत्ती और नियंत्रण यूनिट पर की 'बिजी' लैम्प की लाल बत्ती भी बन्द हो जायेगी।

3. ये दृश्य और श्रव्य संकेत इस बात के द्योतक हैं कि मतदान कक्ष में का मतदाता अपना मत रिकार्ड कर चुका है। मतदाता को तत्काल मतदान कक्ष से बाहर आ जाना चाहिए और मतदान केन्द्र छोड देना चाहिये।

4. उपर्युक्त प्रक्रिया प्रत्येक समय दोहरायी जायेगी जब अगले मतदाता को अपना मत रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात किया जाना हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान कक्ष में मत डालने के लिए एक समय में केवल एक ही मतदाता जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियंत्रण यूनिट पर का बैलेट केवल तब दबाया जाये जब पूर्व मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जाये।

(7) डाले गये मतों की संख्या का समय–समय मिलान :–

1. किसी भी समय, यदि उस समय तक डाले गये मतों की कुल संख्या ज्ञात की जानी हो तो नियंत्रण यूनिट का 'टोटल' बटन दबाया जाना चाहिये। तब नियंत्रण यूनिट का प्रदर्शन पैनल उस समय तक डाले गये कुल मतों की संख्या दर्शायेगा। ऐसा समय–समय से किया जाना चाहिये और उसका मिलान मतदाताओं के रजिस्टर में दर्शितानुसार उस समय तक मत देने के लिए अनुज्ञात मतदाताओं की संख्या से करना चाहिए।

2. पीठासीन अधिकारी को उसकी डायरी में बताये गये अन्तराल में डाले गये मतों की संख्या ज्ञात करनी चाहिए और उसका मिलान करना चाहिए तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी के संबंधित स्तम्भ में, डाले गये मतों की संख्या अंकित करनी चाहिये।

3. टोटल बटन को केवल तब दबाना चाहिए जब 'बिजी' बत्ती चालू न हो अर्थात् केवल मत देने के लिए अनुज्ञात निर्वाचक के द्वारा अपना मत रिकार्ड कर देने के पश्चात् और अगले निर्वाचक की बैलेट बटन दबाकर मत देने के लिए अनुज्ञात करने के पूर्व।

(8) मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश :–

1. जब कभी पीठासीन अधिकारी को इस बारे में कोई सन्देह हो सकता है या उसके पास यह सन्देह करने का कारण हो सकता है कि पर्दायुक्त मतदान कक्ष में रखी गयी मतदान यूनिट ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है या कोई निर्वाचक, जिसने मतदान कक्ष में प्रवेश किया है, मतदान यूनिट से छेडछाड कर रहा है या अन्यथा हस्तक्षेप कर रहा है या असम्यक् लम्बी अवधि तक मतदान कक्ष में रूका हुआ है तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे मामलों में नियम 36–ख के अधीन मतदान कक्ष में प्रवेश करने और ऐसे कदम दठाने का अधिकार है जो वह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे कि मतदान यूनिट से किसी भी तरह की कोई छेडछाड नहीं की गयी है या उसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है और मतदान निर्बाध गति से और व्यवस्थित रूप से चल रहा है।

2. जब कभी भी पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष में प्रवेश करे तो उसे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को अपने साथ जाने के लिए कहना चाहिए । वैसे, पीठासीन अधिकारी को किसी अशिक्षित मतदाता को इलैक्ट्रोनिक मशीन का उपयोग कैसे करना है, समझाने के लिए मतदान कक्ष में नहीं जाना चाहिए। जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एक प्रिन्टेड कार्डबोर्ड पर डमी बैलेट यूनिट का मॉडल पीठासीन अधिकारी को मुहैया कराये जिससे पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष के बाहर ई.वी.एम. मशीन का उपयोग समझा सकता है। 'बैलेट यूनिट मॉडल' पर 'डमी नाम' एवं 'प्रतीक' जो कि उपयोग में न हो ही अंकित होना चाहिए। वास्तविक नाम एवं प्रतीक का उपयोग न हो। बत्ती के रंग 'नीला' 'हरा' एवं 'लाल' स्पष्ट तौर पर हो। अशिक्षित मतदाता को मतदान करने की प्रक्रिया मतदान कक्ष के बाहर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में समझायें।

अध्याय–9
मतदान का स्थगन या मतदान को रोका जाना

(1) बलवे इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन :–

1. राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48 सपठित नियम 58 के अंतर्गत किसी मतदान बूथ का पीठासीन अधिकारी शान्ति भंग होने आदि स्थिति के कारण मतदान असंभव हो जाने पर मतदान के स्थगित कर सकता है।

2. यदि बलवा हो जाये या खुले रूप में हिंसा करने का कोई प्रयास किया जाये तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस का उपयोग करें। तथापि, यदि उसे नियंत्रण न किया जा सके और मतदान को जारी रखना असम्भव हो, तो आपको मतदान स्थगित कर देना चाहिए।

3. मतदान स्थगन के प्रत्येक मामले में आप रिटर्निग ऑफिसर को संपूर्ण तथ्यों के बारे में तत्काल रिपोर्ट करें। जहां कहीं मतदान स्थगित हो गया हो वहां आप सभी उपस्थित व्यक्तियों को औपचारिक रूप से घोषणा करके सूचित कर दें कि मतदान उस दिन होगा जो बाद में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

4. आप मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में दोनों चुनावों की मतदान मशीनों की दोनों प्रकार की यूनिटों और समस्त निर्वाचन पत्रों को सील कर दें तथा सुरक्षित रख दें मानों मतदान सामान्य रूप से सम्पन्न हो गया हो।

(2) स्थगित मतदान को पूर्ण किया जानाः–

1. किसी मतदान बूथ पर मतदान स्थगित हो चुका है वहॉ स्थगित मतदान जिस स्तर पर स्थगन से ठीक पूर्व छोडा गया था उससे आगे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत तारीख और समय पर पुनः करवाया जायेगा अर्थात् जिन निर्वाचकों ने स्थगित मतदान के पूर्व मतदान नहीं किया है उन्हें ही स्थगित मतदान में मत देने की अनुमति दी जायेगी। रिटर्निग ऑफिसर, उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को जिस पर ऐसा स्थगित मतदान होना है, निर्वाचक नामावली को चिन्हित प्रति से युक्त मुहरबंद पैकिट और प्ररूप 12 में मतदाताओं का रजिस्टर जो उस मतदान केन्द्र पर पूर्व में प्रयुक्त हुये थे तथा नयी मतदान मशीने, उपलब्ध करायेगा।

2. स्थगित मतदान पुनः प्रारम्भ कराये जाने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से युक्त मुहरबंद पैकिट और मतदाताओं का रजिस्टर, उपस्थित अभ्यर्थियों

या उनके अभिकर्ताओं, जो भी मतदान बूथ पर उपस्थित हो, के समक्ष पुनः खोला जाना चाहिए और निर्वाचक नामावली की उसी चिन्हित प्रति और मतदाताओं के रजिस्टर का स्थगित मतदान में प्रयोग किया जाना चाहिए।

3. नियमों के प्रावधान किसी स्थगित मतदान के संचालन पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे इस प्रकार स्थगित होने के पूर्व के मतदान पर लागू थे।

4. जहां मतदान दल के नहीं पहुंचने या अन्य कारणों से मतदान प्रारम्भ नहीं किया जा सका हो वहां ऊपर उल्लिखित नियमों के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे स्थगित मतदान पर वैसे ही लागू होंगे जैसे व मूल मतदान पर लागू होते है।

(3) मतदान मशीन की विफलता, बूथ पर कब्जा इत्यादि करने के करण मतदान का रोका जानाः—

1. राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48—क एवं 48—ख के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग किसी मतदान केन्द्र पर मतदान को शून्य घोषित करने और नये मतदान का निदेश देने के लिए सक्षम है, यदि उस मतदान केन्द्र पर :—

    (i) कोई अप्राधिकृत व्यक्ति अवैध रूप से किसी मतदान मशीन को उठाकर ले जाये, या

    (ii) कोई भी मतदान मशीन दुर्घटनावश या साशय नष्ट हो गयी हो या खो गयी हो या ऐसी सीमा तक क्षतिग्रस्त हो गयी हो या उसमें गडबड कर दी गयी हो कि उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम उस कारणवश अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, या

    (iii) किसी मतदान मशीन में मतों को रिकार्ड करते समय कोई तकनीकी खराबी आ गयी हो, या

    (iv) प्रक्रिया में कोई भूल या अनियमित्ता हो गयी हो जिससे मतदान के दूषित होने की संभावना हो, या

    (v) बूथ पर कब्जा हो गया हो। (उक्त नियम 48—ख में यथा—परिभाषित)

2. यदि ऐसी कोई घटना आपके मतदान बूथ पर घटित हुयी हो तो आपको पूरे तथ्यों की रिपोर्ट तत्काल रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए ताकि वह इस मामले की रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के लिए भेज सकें।

3. यदि आयोग समस्त तात्विक परिस्थितियों पर विचार के पश्चात् किसी मतदान बूथ पर नये मतदान कराये जाने का निर्देश दे तो ऐसा नया मतदान उसी रीति से कराया जायेगा जैसे मूल मतदान हुआ है।

4. नये मतदान की स्थिति में मतदान बूथ पर मत देने के हकदार सभी निर्वाचक, नये मतदान पर पुनः मत देने के हकदार होंगे। मूल मतदान में लगाया गया अमिट स्याही का चिन्ह नये मतदान के समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। नये मतदान के समय बनाये गये चिन्हों का, पहले से ही बनाये गये मूल मतदान के समय के चिन्हों से भेद करने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि नये मतदान में अमिट स्याही का चिन्ह मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली पर लगाया जाना चाहिए।

(4) बूथ पर कब्जे के मामले में मतदान मशीन का बन्द किया जाना :—

1. जहां किसी मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि मतदान बूथ पर कब्जा किया जा रहा है तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे और मत रिकार्ड नही किये जा सकें, मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को तत्काल बन्द कर देगा और वह नियंत्रण यूनिट से मतदान यूनिट (यूनिटों) को पृथक् कर देगा।

2. आपको ऊपर उल्लिखितानुसार मतदान बन्द किये जाने की रिपोर्ट केवल तब ही करनी चाहिए जब आपको यह निश्चित हो जाये कि बूथ पर कब्जा किया जा रहा है न कि केवल बूथ का कब्जा किये जाने की संभावना के बारे में आशंका या संदेह ही हो। यह इसलिए है क्योंकि जब एक बार 'क्लोज' बटन दबाकर नियंत्रण यूनिट को बन्द कर दिया जाता है। तो मतदान मशीन आगे और मत रिकार्ड नहीं करेगी और मतदान या तो उस दिन के लिए या अस्थायी रूप से, उस मतदान केन्द्र पर आगे मतदान कराने के लिए आपको नयी मशीन उपलब्ध कराये जाने तक आवश्यक रूप से स्थगित करना होगा।

3. मतदान मशीन बन्द करने के पश्चात् ज्यों ही संभव हो आपको पूरे तथ्यों सहित मामले की रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे मामले के पूरे तथ्यों की रिपोर्ट संसूचना के उपलब्ध सबसे तीव्र माध्यम द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को करेगा।

4. राज्य निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर समस्त तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि यह समाधान हो जाये कि मतदान दूषित हो गया था तो उस मतदान केन्द्र पर के मतदान को शून्य घोषित कर सकेगा और उस मतदान केन्द्र पर नये मतदान का निर्देश दे सकेगा।

5. जहां मतदान, ऊपर उप पैरा 1 के अनुसार मतदान मशीन बन्द करके उस दिन के लिए स्थगित/रोक दिया है वहां मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्र उसी रीति से मुहर बन्द और सुरक्षित रखे जायेंगे जैसे मतदान के बन्द होने पर।

6. आयोग द्वारा अधिसूचित दिनांक व समय पर नये सिरे से मतदान कराने के लिए आगे की कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय–10
मतदान की समाप्ति तथा मशीन और कागजात को बन्द करना एवं मोहर लगाना

(1) मतदान को बन्द किया जाना :–

1. पीठासीन अधिकारी नियम 58 के अधीन नियत किये गये समय पर मतदान बूथ को बन्द करेगा और उसके पश्चात् मतदान बूथ में किसी भी मतदान को प्रवेश नहीं करने देगा। मतदान बन्द करने के नियत समय से कुछ मिनट पूर्व उन सब व्यक्तियों के समक्ष जो मतदान करने के लिये मतदान बूथ की सीमा के अन्दर प्रतीक्षा कर रहे हों, आप यह घोषणा कर दें कि उन्हें बारी–बारी से अपना मत अंकित करने की अनुमति देंगे आप ऐसे समस्त मतदाताओं को एक–एक पर्ची जिस पर आपके पूर्ण हस्ताक्षर एवं क्रम संख्या अंकित है, वितरित कर दें। उस समय पंक्ति में खडे मतदाताओं की क्रमवार संख्या (एक से प्रारम्भ करते हुये) में पर्चियों बांट दें। मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के पश्चात् भी आप मतदान तब तक जारी रखें जब तक कि ऐसे समस्त मतदाता अपना मत नहीं दे देते है। मतदान की समाप्ति के पश्चात् कोई भी अन्य व्यक्ति पंक्ति में सम्मिलित न हो जाये इस बात की देख–रेख के लिये आप मतदान बूथ पर तैनात पुलिस/कर्मचारियों को हिदायत कर देवें। यह कार्य प्रभावी ढंग से तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब कि उन समस्त मतदाताओं को पर्चियों पंक्ति के अंतिम छोर से बांटना प्रारम्भ करते हुये पंक्ति के अग्रिम भाग तक बांट दी जाये।

2. मतदान बन्द करने के लिये नियत समय पर उपस्थित समस्त मतदाताओं द्वारा मतदान किये जाने के पश्चात् आप मतदान समाप्ति की विधिवत् घोषणा कर दें और तत्पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को मत देने की अनुमति न देवें।

(2) मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का बन्द करना :–

1. अन्तिम मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात् मतदान बन्द करने के लिए मतदान मशीन को बन्द किया जाना चाहिए ताकि मतदान मशीन में आगे और कोई मत रिकार्ड किया जाना सम्भव न हो। इस प्रयोजन के लिए, आपको नियंत्रण यूनिट के 'क्लोज' बटन को दबाना चाहिए। जब 'क्लोज' बटन दबाया जाता है तब नियंत्रण यूनिट का प्रदर्शन पैनल, मतदान के अन्त तक मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या प्रदिर्शित करेगा। मतदान मशीन में रिकार्ड मतों की कुल संख्या प्ररूप 14 के भाग I की मद 5 में तत्काल नोट की जानी चाहिए।

2. ‘क्लोज’ बटन इसके बाहरी आवरण पर नीले रंग की रबड की कैप के नीचे परिणाम सेक्शन के कक्ष पर, उपलब्ध है और रबड कैप को खीचने मात्र से इस तक पहुंचा जा सकता है। रबड कैप को, ‘क्लोज’ बटन दबाये जाने और मतदान होने के पश्चात् वापिस लगा दिया जाना चाहिए।

3. ‘क्लोज’ बटन को एक बार दबाये जाने के पश्चात् मतदान मशीन आगे और कोई मत स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए ‘क्लोज’ बटन के पूर्व आपको इस बात से अति सावधान और पूर्णतया निश्चित होना चाहिए कि मतदान बन्द करने के नियत समय पर उपस्थित कोई निर्वाचक, मत देने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

4. आपको यह भी नोट करना चाहिए कि ‘क्लोज’ बटन केवल तब ही कार्य करेगा जब नियंत्रण यूनिट पर का ‘बिजी’ लैम्प चालू न हो अर्थात् मत देने के लिए अनुज्ञात अन्तिम निर्वाचक के पश्चात् ही जब उसने अपना मत रिकार्ड कर दिया हो। अन्तिम निर्वाचक द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात् भूलवश ‘बैलेट’ बटन दबाये जाने के कारण या ऐसे अंतिम निर्वाचक द्वारा ‘बैलेट’ बटन दबाये जाने के पश्चात् अपना मत रिकार्ड कराने से इन्कार करने के कारण यदि ‘बिजी’ लैम्प चालू हो जाता है तो ‘बिजी’ लेम्प को नियंत्रण यूनिट (यूनिटों) को सम्बंध विच्छेद करके बन्द किया जा सकता है। नियंत्रण यूनिट से मतदान यूनिट (यूनिटों) को सम्बन्ध विच्छेद करने के पश्चात् ‘पावर’ को दुबारा चालू किया जाना चाहिए। अब ‘बिजी’ लैम्प बुझ जायेगा और ‘क्लोज’ बटन क्रियाशील हो जायेगा।

(3) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करना :–

1. आपसे मतदान की समाप्ति के पश्चात् राज. पंचायती राज (निर्वाचन) नियमों के नियम 47 ग के अधीन मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। आप द्वारा ऐसे लेखे प्ररूप 14 के भाग I में तैयार किये जायेंगे।

2. जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है मतदान की समाप्ति के समय मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या ‘क्लोज’ बटन दबाकर अभिनिश्चित की जायेगी। यदि आवश्यक हो तो अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए उस बटन को दबाया जा सकता है।

3. आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या, मतदान की गोपनीयता का अतिक्रमण करने पर मत देने के लिए आप द्वारा अनुज्ञात नहीं किये गये मतदाताओं की संख्या भी घटाकर (उक्त रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तम्भ के अनुसार) मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 12) के स्तम्भ (I) के अनुसार दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या के समतुल्य होनी चाहिए।

4. प्ररूप 14 के भाग I में तैयार किये गये रिकार्डेड मतों एवं पेपर सीलों के लेखे को एक नमूना **परिशिष्ट–9** पर आपके मार्गदर्शनार्थ दिया गया है।

5. दोनों चुनावों के लिए रिकार्ड किये मतों व पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप 14) पृथक–पृथक बनेगा। प्ररूप 14 में रिकार्ड किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा, जिला परिषद सदस्य चुनाव का लिफाफा नम्बर पी.ई. 54 में तथा पंचायत समिति सदस्य चुनाव का लिफाफा नम्बर पी.ई. 53 में रखा जायेगा और इनकी एक अतिरिक्त प्रति पीठासीन अधिकारी की डायरी से संबंधित लिफाफा नं. पी.ई. 52 में भी रखी जानी चाहिए।

6. मतदान की समाप्ति के समय उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता प्ररूप 14 में आप द्वारा तैयार किये गये रिकार्डेड मतों एवं पेपर सीलों के लेखों की प्रति लेना चाहे तो उसे प्रमाणित करते हुए उक्त प्रति देवें।

(4) मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन का मुहर बन्द किया जाना

1. मतदान की समाप्ति के पश्चात् और मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा प्ररूप 14 में तैयार करने तथा चाहे जाने पर इसकी प्रतियां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को देने के पश्चात् मतदान मशीन को मुहर बन्द किया जाना चाहिए और गणना/संग्रह केन्द्र तक परिवहन हेतु सुरक्षित रखना चाहिए।

2. मतदान मशीन को मुहर बन्द करने और सुरक्षित करने के लिए मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट का सबसे पहले सम्बन्ध विच्छेद किया जाना चाहिए और नियंत्रण यूनिट के पावर स्विच को बन्द किया जाना चाहिए। मतदान यूनिट (टों) और नियंत्रण यूनिट को संबंधित वहन बक्सों में रख देना चाहिए।

3. तब प्रत्येक वहन बक्से को, ऐसे वहन बक्से के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये दो छिद्रों में से एक धागा डालकर और पंचायत समिति, या यथास्थिति जिला परिषद सदस्य निर्वाचन, मतदान बूथ तथा उसमें अन्तर्विष्ट यूनिट की विशिष्टियॉ दर्शाते हुए संबंधित चुनाव वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी की मुहर सहित धागे की सील लगाते हुए मुहर बन्द किया जाना चाहिए।

4. मतदान यूनिट के ऊपर एड्रेस टैग पर की विशिष्टियां पूर्व में बतायी हुयी है। संबंधित चुनाव के अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित हों और अपनी मुहर लगाने के इच्छुक हों तो उन्हें ऐसा करने के लिए भी अनुज्ञात करना चाहिए। एड्रेस टैगों पर विशिष्टियॉ साफ–साफ सही लिखी होनी चाहिये। एड्रेस टैग दो रंग के हैं, पीले रंग वाले एड्रेस टैग

जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिये है और नीले (Blue) रंग वाले एड्रेस टैग पंचायत समिति चुनाव के लिये है।

(5) पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा करना :–

मतदान की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति की घोषणा करेगा और वहां उपस्थित अभ्यार्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं को कहेगा कि मतदान यूनिटों व नियंत्रण यूनिटों के बक्सों पर एड्रेस टैग और कागजात जिनको कि वह मोहर बंद कर रहा है उन पर चाहे तो वे (जो जिस चुनाव से संबंधित हों) भी अपनी सील लगा सकते है और जो सील लगाना चाहे उनको अपनी अपनी सील लगाने देगा तथा पीठासीन अधिकरी की घोषणा के प्ररूप परिशिष्ट–7 के भाग–3 में ऐसे अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त करेगा तथा उनके नाम भी उस घोषणा में नोट करेगा। पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर देने के पश्चात् वह इन्हें पृथक–पृथक लिफाफे में रखेगा तथा इन लिफाफों (लिफाफा नम्बर पी.ई.–55 एवं पी.ई.–56) को सीलबन्द नहीं किया जायेगा।

(6) निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को मोहर बंद करना :–

1. मतदान की समाप्ति होने के पश्चात् आपको दोनों चुनावों में प्रत्येक चुनाव के निम्न प्रकार के 4–4 लिफाफें पृथक्–पृथक् सीलबन्द करने है जो निम्न प्रकार से है :–

(i) प्रयुक्त मतदाता पर्चियॉ	लिफाफा नं. पी.ई–44 एवं पी.ई.45
(ii) प्रयुक्त निविदत मतपत्र	लिफाफा नं. पी.ई–46 एवं पी.ई.47
(iii) निविदत मतपत्र की सूची	लिफाफा नं. पी.ई–48 एवं पी.ई.49
(iv) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र	लिफाफा नं. पी.ई–50 एवं पी.ई.51

2. निम्नांकित कागजात जो दोनों चुनावों में एक ही उपयोग में आयी है उसके दो लिफाफे आपको दोनों चुनावों के सम्मिलित बनाने है और इन्हें भी सील बन्द करना है।

(i) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति	लिफाफा नं. पी.ई–42
(ii) मतदाता रजिस्टर	लिफाफा नं. पी.ई–43

(7) अन्य कागजात तैयार करना :–

उपर्युक्त में बताये गये सीलबन्द लिफाफों के अलावा निम्नांकित लिफाफे और तैयार होंगे लेकिन उन्हें सीलबन्द नहीं किया जायेगा जो निम्न प्रकार से है :–

1. रिकार्ड किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा प्ररूप–14 में बनाया जायेगा जिसकी दो प्रतियां दोनों चुनावों में पृथक–पृथक तैयार की जायेगी। एक–एक प्रति पृथक लिफाफा नं. पी.ई 53 एवं पी.ई. 54 में रखी जायेगी और दूसरी एक–एक प्रति पीठासीन अधिकारी की डायरी में संलग्न कर लिफाफा पी.ई. 52 में रखी जायेगी। पिंक पेपर सीलों का लेखा पृथक से बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिंक पेपर सीलों का लेखा प्ररूप 14 रिकार्ड किये गए मतों का लेखा में भाग–1 के मद 9 में ही अंकित करना है।

2.	पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान समाप्ति पर की गयी घोषणायें (दोनों चुनावों की पृथक–पृथक)	लिफाफा नं. पी.ई–55 एवं पी.ई.56
3.	पीठासीन अधिकारी की डायरी (दोनों चुनावों की एक)	लिफाफा नं. पी.ई–52
4.	सांख्यकीय आंकडों का लिफाफा (दोनों चुनावों की एक)	लिफाफा नं. पी.ई–2
5.	विविध कागजात का लिफाफा जिसमें होंगेः– (दोनों चुनावों का एक)	लिफाफा नं. पी.ई–57

(i) अप्रयुक्त मतदाता पर्चियां

(ii) अप्रयुक्त एड्रेस टैग एवं स्पेशल टैग

(iii) पोलिंग अभिकर्ता की नियुक्ति के प्ररूप

(iv) मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियां (चिन्हित मतदाता सूची से भिन्न)

(v) मतदाताओं की आयु सम्बन्धी घोषणायें व सूची

(vi) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें

(vii) फार्मो के विक्रय की राशि

(viii) अन्य विविध कागजात

इस प्रकार संक्षिप्त में आपको लिफाफा नं. पी.ई. 42 से पी.ई. 51 तक तो चपडी से सीलबन्द करने है। तथा लिफाफा नं. पी.ई. 2 एवं पी.ई–52 से 57 तक आपको सील नहीं करने है। लिफाफा तैयार करते समय उन पर पृष्ठांकन करना नहीं भूलें। पृष्ठांकन प्रविष्टियां पूर्ण रूप से लिखें।

अध्याय–11
चुनाव अनियमितताएँ

इस पुस्तक में आपको अवलोकन के लिये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के उद्धरण परिशिष्ट–3 में दिये जा रहे हैं। धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125, 126, 127, 127 क, 128, 129, 130, 131, 132, 132 क, 133, 134, 134 क, 134 ख, 135, 135 क, 135 ख, 135 ग और 136 के प्रावधान भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लागू होंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धाराओं के उद्धरण भी परिशिष्ट–2 में बताये गये है। अतः जो चुनाव सम्बन्धी अनियमितताएं, भ्रष्ट आचरण, निर्वाचन अपराध, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में माने गये है। वे पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी माने जायेंगे और इन प्रावधानों के विपरीत कोई भी व्यक्ति कार्य करता है या आचरण करता है तो उसके विरूद्ध आप ड्यूटी पर तैयार पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का सहयोग ले सकते हैं। यद्यपि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के निर्वाचन संबंधी विवादों के प्रावधान आपके अवलोकन के लिये पुस्तक में उद्धरित कर दिये गये है फिर भी निम्न प्रावधानों को संक्षेप में आपको बताया जा रहा है।

1. **चुनाव सभाओं आदि पर रोकः–** मतदान समाप्ति पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि में चुनाव सभाओं, जुलूसों, सिनेमा, टीवी पर प्रचार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि से चुनाव प्रचार पर रोक है। (धारा 126)
2. चुनाव ड्यूटी पर लगे अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष/विपक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने के कृत्य को भी अपराध माना गया है। (धारा 129)
3. **मत संयाचना पर रोक** :– मतदान केन्द्र में और मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर प्रचार करना आपराधिक कृत्य है। कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रचार करे तो पुलिस द्वारा उसे बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है। पोलिंग अभिकर्ता उस उम्मीदवार का, जिसका वह अभिकर्ता है, चुनाव–चिन्ह या उम्मीदवार के नाम का बैज नहीं पहन सकता है। इस प्रकार के बैज को चुनाव सम्बंधी चिन्ह का प्रदर्शन माना जायेगा जिसकी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 के अनुसार मनाही है।
4. **उम्मीदवारों के चुनाव मण्डप** :– उम्मीदवारों को मतदान केन्द्र के निकट 200 मीटर के एरिया में चुनाव मण्डप (बूथ) लगाने की मनाही है।

5. **मतदान केन्द्र के अन्दर या निकट उच्छृंखल आचरणः**— अगर कोई व्यक्ति उच्छृंखल आचरण करे तो आप उसे तुरन्त पुलिस द्वारा गिरप्तार करवा सकते है। यदि लाउडस्पीकर या मेगाफोन की आवाज के कारण मतदान केन्द्र की कार्यवाही में बाधा होती है तो आप उसे पुलिस द्वारा फौरन बन्द करवा सकते हैं (धारा 131)।

6. **उच्छृंखल व्यक्तियों को हटाया जाना** :— यदि कोई व्यक्ति मतदान के समय मतदान केन्द्र में उच्छृंखलता करता है या आपके कानूनी निर्देशों को नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्ति को आप मतदान केन्द्र से पुलिस के द्वारा या अन्य किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हटवा सकते हैं और यदि ऐसा व्यक्ति पुनः बिना आपके अनुमति के मतदान केन्द्र में प्रवेश करे तो आप उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी करवा सकते हैं (धारा 132)।

7. **मतदाताओं को लाने—ले जाने के लिये वाहनों का गैर कानूनी ढंग से किराये पर लेनाः**— आपके पास मतदाताओं को गैर कानूनी ढंग से लाने—ले जाने को रोकने के लिये कोई कारगर साधन नहीं है। लेकिन इस प्रकार की कोई शिकायत आपके सामने की जावे तो आप शिकायत करने वाले को समझा दें कि वह अपराध करने वालों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 सपठित धारा 125(5) के तहत संबंधित पुलिस स्टेशन पर मुकदमा दर्ज करवा दें। साथ ही आप भी समय समय पर भ्रमण कर रहे जोनल मजिस्ट्रटों अथवा रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी को तुरन्त अवगत करा दें एवं पुलिस कर्मचारी / अधिकारी को भी आप बता दें। साथ ही शिकायत करने वाले को यह भी समझा दें कि समय आने पर ऐसे उम्मीदवार के विरूद्ध चुनाव याचिका में इस आधार का वह उपयोग कर सकता है।

8. **चुनाव अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्यवाही की अवहेलना** :— यदि कोई पीठासीन अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर बिना किसी कारण के किसी ऐसे काम को करता हुआ पाया जावे या उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे सरकारी कार्यवाही भंग होती है तो ऐसा कर्मचारी धारा 134 के अन्तर्गत अपराध कारित करता है।

9. सरकारी कर्मचारी के किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन ऐजेंट, पोलिंग ऐजेन्ट या काउंटिंग ऐजेन्ट होने को भी अपराध माना गया है। (धारा 134 क)

10. पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस अधिकारी या कानून—व्यवस्था का कार्य देख रहे अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र में कोई शस्त्र नहीं ले जा सकता, इसका उल्लंघन भी अपराध है। (धारा 134 ख)

11. मतपेटियों/मतदान मशीन या निर्वाचन संबंधी कागजात एवं मतपत्र को कोई व्यक्ति जबरदस्ती लेने का प्रयास करे या ले जाये तो ऐसी स्थिति में आप तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे और पुलिस अधिकारी को भी रिपोर्ट करेंगे।

12. बूथ कैप्चरिंग धारा 135 क के अंतर्गत अपराध है।

13. मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा ताकि वे मत दे सके। (धारा 135 ख)

14. मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटे की अवधि में शराब का बेचना, वितरण करना या दिया जाना अपराध है। (धारा 135 ग)

अध्याय–12
मतदान मशीन एवं निर्वाचन संबंधी कागजात व सामग्री को जमा करना

जिला निर्वाचन अधिकारीयों/रिटर्निंग अधिकारियों के निर्देशानुसार बताये गये संग्रहण स्थल पर आपको मतदान मशीन एवं निर्वाचन संबंधी कागजात तथा अन्य सामग्री को जमा कराना है। साधारणतः संग्रहण स्थल पर मतदान मशीन, निर्वाचन कागजात एवं अन्य सामग्री को जमा कराने के लिये तीन काउंटर रखे जायेंगे, हालांकि उनमें थोडा फेर–बदल जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तीन प्रकार के काउंटर जहां कि आपको सामग्री जमा करानी है, वे निम्न प्रकार से होंगे, जहां पर निम्न प्रकार की सामग्री जमा करानी है:–

काउंटर नं. 1

जो कि स्ट्रांग रूम का होगा उस पर आपको निम्न आईटम जमा कराने है जहॉं संबंधित चुनाव के लिये अलग–अलग जमा होगें:–

(1)	उपयोग में ली गयी सीलबंद मतदान यूनिट व कंट्रोल यूनिट	
(2)	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा एवं पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप–14 ग)	लिफाफा नं. पी.ई. 53 एवं 54 (बिना सील किया हुआ)
(3)	पीठासीन अधिकारी की घोषणा	लिफाफा नं. पी.ई. 55 एवं 56 (बिना सील किया हुआ)
(4)	पीठासीन अधिकारी की डायरी	लिफाफा नं. पी.ई. 52 (बिना सील किया हुआ)

काउन्टर नं. 2

काउंटर नं. 2 पर निम्नांकित लिफाफे जमा करवाये जायेंगे :–

(1)	निर्वाचन नामावलियों की चिन्हित प्रति	लिफाफा नं. पी.ई. 42
(2)	मतदाता रजिस्टर (प्ररूप–12)	लिफाफा नं. पी.ई. 43
(3)	प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र	लिफाफा नं. पी.ई. 46 एवं 47
(5)	निविदत्त मतपत्र की सूची	लिफाफा नं. पी.ई. 48 एवं 49

(6) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र लिफाफा नं. पी.ई. 50 एवं 51

उपर्युक्त सभी लिफाफे (नं. पी.ई. 42 से 51) सीलबंद होंगे। जिनका एक पैकेट अलग होगा।

काउंटर नं. 2 पर विविध कागजात का लिफाफा नं. पी.ई. 57 भी जमा होगा जो सील किया हुआ नहीं होगा। लिफाफा नं. पी.ई.—57 में निम्नांकित कागजात रखे होंगे :—

(1) अप्रयुक्त मतदाता पर्चियॉ

(2) अप्रयुक्त एड्रेस टैग एवं स्पेशल टैग

(3) मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के फार्म, (प्ररूप—9)

(4) निर्वाचक नामावलियों की अन्य प्रतियां

(5) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व सूची

(6) अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें

(7) फार्मो के विक्रय की राशि

(8) अन्य निर्वाचक कागजात

काउंटर नं. 3

काउंटर नं. 3 पर अन्य चुनाव सामग्री के आइटम जमा करवाये जायेंगे जो निम्न प्रकार हैः—

(1) पीठासीन अधिकारी की पीतल की सील

(2) पीठासीन अधिकारी के लिये पुस्तिका एवं अन्य कानूनी पुस्तकें

(3) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की निर्देशिका

(4) स्टाम्प पैड

(5) स्टाम्प पैड इंक

(6) अमिट स्याही की शीशियां

(7) ऐरोक्रास मार्क सील

(8) मेटल रूल,

(9) कपडे के पर्दे अथवा कार्ड—बोर्ड कम्पार्टमेंट,

(10) सुभेदक चिन्ह की सीलें,

(11) रबर सीलें केन्सिल,

(12) अप्रयुक्त मतदान/कन्ट्रोल यूनिट

(13) केनवास बैग

(14) डमी बैलेट यूनिट

(15) अन्य कोई सामग्री जो दी गई है।

यहां एक बार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि लिफाफे आपको उपर्युक्तानुसार सभी तैयार करने हैं, चाहे कोई सूचना शून्य क्यों न हो तथा उन लिफाफों में सम्बन्धित प्ररूप भी पूर्ति करके रखने हैं चाहे उनमें सूचना शून्य ही क्यों न हो। आपको काउंटरों पर उपर्युक्तानुसार सामग्री अच्छी तरह से सम्भलवा कर उसकी रसीद भी सम्बंधित अधिकारियों से प्राप्त कर, काउंटर को छोडना चाहिये। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

यहां आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात आप यथाशीघ्र कागज पत्रों के पैकिट बन्द करेंगे और जिन पर चपडी से सील लगनी है उन्हें ही चपडी से सील करेंगे तथा मतदान केन्द्र पर बिना समय गंवाये आप सामग्री जमा करने के लिये संग्रहण स्थल पर जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार पहुंच जायेंगे तथा बीच रास्ते में अन्य किसी स्थान पर नहीं जायेंगे ना ही अनावश्यक रूकेंगे।

अध्याय–13
पीठासीन अधिकारियों / मतदान अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन

1. अपने मतदान दल के सदस्यों से निकट सम्बन्ध बनाये रखें।
2. जब तक टीमवर्क नहीं होगा आपका कार्य अधिक कठिन हो जायेगा।
3. यह सुनिश्चित कर लें कि :
   (क) आपको मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और अपेक्षित संख्या में मतदान यूनिटें दे दी गई है और इनका आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग किया जाना है। दोनों चुनावों की पृथक–पृथक नियंत्रण व बैलेट यूनिट हैं, जिन पर अलग–अलग रंग के स्टीकर, ऐड्रेस टैग व मतपत्र होंगे।
   (ख) प्रत्येक मतदान यूनिट पर समुचित मतपत्र सम्यक् रूप से लगा दिया गया हैं और उचित रूप से पंक्तिबद्ध कर दिया गया है।
   (ग) प्रत्येक मतदान यूनिट पर 'स्लाईड स्विच' समुचित स्थिति में लगा दिया है।
   (घ) नियंत्रण यूनिट के कैण्डीडेट सेट सेक्शन को और प्रत्येक मतदान यूनिट को सम्यक् रूप से मुहर बंद कर दिया गया है और उनमें से प्रत्येक पर एड्रेस टैंग अच्छी तरह से लगा दिये गये हैं।
4. यह सुनिश्चित कर लें कि आपको समस्त मतदान सामग्री दे दी गई हैं।
5. विशेष रूप से मतदाताओं का रजिस्टर, दो प्रकार की मतदाता स्लिप, दोनो चुनावों के अलग–अलग निविदत मतों के लिए उपयोग में लिए जाने वाले मतपत्र, निविदत्त मतों के लिए ऐरोक्रास मार्क रबड़ की स्टॉम्प, पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, मुहर बंद करने के लिए मोम, अमिट स्याही, दोनों चुनावों के लिए अलग–अलग रंग के ऐड्रेस टैग, स्पेशल टैग आदि की जांच कर लें।
6. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से अन्य प्रतियों का मिलान करें और यह देख लें कि समस्त प्रतियां समरूप हैं और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में 'पी बी' से भिन्न कोई चिन्ह न हो।
7. यह भी देख लें कि:–
   (1) हटाये गये नाम और अनुपूरक सूची के अनुसार संशोधन निर्वाचक नामावली की समस्त प्रतियों से मिला लिये गये हैं।

(2) काम में ली जा रही नामावली की वर्किंग प्रति के सभी पृष्ट मूल प्रति के अनुसार क्रम से संख्यांकित है।

(3) मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को शुद्ध नहीं किया गया है और नई संख्या प्रतिस्थापित नहीं की गई है।

8. मतदान बूथ पर मतदान प्रारम्भ करने के लिए नियत समय से कम से कम एक घंटा पूर्व पहुॅचें।

9. यथासाध्य, मॉडल ले–आउट के अनुसार ही मतदान केन्द्र स्थापित करें और मतदान बूथ पर मतदाताओं के आने–जाने के लिए पृथक–पृथक प्रवेश द्वार सुनिश्चित कर लें।

10. मतदान के दिन आपके मतदान बूथ के बाहर मतदान क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति, प्रदर्शित करें।

11. मतदान प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से कम से कम एक घंटा पूर्व मतदान मशीन की तैयारी प्रारम्भ कर दें।

12. मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट को जोड़ दें। ध्यान रहे कि मशीन के दो सैट हैं, जो बैलेट यूनिट जि.प. सदस्य वाली है वह जि.प. सदस्य वाली कंट्रोल यूनिट से जोडी जायेगी और इसी प्रकार पं.सं सदस्य में भी

13. नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में 'पावर स्विच' को चालू करवा दें।

14. नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष को एक पतले तार से बांधकर और कुछ गांठे लगाकर सुरक्षित कर लें।

15. उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखा दें कि मतदान मशीन क्लीयर है और इसमें पहले से ही कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है।

16. मतदान अभिकर्ताओं द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कुछ मत रिकार्ड करवाकर दिखावटी मतदान का संचालन करायें।

17. दिखावटी मतदान के संचालन के पश्चात् समस्त उपस्थित व्यक्तियों को ऐसे दिखावटी मतदान का परिणाम दिखाकर मतदान मशीन को साफ कर दें।

18. नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे पर की चौखट में पिंक पेपर सील लगा दें।

19. रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष को इस प्रकार बंद करें कि पेपर सील के दोनों छोर आन्तरिक कक्ष के किनारों से बाहर की तरफ रहें।
20. मुद्रित क्रम संख्या के नीचे पेपर सील की सतह पर आप अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें।
21. जो जिस चुनाव के अभ्यर्थी या अभिकर्ता है उन उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से जो अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हो उसी चुनाव से संबंधित पेपर सील पर हस्ताक्षर अभिप्राप्त कर लें। उन्हें पेपर सील की क्रम संख्या नोट करने के लिए अनुज्ञात करें।
22. नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सैकशन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे को स्पेशल टैग से सील करें।
23. नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बंद कर दें और सील कर दें उस पर एक एड्रेस टैग अच्छी तरह लगा दें।
24. मतदान अभिकर्ताओं को भी नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें।
25. स्ट्रिप सील के साथ कंट्रोल यूनिट बाहर से सुरक्षा के साथ सील करें।
26. संबंधित चुनाव के मतदान कक्ष में उसी चुनाव की मतदान यूनिट (यूनिटों) को रखें। नियंत्रण यूनिट को संबंधित मतदान अधिकारी की मेज पर रखें।
27. नियंत्रण यूनिट व बैलेट यूनिट का संयोजन करते समय यह भी देखें कि जो जिस चुनाव की कंट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट है वे ही परस्पर जोडी गयी हैं।
28. परस्पर जुड़ी हुई केबल को इस प्रकार से रखें कि मतदाता को, मतदान कक्ष में जाते और आते समय उसे लांघना न पड़े।
29. उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखायें कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में 'पी बी ' से भिन्न कोई प्रविष्टि अन्तर्विष्ट नहीं है।
30. यह भी दिखायें कि मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 12) में कोई प्रविष्टि नही है।
31. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व घोषणा को पढ़ें और हस्ताक्षर करें। दोनों चुनावों के लिए पृथक–पृथक घोषणा पढ़ कर हस्ताक्षर करने हैं।
32. नियत समय पर मतदान प्रारम्भ करें।
33. मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 को जोर से पढ़कर प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति को चेतावनी दें।

34. दिये गये किसी भी समय में मतदान बूथ के भीतर किसी अभ्यर्थी के केवल एक मतदान अभिकर्ता को ही अनुज्ञात करें।

35. निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कर लें।

36. आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक सम्यक् शिष्टाचार दिखायें और सम्मान दें तथा उनके द्वारा अपेक्षित जानकारी उन्हे दें।

37. मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर चुनाव प्रचार करना अपराध है।

38. मतदान केन्द्र में धुम्रपान निषिद्ध है।

39. किसी विशेष व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति जो मतदान के लिए आये, उसे विशेष व्यवहार या महत्त्व नहीं दें।

40. मतदान अधिकारियों को कर्तव्यों के संबंध में समझा कर उन्हे कार्य बांट दें।

41. निर्वाचक को अपना मत उसी क्रम में रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात करें जिसमें उन्हें मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किया गया है। उन्हें मत देने के लिए तब तक अनुज्ञात न करें जब तक कि उन्होंने मतदाताओं के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान न लगा दिया हो।

42. प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति को, लिखित शिकायत के साथ, पुलिस को सौंप दें।

43. यदि आप किसी निर्वाचक को मतदान की आयु अर्थात् 18 वर्ष से बहुत कम मानते हैं किन्तु उसकी पहचान के बारे में अन्यथा समाधान हो जाता है तो उसकी आयु के संबंध में उससे एक घोषणा अभिप्राप्त कर लें। उसकी पात्रता के बारे में कोई प्रश्न न करें।

44. किसी निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात करें यदि उसके नाम से किसी अन्य द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात् वह उस मतदान केन्द्र पर आता है और उसकी पहचान के बारे में आपका समाधान हो जाता है। उसे मतदान मशीन में मत रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात नहीं करें।

45. ऐसे निर्वाचक का रिकार्ड रखें जिसको निविदत्त मतपत्र जारी किये गये है। निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 13 में सूची पृथक–पृथक लिफाफे में रखें। दोनों चुनावों के लिए पृथक–पृथक लिफाफे बनायें।

46. किसी निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करें यदि आप द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी वह मतदान की गोपनीयता बनाये रखने की विहित मतदान प्रक्रिया को मानने से इन्कार करे।

47. मतदाताओं के रजिस्टर में उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति स्तम्भ में इस आशय की एक प्रविष्टि करें। ऐसे निर्वाचक के कारण उस रजिस्टर में स्तम्भ 1 में कोई भी क्रम संख्या परिवर्तित न करें।

48. यदि मतदान के दौरान वोटिंग कम्पार्टमेंट में अपरिहार्य परिस्थितियोंवश जाना पडे तो पोलिंग अभिकर्ता को भी साथ आने के लिए कहें।

49. डमी बैलेट यूनिट से मतदाताओं को मत देने का तरीका समझायें, यदि वे ऐसा चाहें तो।

50. मतदान की समाप्ति के कुछ मिनट पूर्व पंक्ति में खड़े समस्त निर्वाचकों को, पंक्ति के अन्तिम छोर से प्रारम्भ करते हुए स्लिपें वितरित करें।

51. ऐसे समस्त व्यक्तियों को मत देने के लिए अनुज्ञात करें जिन्हें ऐसी स्लिपें जारी की गई हैं चाहे मतदान को नियत समय के पश्चात् भी जारी क्यों न रखना पड़ें।

52. ऐसे अन्तिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात् मतदान बंद किये जाने की औपचारिक घोषणा करें।

53. नियंत्रण यूनिट पर के 'क्लोज' बटन को दबाकर मतदान मशीन बंद कर दें। इसके इस प्रकार दबाये जाने के पश्चात् 'क्लोज' बटन के ऊपर के नीले रंग की रबड़ की कैप को बदल दें।

54. प्ररूप 14 में रिकार्ड किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा तैयार करें।

55. मतदान के बंद करने के पश्चात् मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट का संबंध विच्छेद कर दें।

56. नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में 'पावर स्विच' को बंद कर दें।

57. नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों) को उनके अपने–अपने वहन बक्सों में रखें।

58. वहन बक्सों को दोनो ओर से सील कर दें। प्रत्येक वहन बक्से पर एड्रेस टैग अच्छी तरह से लगा दें। जि.प. सदस्य से संबंधित वहन बक्सों पर पीले रंग के व पं.सं. सदस्य चुनाव वाले वहन बक्सों पर नीले रंग के ऐड्रैस टैग लगायें।

59. समस्त मतदान अभिकर्ताओं को इन वहन बक्सों पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें।

60. समस्त निर्वाचन पत्रों और सामग्री को पृथक पैकेटों में सील करें जैसा कि बताया जा चुका है।

61. मतदान केन्द्र पर की घटनाओं का पूर्ण और सही लेखा रखने हेतु पीठासीन अधिकारी की डायरी हर तरह से पूर्ण रखें। जब कभी भी कोई घटना घटित हो उसमें प्रविष्टियां पूर्ण कर लें न कि मतदान की समाप्ति पर।

62. यदि बूथ पर कब्जा किया गया है या कोई मतदान मशीन या निर्वाचन सामग्री जैसे मतदाताओं का रजिस्टर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आदि आपकी अभिरक्षा से अप्राधिकृत रूप से ले जायी गयी है या क्षतिग्रस्त कर दी गयी है या उनमें गड़बड़ की गयी है तो मतदान बन्द कर दें। रिटर्निंग अधिकारी को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें।

63. टेण्डर मतपत्र जारी करने पर निर्वाचक नामवली की चिन्हित प्रति में 'टेण्ड' अक्षर अंकित कर दें।

64. किसी पोलिंग अभिकर्ता को अभ्यर्थी या पार्टी का चुनाव चिन्ह धारण नहीं करने दें।

65. मतदाता जब मतदान कक्ष में मत दे रहा हो तब आप उस समय किसी अन्य को वहां जाने की अनुमति न दें और उसकी फोटो भी उस समय न लेने दें।

परिशिष्ट–1
(देखें भाग–1, पैरा 2)
भारतीय दण्ड संहिता 1860 के उद्धरण

171. घ. निर्वाचनों में प्रतिरूपणः– जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिये आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिये आवदेन करता है और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है या उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है।

171. च. निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिये दण्डः– जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

परिशिष्ट–2
(देखें भाग–1, पैरा 2; भाग 5 का पैरा 10)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से निर्वाचन अपराध संबंधी उद्धरण

125. **निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करनाः**– जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुाता या घृणा की भावनायें भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गो के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

126. **मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेधः–** (1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिये मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घन्टों की कालावधि के दौरानः–

(क) निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलायेगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या

(ख) चलचित्र, टेलिविजन या वैसे की अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद–प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

(2) वह व्यक्ति, जो उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा; कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा में, ''निर्वाचन संबंधी बात'' पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।

127. **निर्वाचन सभाओं में उपद्रवः**–(1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके, संबंध में यह धारा लागू है, उस कारबार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह सभा बुलाई गई है, विच्छृंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिये उदीप्त करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(1क) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यह धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिये निर्वाचन–क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में की गई है।

(3) यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने उप–धारा (1) के अधीन अपराध किया है तो यदि सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरंत अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस अधिकारी उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है, तो पुलिस अधिकारी उसे वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

127. (क) <u>पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धनः</u>– (1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को–(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित करायेगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है, तथा

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित–

  (i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, तथा

  (ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए–(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और ''मुद्रक'' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, तथा

(ख) ''निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर'' से किसी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या

अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं की चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

128. **<u>मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना</u>**:– (1) ऐसा हर अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोंनों से, दण्डनीय होगा।

129. **<u>निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे</u>**:– (1) जो (कोई जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी) या सहायक रिटर्निंग अधिकारी है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी है या ऐसा अधिकारी है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए नियुक्ति किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस दल का कोई भी सदस्य–

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिये मनाने का, और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का, और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का, प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

130. <u>मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध</u>:– (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से (एक सौ मीटर) की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कायों से कोई कार्य न करेगा, अर्थात्:–

(क) मतों के लिए संयाचना,

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत की याचना करना,

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना, और

(घ) निर्वाचन में मत देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना, और

(ड.) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

131. <u>मतदान केन्द्रों या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्तिः</u>– (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है–

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्रा मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राईवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लायेगा और न चलायेगा, और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ौस में के किसी लोक स्थान या प्राईवेट स्थान में ऐसे चिल्लायेगा या विच्छृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा, कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्त्तव्यारूढ़ अधिकारीों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लधंन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा कि वह इस व्यक्ति को गिरफ्तार करें और पुलिस अधिकारी उस पर उसे गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई पुलिस अधिकारी ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उप–धारा (1) के उपबंधों में किसी उल्लघंन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाये गये किसी साधित्रा को अभिग्रहीत कर सकेगा।

132. मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्तिः– (1) जो कोई किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुपालना में असफल रहता है, उसे पीठासीन अधिकारी या कर्त्तव्यारूढ कोई पुलिस अधिकारी या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा एतन्निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।

(2) उप–धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियॉ ऐसे प्रयुक्त न की जाऐंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाये।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

132क. मतदान करने के लिये प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्तिः– यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इन्कार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

133. निर्वाचनों में प्रवहणों के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्तिः– यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है, जैसा धारा 123 के खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

134. निर्वाचनों में संसक्त पदीय कर्त्तव्य के भंगः– (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्त्तव्य के भंग में किसी कार्य के लोभ का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पॉचसों रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(1) (क) उप–धारा(1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोभ की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(3) वे व्यक्ति, जिन पर यह धारा लागू है या हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा ''पदीय कर्त्तव्य'' पदावली का अर्थ इस धारा के लिए तदनुसार लगाया जायगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्त्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित हैं।

134.क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्तिः— यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

134.ख. मतदान केन्द्र या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिशेधः— (1) रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और किसी पुलिस अधिकारी से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिये नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्तव्यरूढ़ है भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस–पास आयुध अधिनियम, 1959 में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित एसे आयुध, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहत की गई समझी जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगाः— (1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र अप्राधिकृत रूप से बाहर ले जायेगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगाः

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जायेगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा अधिकारी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उप–धारा (1) के अधीन दण्डीय अपराध संज्ञेय होगा।

135.क. <u>बूथ के बलात् ग्रहण का अपराधः</u>– जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दडनीय होगा।

<u>स्पष्टीकरणः</u>– इस उपधारा और धारा 20ख के प्रयोजनों के लिए ''बूथ का बलात् ग्रहण'' के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को उसके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीड़ित करना या अभित्रास्त करना या धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

(ड.) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135ख. मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश संदेय होगा –

(1) किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी ओर यदि एसे व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है तो उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिये मजदूरी प्राप्त नहीं होती तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।

(3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंधन करेगा, तो एसे नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उप नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

135ग. मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना ओर न वितरण किया जानाः–(1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस धंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजन, पॉकशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, क्रिण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधो का उल्लघंन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनो से, दण्डनीय होगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिट युक्त, क्रिण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होगें और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

136. <u>अन्य अपराध और उनके लिये शास्तियांः</u>— (1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्तिः—

(क) कोई नाम निर्देशन—पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा, अथवा

(ख) रिटर्निंग अधिकारी के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरुपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा, अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिन्ह या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक—मतपत्र देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरुपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा, अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति का कोई मतपत्र देगा, (या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा), अथवा

(ड.) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा, अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यो में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यो के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यो का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्तिः—

(क) यदि वह रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निग अधिकारी या मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या

लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा,

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गये मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उतरदायी रहे किन्तु ''पदीय कर्तव्य'' पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किये जाने से अन्यथा अधिरोपित है।

(4) उप–धारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

परिशिष्ट–3
(देखें भाग 1, पैरा–2; भाग 5, पैरा 10,19)
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 से उद्धरण

18–क मिथ्या घोषणा करनाः– यदि कोई व्यक्ति–

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, अथवा

(ख) किसी प्रविष्ठि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित किये जाने के, संबंध में ऐसा कथन या घोषणा लिखित रूप में करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

18–ग मत देने का अधिकार–(1) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी पंचायती राज संस्था के किसी भी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है, उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार होगाः

(2) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह धारा 18 की उप–धारा (3) में निर्दिष्ट किन्हीं भी निरर्हताओं के अध्यधीन है।

(3) कोइ भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देता है तो ऐसे सभी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों में के उसके मत शून्य समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण – पंच या सरपंच या किसी पंचायत समिति के सदस्य या किसी जिला परिषद् के सदस्य के लिए निर्वाचन, जब साथ–साथ कराये जायें, पृथक्–पृथक् निर्वाचन समझे जायेंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति, किसी भी निर्वाचन में इस बात के होने पर भी कि उसका नाम एक ही वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है, उसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मत नहीं देगा और यदि वह इस प्रकार मत देता है तो उसके सभी मत शून्य समझे जायेंगे।

(5) कोई भी व्यक्ति, यदि वह चाहे किसी दण्डादेश के अधीन या अन्यथा किसी जेल में परिरूद्ध हो या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो, इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा।

19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएंः— किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायती राज संस्था के पंच या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति—

(क) राजस्थान राज्य के विभाग मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए त्तसमय प्रवृत किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित नहीं हैः

परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष की आयु से कम का है;

(कक) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन और अनुसार फाइल की गयी किसी निर्वाचन याचिका के परिणामस्वरूप किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया गया है,

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी विश्वविद्यालय या किसी भी ऐसे निगम, निकाय, उपक्रम या सहकारी सोसायटी, जो राज्य सरकार द्वारा या तो नियंत्रित या पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित है, के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण नहीं करता है;

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अवचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित नहीं किया गया है;

(घ) किसी भी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता है;

(ङ) संबंधित पंचायती राज संस्था से, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार, नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अंश या हित, किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व रखते हुए, नहीं रखता है;

(च) कुष्ठी नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है;

(छ) किसी भी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और छः मास या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है, ऐसा दण्डादेश तत्पश्चात उलट दिया गया हो या उसका परिहार कर दिया गया हो या अपराधी को क्षमा कर दिया गया हो;

(छछ) ऐसे किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है जिसने उसके विरूद्ध ऐसे किसी अपराध का जो पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय हो, संज्ञान ले लिया है और आरोप विरचित कर दिये हैं;

(ज) धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए त्तसमय अपात्र नहीं है;

(झ) संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम, को, उसके लिए मांग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो मास तक असंदत्त नहीं रखे हैं;

(ञ) संबंधित पंचायती राज संस्था की ओर से या उसके विरूद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित नहीं है;

(ट) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;

(ठ) दो से अधिक बच्चों वाला नहीं है:

(ड) पूर्व में किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहते हुए पंचायती राज संस्था के शोध्यों को जमा कराने के लिए ऐसी तारीख से जबकि ऐसा नोटिस/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पर तामील किया गया था, दो मास की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी शोध्य असंदत्त नहीं रखे हैं और उसका नाम, ऐसी पंचायत राज संस्था के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो मास पूर्व, राज्य सरकार द्वारा कलक्टर (पंचायत) को उपलब्ध करायी गयी ऐसे व्यतिक्रमियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ढ़) राज्य में की अनुसूचित जाति या अनुसचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, उन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य है:

(ण) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, महिला है; और

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, उन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य है और महिला है:

परन्तु–

(i) किसी व्यक्ति को किसी भी निगमित कम्पनी या राजस्थान राज्य में तत्समय प्रवृत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी में केवल अंशधारी या उसका सदस्य होने के कारण से कम्पनी या सहकारी सोसाइटी और पंचायती राज संस्था के बीच की गई किसी भी संविधा में हितबद्ध नहीं ठहराया जायेगा;

(iक) खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति खण्ड (कक) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से छः वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित समझा जायेगा;

(ii) खण्ड (ग), (छ) और (ट) के प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति उसकी पदच्युति की तारीख या, यथास्थिति, दोषसिद्धि की, तारीख से छह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात निर्वाचन के लिए पात्र हो जायेगा;

(iii) खण्ड (झ) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को तब निरर्हित नहीं समझा जावेगा यदि वह उससे शोध्य कर या फीस की रकम अपना नाम निर्देशन दाखिल करने की तारीख के पूर्व संदत्त कर देता है;

(iv) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख, जिसे इस परन्तुक में आगे ऐसे प्रारम्भ की तारीख कहा गया है, से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान हुए किसी अतिरिक्त संतान के जन्म पर खण्ड (ठ) में उल्लिखित निरर्हता के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जायेगा और कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक संताने हैं (ऐसे प्रारम्भ का तारीख से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मी संतान, यदि कोई हो को छोड़कर) उस खण्ड के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक ऐसे प्रारम्भ की तारीख को रही उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती;

स्पष्टीकरणः– धारा 19 के खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या तत्पश्चात जहॉ किसी दम्पती के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चातवर्ती प्रसव से पैदा हुए बच्चों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा।

(v) खण्ड (छ) के प्रयोजनो के लिये, किसी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को निरर्हित नहीं समझा जायेगा यदि वह अपना नाम निर्देशन पत्र फाईल करने के पूर्व उससे शोध्य रकम संदाय कर देता है।

19–ख किसी पंचायती राज संस्था में एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध– (1) इस अधिनियम के किन्हीं भी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई व्यक्ति–

(क) पंच के निर्वाचन की दशा में एक से अधिक वार्डों के लिए,

(ख) यदि वह सरपंच के रूप में निर्वाचन लड़ता है तो उस पंचायत में पंच के स्थान के लिए,

(ग) किसी पंचायत समिति के सदस्य के निर्वाचन की दशा में उस पंचायत समिति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए,

(घ) जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन की दशा में उस जिला परिषद् के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, निर्वाचन लड़ने का हकदार नहीं होगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी पंचायती राज संस्था के स्थानों के लिए एक से अधिक वार्ड या, यथास्थिति, निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप–धारा(1) के उल्लघंन में अपना नाम निर्देशन फाइल कर दिया हो, एक को छोड़कर सभी स्थानों से अपनी अभ्यर्थिता लिखित सूचना द्वारा, जिसमे ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो विहित की जायें, वापस लेगा और नाम निर्देशन वापस लेने के लिए नियत समय और तारीख के पूर्व परिदत्त करेगाः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऊपर विनिर्दिष्टानुसार अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने में विफल रहता है तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने उन सभी स्थानों से, जिनके लिए उसने अपना नाम निर्देशन फाइल किया हो, अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली हैं।

22. निर्वाचन अपराधः– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 125, 126, 127, 127 क, 128, 129, 130, 131, 132, 132–क, 133, 134, 134 क, 134 ख, 135, 135 क, 135 ख, 135 ग और 136 के उपबंध ऐसे प्रभावी होगें मानो–

(क) किसी निर्वाचन के प्रति उनमें के निर्देश इस अधिनियम के अधीन के किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश हों;

(ख) किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उनमें के निर्देशों में, किसी पंचायती राज संस्था के किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र के प्रति निर्देश सम्मिलित हों,

(ग) उसकी धारा 134 और 136 में, शब्दों ''इस अधिनियम के द्वारा या अधीन'' के स्थान पर शब्द और अंक ''राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के द्वारा या अधीन'' प्रतिस्थापित किये हुए हों; और

(घ) धारा 135 ख की उप–धार (1) में अभिव्यक्ति ''लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''पंचायती राज संस्था'' प्रतिस्थापित की हुई हो।

22–क. यानों, घ्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बधन (1) राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्था के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कटआउटों, होर्डिगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बधंन अधिरोपित कर सकेगा।

(2) यदि काई भी अभ्यर्थी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता, उप–धारा (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्बधनों में से किसी का भी उल्लघंन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो 2000 रू. तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) उप–धारा (1) के अधीन दंडित प्रत्येक व्यक्ति आयोग के आदेश से, किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी कालावधि के लिए, जो ऐसे आदेश की तारीख से छह वर्ष तक की हो सकेगी, निरर्हित किये जाने का दायी होगाः

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा, इस धारा के अधीन किसी भी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम सकेगा।

(4) कोई भी न्यायालय उप–धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा।

23. निर्वाचन परिणामों का प्रकाशनः– ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो चाहे पंचायती राज संस्था के सदस्य निर्वाचित किये गये हों या ऐसी संस्थाओं के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, विहित रीति से प्रकाशित किये जायेंगे।

24. शपथ या प्रतिज्ञानः– किसी पंचायती राज संस्था का प्रत्येक सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस रूप में अपना कर्त्तव्य ग्रहण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विहित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

26. सरपंच और उसका निर्वाचनः– (1) प्रत्येक पंचायत में एक सरपंच होगा जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित व्यक्ति होना चाहिए और वह सम्पूर्ण पंचायत सर्किल के निर्वाचकों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा।

(2) यदि किसी पंचायत सर्किल के निर्वाचक इस धारा के अनुसार सरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं या यदि पंच, उप–सरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार रिक्ति पर, ऐसी रिक्ति के, छह मास की कालावधि के भीतर–भीतर निर्वाचन द्वारा भरे जाने तक, किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति सम्यक् रूप से निर्वाचित सरपंच या, यथास्थिति उप–सरपंच समझा जायेगा।

27. किसी पंचायत की स्थापना पर उप–सरपंच के निर्वाचन के लिए प्रक्रियाः– (1) प्रत्येक पंचायत में एक उप–सरपंच होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन पहली बार किसी पंचायत की स्थापना पर, या तत्पश्चात उसके पुनर्गठन या स्थापना पर पंचायत की एक बैठक सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरन्त बुलायी जायेगी जो स्वयं बैठक की अध्यक्षता करेगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा और ऐसी बैठक में उप–सरपंच निर्वाचित किया जायेगा।

38. हटाया जाना और निलंबनः– (1) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा और सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जॉच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाये, किसी भी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए, किसी भी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो–

(क) कार्य करने से इंकार करता है या इस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(ख) कर्त्तव्य के निर्वहन में अवचार या किसी भी अपकीर्तिकर आचरण का दोषी है;

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी जॉच, संबंधित पंचायती राज संस्था की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी प्रारम्भ की जा सकेगी या, यदि ऐसी समाप्ति के पूर्व ही प्रारम्भ कर दी गई थी तो उसके पश्चात् जारी रखी जा सकेगी और किसी भी ऐसे मामले में, राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा, लगाये गये आरोपों पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष राज्य सरकार के विवेक से, संबंधित पंचायती राज संस्था की सदस्यता, यदि कोई हो, से भी हटाया जा सकेगा।

(3) ऐसा सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो उप–धारा (1) के अधीन हटाया गया है या जिसके विरूद्ध निष्कर्ष उस उप–धारा के परन्तुक के अधीन अभिलिखित किये गये हैं, उसके हटाये जाने की तारीख या, यथास्थिति, उस तारीख, जिसको ऐसे निष्कर्ष अभिलिखित किये जाते हैं, से पांच वर्ष की कालावधि तक इस अधिनियम के अधीन चुने जाने का पात्र नहीं होगा।

(4) राज्य सरकार किसी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए किसी भी ऐसे सदस्य को निलंबित कर सकेगी जिसके विरूद्ध उप–धारा (1) के अधीन कोई जॉच प्रारम्भ कर दी गई है या जिसके विरूद्ध नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के संबंध में कोई भी दाण्डिक कार्यवाही किसी न्यायालय में विचारणाधीन है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निलंबन के अधीन रहते समय संबंधित पंचायती राज संस्था के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित हो जायेगा।

परन्तु राज्य सरकार भी किसी पंच को वार्ड सभा की सिफारिश पर या सरपंच को ग्राम सभा की सिफारिश पर निलम्बित कर सकेगी, किन्तु राज्य सरकार ऐसा तब ही करेगी जब किसी

वार्ड सभा या, यथास्थिति, ग्राम सभा द्वारा पारित इस आशय के किसी संकल्प को राज्य सरकार द्वारा, सदस्यों की इच्छा का अंतिम अभिनिश्चय करने के लिये वार्ड सभा या, यथस्थिति, ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए कलेक्टर को निर्दिष्ट कर दिया गया हो और कलेक्टर द्वारा इस प्रकार आयोजित और उसके नामनिर्देशिती की अध्यक्षता वाली बैठक में उपस्थित सदस्यों ने, पंच या, यथास्थिति, सरपंच का निलंबन चाहने वाले संकल्प की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पुष्टि कर दी होः

परन्तु यह और कि पंच या, सरपंच का निलंबन चाहने वाला कोई भी संकल्प किसी पंच या, यथास्थिति, सरपंच द्वारा दो वर्ष की पदावधि पूर्ण कर लेने से पूर्व प्रस्तावित या पारित नहीं किया जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन उद्भूत किसी भी मामले पर राज्य सरकार का विनिश्चय, धारा 97 के अधीन किये गये किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत किये जाने के अधीन नहीं होगा।

117. कतिपय विषयों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का वर्जनः— इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी,—

(क) इस अधिनियम के अधीन किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित, निर्वाचन क्षेत्रों या वार्डो के परिसीमन से, या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों अथवा वार्डो को स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी भी विधि की विधिमान्यता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा; और

(ख) किसी भी पंचायती राज संस्था के किसी भी निर्वाचन को, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गयी किसी ऐसी निर्वाचन अर्जी के सिवाय, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित है, प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

117—क सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जितः— किसी भी सिविल न्यायालय को—

(क) कोई ऐसा प्रश्न कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार है या नहीं, ग्रहण करने या न्यायनिर्णीत करने की; अथवा

(ख) किसी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रधिकार के द्वारा या अधीन की गयी किसी कार्रवाई की या ऐसी किसी नामावली के पुनरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करने की; अथवा

(ग) किसी निर्वाचन के संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त रिटर्निंग अधिकरी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गयी किसी कार्रवाई की या किये गये किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करने की, अधिकारिता नहीं होगी।

119—ख :— अधिकारियों और कर्मचारीवृंद का राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना:— इस अधिनियम के अधीन सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धियां करने और उनका संचालन करने के संबंध में नियोजित अधिकारी या कर्मचारीवृंद उस कालावधि में, जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति समझे जायेंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारीवृंद, उस कालावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अध्यधीन होंगे।

119—ग कर्मचारीवृंद के लिए शास्ति— (1) जहां इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों से संसक्त या निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि से संसक्त कर्तव्यों के पालन के लिए तैनात किया गया कोई कर्मचारी कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है या ऐसे कर्त्तव्य पर उपस्थित होकर, उसे समनुदेशित कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है वहां वह ऐसी किसी कालावधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) उप—धारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

परिशिष्ट–4
राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 से उद्धृत अंश

अध्याय–4
पंचों का निर्वाचन

24. रिटर्निंग अधिकारी के कर्त्तव्य और शक्तियां – इन नियमों के द्वारा या अधीन किसी रिटर्निंग अधिकारी पर अधिरोपित कत्तव्यों और प्रदत्त शक्तियों के साथ–साथ ऐसे समस्त कार्य और बातें करना उसका साधारण कर्त्तव्य होगा जो इन नियमों के अधीन किसी निर्वाचन के प्रभावी संचालन के लिये आवश्यक हो और वह यह भी देखगा कि उसकी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान, यदि हो तो, निष्पक्ष संचालित होता है।

24क. मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य और शक्तियां – मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र पर व्यवस्था बनाये रखेगा, यह देखेगा कि मतदान निष्पक्ष संचालित हो रहा है और मतदान केन्द्र के भीतर किसी एक समय पर प्रवेश दिये जाने के लिये मतदाताओं की संख्या विनियमित करेगा और निम्नलिखित को छोड़कर उनमें से समस्त व्यक्तियों को बहार निकाल देगाः–

(क) सहायक मतदान अधिकारी,

(ख) निर्वाचन से संसक्त ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवक,

(ग) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति,

(घ) अभ्यर्थी,

(ड.) किसी मतदाता के साथ उसकी गोद में का कोई बच्चा, और

(च) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें वह निर्वाचकों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश दे।

30. मतदान केन्द्र और मतदान बूथः– (1) यदि किसी वार्ड में मतदान कराना हो तो रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, मतदान केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगा;

परन्तु ऐसा चयनित स्थान सामान्यतः उस पंचायत मुख्यालय के बाहर का स्थान नहीं होगा जिसके लिए निर्वाचन कराया जाना है।

(2) रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक मतदान-केन्द्र में उतने मतदान बूथ स्थापित कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे और जहां इस प्रकार एक से अधिक बूथ स्थापित किये जाने हैं वहां वह निदेश देगा कि विनिर्दिष्ट क्रम संख्याकों से प्रारम्भ और समाप्त होने वाले वार्ड के उसकी मतदान सूची में के निर्वाचकों को या एक से अधिक वार्ड के निर्वाचकों को बूथ-विशेष में अपने-अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

(3) मतदान केन्द्र के स्थान की घोषणा संबंधी एक नोटिस पंचायत कार्यालय पर या, यदि पंचायत कार्यालय नहीं है तो मतदान केन्द्र के लिए चयनित स्थान पर, निर्वाचन होने से कम से कम एक दिन पूर्व, प्रकाशित किया जायेगा।

31. मतदान अधिकारी और अन्य स्टॉफ :-(1) प्रत्येक मतदान बूथ के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नामनिर्देशन अधिकारी, नाम से या पदाभिधान से, मतदान अधिकारी/सहायक मतदान अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए इतने व्यक्ति और इतना अन्य स्टॉफ नियुक्त करेगा जितना प्रत्येक मतदान अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करने के लिए वह आवश्यक समझे;

परन्तु यदि कोई मतदान अधिकारी या स्टॉफ का कोई भी अन्य सदस्य मतदान केन्द्र या मतदान बूथ से अनुपस्थित है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अनुपस्थित व्यक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तदनुसार सूचित करेगा;

परन्तु यह और कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो निर्वाचन में या उसके बारे में किसी अभ्यर्थी के द्वारा या उसके निमित्त नियोजित किया गया हो या उसके लिए अन्यथा कार्य कर रहा हो, मतदान अधिकारी या स्टॉफ के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त मतदान अधिकारी और अन्य स्टॉफ ऐसे कर्त्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इन नियमों द्वारा उन पर अधिरोपित किये गये हैं या जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गये हैं।

स्पष्टीकरण :- पंचायत निर्वाचन में मतदान अधिकारी किसी मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी के रूप में कृत्य करेगा।

35. निर्वाचनों में मतदान की रीति– प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान किया जाता है, इस नियम के अधीन अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, मत मतदान केन्द्र में या नियम 20 के उप–नियम (2) के अधीन उपबंधित मतदान बूथ में मतपत्र द्वारा और व्यक्तिगत रूप से डाले जायेंगे और मतदान अधिकारी किन्ही भी मतों की प्राक्सी द्वारा डाले जाने की अनुज्ञा नहीं देगाः

परन्तु ऐसे वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान मशीन द्वारा मत डाला या अभिलिखित किया जाना अंगीकृत किया जा सकेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये विनिर्दिष्ट करेः

परन्तु यह और कि निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी उस रीति से डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

स्पष्टीकरण 1: इस नियम के प्रयोजन के लिये, ''मतदान मशीन'' से मत देने या अभिलिखित करने के लिये प्रयुक्त कोई मशीन या साधित्रा, चाहे इलेक्ट्रोनिक रूप से या अन्यथा संचालित हो, अभिप्रेत है और इन नियमों में किसी मतपत्र के निर्देश से, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसी मतदान मशीन, जहां किन्ही किसी निर्वाचन में ऐसी मतदान मशीन प्रयुक्त की गयी है, के निर्देश को सम्मिलित करते हुये अर्थ लगाया जायेगा।

स्पष्टीकरण 2: ''निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता'' से कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या अन्य लोक सेवक, जो किसी पंचायती राज संस्था में मतदाता है, और उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण मतदान केन्द्र, जहां वह मतदान देने का हकदार है, पर मतदान करने में असमर्थ है, अभिप्रेत है।

45. अवचार के लिए मतदान केन्द्र से हटाया जानाः– (1) यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर स्वयं अवचार करे,, या वहां नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी या किसी भी मतदान अधिकारी के विधिपूर्ण ओदशों का पालन न करे तो रिटर्निंग अधिकारी या, यथास्थिति, ऐसा मतदान अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं इस प्राकर अवचार कर रहा हो, मतदान केन्द्र से तुरन्त हटायेगा या वहां उपस्थित किसी भी पुलिस अधिकारी को उसे हटाने का आदेश देगा और ऐसे व्यक्ति को, रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केन्द्र पर पुनः प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी मतदान केन्द्र से हटाये जाने का आदेश इस प्रकार नहीं दिया जायेगा ताकि अपना मत डालने के हकदार मतदाता को वहां मतों को डालने का अवसर प्राप्त करने से निवारित किया जा सके।

46. मतदान का समापनः– (1) मतदान अधिकारी, ऐसे बन्द किये जाने के लिए नियत समय पर मतदान केंन्द्र को बंद करेगा जिससे किसी निर्वाचक को उसके पश्चात् उसमें प्रविष्ट होने से रोका जा सके।

(2) तथापि, किसी भी ऐसे निर्वाचक को जिसे उसमें उस समय के पूर्व प्रवेश दे दिया गया हो, उस समय के पश्चात भी मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी द्वारा या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित्त दिये गये किन्हीं भी निदेशों के अध्यधीन रहते हुए उपनियम (1) में निर्दिष्ट मतपेटियां और पैकेट-मतदान अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित किये जायेंगे।

48. मतदान का स्थगन :-(1) रिटर्निंग अधिकारी आपातकाल में, जैसे लोक शांति में सम्भाव्य विघ्न होने पर, मतदान बन्द कर सकेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा नाम निर्देशित किसी अधिकारी के द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले किसी पश्चात्‌वर्ती दिन के लिए उसके स्थगन की घोषणा कर सकेगा।

(2) ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण ऐसा बन्द या स्थगन किया गया, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी को रिपोर्ट की जायेगी।

48 क मतपेटियों के विनिष्ट होने आदि की दशा में नया मतदान— (1) यदि किसी निर्वाचन में-

(क) किसी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिये नियत किसी स्थान पर उपयोग में लाई गई कोई मतपेटी पीठासीन अधिकारी, या रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरुद्ध तथा निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय विनष्ट हो जाती है, या खो जाती है या ऐसी सीमा तक नुकसान पहुँचाया जाता है या उसमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता; या

(ख) किसी मतदान मशीन में मत रिकार्ड करने या मतगणना करने के दौरान कोई यांत्रिक विफलता पैदा हो जाती है; या

(ग) किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है जिससे यह सम्भाव्य है कि मतदान दूषित हो जाये;

तो रिटर्निंग अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तुरन्त करेगा।

(2) तत्पश्चात निर्वाचन आयोग समस्त तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, या तो-

(क) उस मतदान केन्द्र में या स्थान पर उस मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र में या स्थान पर नया मतदान कराने के लिए दिन और समय नियत करेगा और इस प्रकार नियत दिन और इस प्रकार नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जो वह ठीक समझे, या

(ख) यदि समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र पर या स्थान पर किसी नये मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा या कि (मतदान मशीन की यांत्रिक विफलता या) प्रक्रिया संबंधी गलती या अनियमितता तात्विक नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी को उस निर्वाचन के आगे के संचालन और पूरा किये जाने के लिए ऐसे निदेश जारी करेगा जो वह समुचित समझे।

(3) अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों एवं आदेशों के उपबंध नये मतदान के संचालन के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

48 ख. बूथों के बलात् ग्रहण के कारण मतदान का स्थगित या निर्वाचन का प्रत्यादिष्ट किया जाना:- (1) यदि किसी निर्वाचन में,-

(क) किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत स्थान पर (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् स्थान कहा गया है) बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया गया है जिससे ऐसे मतदान केन्द्र या स्थान में मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है; अथवा

(ख) किसी मतगणना स्थान पर बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया जाता है कि उस स्थान पर मतगणना का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो रिटर्निंग आफिसर उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तत्क्षण करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग रिटर्निंग आफिसर से उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर और सब सात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर या तो,-

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान में उस मतदान को, शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान मे नए सिरे से मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जैसी वह ठीक समझे; अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिक संख्या में मतदान केन्द्रों या स्थानों के वलात् ग्रहण को देखते हुए निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव पड़ने की संभाव्यता है या यह कि बूथों के वलात् ग्रहण का मतों की गणना पर ऐसी रीति से प्रभाव पड़ा है जिससे निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होगा, तो वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए ''बूथ का बलात् ग्रहण'' के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को मतदान करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्र या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

(ङ.) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

अध्याय–4क

पंचों के निर्वाचन के लिए इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों द्वारा मतदान और मतों की गणना

55क. मतदान मशीन द्वारा मतदान और मतों की गणना .– मतदान और मतों की गणना, अभिरक्षा, निरीक्षण और निर्वाचन कागज पत्रों आदि के संबंध में, जहां मतदान मशीन प्रयुक्त की जाती है, –

(क) नियम 32, 33, 34, 36 से 44, 47,49, 50, 52 और 53 के सिवाय, अध्याय–4 के उपबंध, जहां तक हो सके, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे और उन उपबंधों में मतपत्र के किसी निर्देश से ऐसी मतदान मशीन के निर्देश को सम्मिलित करते हुए अर्थ लगाया जायेगा।

(ख) नियम 32, 33, 34, 36 से 44, 47, 47, 49, 50, 52 और 53 के स्थान पर, इस अध्याय के निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात् :–

32क. निर्वाचन सामग्री का प्रदाय.– (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक या अधिक मतदान कोष्ठ स्थापित किये जायेंगे जहां मतदाता देखे जाने से मुक्त होकर अपने मतों को अभिलिखित कर सकेंगे।

(2) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन, निर्वाचन नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां और ऐसी अन्य वस्तुएं और सामग्री, जो मतदाता के लिए मत देने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा।

(3) ऐसी सामग्री का प्रदाय करते हुए मतदान केन्द्र पर मत डालने के हकदार निर्वाचकों की संख्या और उसमें स्थापित मतदान बूथों की संख्या को ध्यान में रखा जायेगा।

33क. इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन का डिजाइन .– प्रत्येक इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् मतदान मशीन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में एक नियंत्रण यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और ऐसी डिजाइन की होंगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित की जाये।

33ख. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान मशीन का तैयार किया जाना.–

नियम 39क के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए रिटर्निंग अधिकारी,–

(क) मतदान यूनिट में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं **नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही)** के नाम और प्रतीक अन्तर्विष्ट करने वाले मतपत्र को लगायेगा और उस यूनिट को अपनी मुद्रा और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों की मुद्रा से, जो उसे लगाने के इच्छुक हो, सुरक्षित करेगा;

(ख) नियंत्रण यूनिट में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या **नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) सहित** सैट करेगा और अभ्यर्थी सैट सैक्शन को बंद करेगा और उसे अपनी मुद्रा और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों की मुद्रा से, जो उसे लगाने के इच्छुक हो, सुरक्षित करेगा;

34क. मतदान के लिए मतदान मशीन का तैयार किया जाना.– (1) मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित करने के लिए पीठासीन अधिकारी पत्र–मुद्रा पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर करेगा और उन पर उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों के, जो हस्ताक्षर करना चाहे, हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् इस प्रकार हस्ताक्षरित पत्र मुद्रा को मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट में इसके लिए अभिप्रेत स्थान पर लगायेगा और उसे सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित करेगा।

(3) मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा ऐसी रीति से लगायी जायेगी कि यूनिट को मुद्रांकित किये जाने के पश्चात्, मुद्रा को तोड़े बिना 'परिणाम बटन' को दबाया जाना संभव न हो।

(4) किसी मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन की प्रत्येक नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर अन्दर और बाहर दोनों तरफ निम्नलिखित से चिह्नित लेबल लगे होंगे :–

(क) वार्ड का क्रम संख्यांक और ग्राम पंचायत का नाम;

(ख) मतदान केन्द्र का क्रम संख्यांक और नाम;

(ग) यूनिट का क्रम संख्यांक; और

(घ) मतदान की तारीख।

(5) मतदान के प्रारम्भ होने के ठीक पहले, पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं और उपस्थित अन्य व्यक्तियों को यह निर्देशित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है और उस पर उप–नियम (4) में निर्दिष्ट लेबल लगे हुए हैं।

(6) तब नियंत्रण यूनिट बंद, मुद्राबंद और सुरक्षित की जायेगी और पीठासीन अधिकारी और उपस्थित अभ्यर्थियों के बिल्कुल सामने रखी जायेगी और मतदान यूनिट मतदान कोष्ठ में रखी जायेगी।

36क. मतदान और मतदान की गोपनीयता के लिए प्रक्रिया.– (1) प्रत्येक मतदाता जिसे नियम 40 क के अधीन मत डालने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और उस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा ।

(2) मत डालने के लिए अनुज्ञात किये जाने पर तुरन्त मतदाता पीठासीन अधिकारी या मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी की ओर अग्रसर होगा जो मतदाता के मत को अभिलिखित करने के लिए नियंत्रण यूनिट पर समुचित बटन दबाके मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा ।

(3) मतदाता तत्पश्चात् तत्क्षण ,–

(क) मतदान कोष्ठों में से किसी एक की ओर अग्रसर होगा ;

(ख) उस अभ्यर्थी, जिसको वह मत डालने का आशय रखता है, के नाम और प्रतीक के सामने मतदान यूनिट पर बटन दबाके अपना मत अभिलिखित करेगा ; और

(ग) मतदान कोष्ठ में से बाहर आयेगा और मतदान केन्द्र को छोड़ देगा ।

(4) प्रत्येक मतदाता बिना अनुचित विलम्ब के मत डालेगा ।

(5) कोई भी मतदाता किसी मतदान कोष्ठ में प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जब दूसरा मतदाता उसके अन्दर हो ।

(6) यदि कोई मतदाता, जिसे नियम 40–क या 44–क के अधीन मत डालने के लिए अनुज्ञात किया गया है, पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात्, उप–नियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करता है तो पीठासीन अधिकारी या पीठासीन

अधिकारी के निदेशाधीन कोई मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को मत डालने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा ।

(7) जहां किसी मतदाता को उप–नियम (6) के अधीन मत डालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्ररूप 12 में मतदाताओं के रजिस्टर में मतदाता के नाम के सामने इस आशय की अभियुक्ति की जायेगी कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है ।

36ख. मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश.– (1) पीठासीन अधिकारी, जब कभी भी वह ऐसा करना आवश्यक समझे, मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा और ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे कि मतदान यूनिट के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ या हस्तक्षेप नहीं किया गया है ।

(2) यदि पीठासीन अधिकारी को यह संदेह करने का कारण हो कि कोई मतदाता, जो मतदान कोष्ठ में प्रविष्ट हो गया है, मतदान यूनिट से छेड़छाड़ या अन्यथा हस्तक्षेप कर रहा है या असम्यक् रूप से लंबी कालावधि के लिए मतदान कोष्ठ के भीतर रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठायेगा जो मतदान की निर्बाध और व्यवस्थित प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो ।

(3) जब कभी भी पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन मतदान कोष्ठ में प्रवेश करे तब वह उपस्थित अभ्यर्थियों को अपने साथ चलने के लिए अनुज्ञा देगा यदि वे ऐसी वांछा करें ।

37क. मतदाता की अनन्यता.– मतदाता को मत डालने के लिए अनुज्ञात करने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी स्वेच्छा से, ऐसे मतदान केन्द्र पर मतदाता की अनन्यता या मत डालने के उसके अधिकार पर संदेह करने का कारण है और किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर स्वयं का समाधान करेगा जो वह आवश्यक समझे कि ऐसा व्यक्ति उस मतदाता के समरूप है जिससे ऐसी प्रविष्टि संबंधित है ।

38क. प्रतिरूपण के विरुद्ध उपाय.– किसी मतदाता को `मत डालने के लिए अनुज्ञात करने के पूर्व, मतदान अधिकारी अमिट स्याही से मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी पर निशान लगायेगा :

परन्तु जहां मतदाता के बायीं तर्जनी पर कोई निशान पहले से ही विद्यमान हो तो यह माना जायेगा कि उसने निर्वाचन में अपना मत पहले ही डाल दिया :

परन्तु यह और कि कोई भी मतदाता मत डालने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक उसे अमिट स्याही से अपनी बाई तर्जनी पर निशान लगाने के लिए अनुज्ञात न कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरणः इस नियम में, किसी मतदाता की बायीं तर्जनी के प्रति किसी निदेश का उस दशा में जिसमें किसी मतदाता की बायीं तर्जनी नहीं है ऐसा अर्थ लगाया जायेगा मानो वह उसके बायें हाथ की किसी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके बायें हाथ की सभी अंगुलियां नहीं हो वहां ऐसे अर्थ लगाया जायेगा मानो वह निदेश दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी भी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके दोनों हाथों की सभी अंगुलियां नहीं हों वहां ऐसे अर्थ लगाया जायेगा कि मानो वह उसकी बायीं या दायीं भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश है जैसा कि उसका है ।

39क. मतपत्र का प्ररूप.– (1) प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाये ।

(2) अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र पर उसी तरह से दर्शित किये और उसी क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे जैसे कि वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में प्रकट होते हैं ।

(3) मतपत्र पर की विशिष्टियां देवनागरी लिपि में हिन्दी में होंगी ।

(4) अभ्यर्थियों को आवंटित प्रतीक मतपत्र पर अभ्यर्थी के नाम के साथ–साथ दर्शित किये जायेंगे ।

(5) मतपत्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी को आवंटित स्थान एक ही आकार का होगा ।

(6) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम हो तो उनके व्यवसाय या निवास या किसी अन्य रीति के साथ उनको पृथक् किया जायेगा ।

40क. मतदान मशीनों द्वारा मतदान की प्रक्रिया.– (1) किसी मतदाता को मतदान करने की अनुज्ञा देने के पूर्व, मतदान अधिकारी,–

(क) मतदाता का निर्वाचन नामवली संख्यांक जो मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 12 में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है, अभिलिखित करेगा ;

(ख) उक्त मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अभिप्राप्त करेगा ; और

(ग) मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतदान करने की अनुज्ञा दी गयी है :

परन्तु यह कि कोई भी मतदाता मत डालने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसने मतदाताओं के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी न लगा दी हो ।

(2) किसी भी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी भी अन्य अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मतदाता के रजिस्टर में मतदाता की अंगूठा निशानी को अधिप्रमाणित करें ।

41क. अन्धे या शिथिलांग निर्वाचकों को सहायता.– (1) यदि कोई निर्वाचक अन्धता या शारीरिक अंग शैथिल्य के कारण मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीकों को पहचानने में असमर्थ है या सहायता के बिना उस पर समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी उसकी ओर से और उसकी इच्छा के अनुसरण में मत अभिलिखित करने के लिए ऐसा करेगा।

(2) मतदान अधिकारी, इस नियम के अधीन समस्त मामलों में, मतदाता सूची की प्रति में ऐसे निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने एक संक्षिप्त टिप्पण और ऐसी कार्रवाई के कारण लिखेगा ।

43क. निर्वाचक का मत न देने के लिए विनिश्चय करना.– यदि कोई मतदाता उसका निर्वाचक नामावली संख्यांक प्ररूप 12 में मतदाता रजिस्टर में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किये जाने और नियम 40–क के अधीन अपेक्षित रूप से उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठा निशानी लगाने के पश्चात् अपना मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करता है तो पीठासीन अधिकारी प्ररूप 12 में उक्त प्रविष्टि के सामने इस आशय की टिपपणी करेगा और ऐसी टिप्पणी के सामने मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अभिप्राप्त करेगा।

44क. निविदत्त मत.– (1) यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट मतदाता है, ऐसे मतदाता के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिये जाने के पश्चात्, मत देना चाहता है तो अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसा पीठासीन अधिकारी पूछे, उसे मतदान यूनिट के जरिए मतपत्र देने के लिए अनुज्ञात करने के स्थान पर एक निविदत्त मत का प्रदाय किया जायेगा जो ऐसे डिजाइन का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करें ।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किये जाने से पहले अपना नाम प्ररूप 13 में सूची में अपने से संबंधित प्रविष्टि के सामने लिखेगा ।

(3) मतपत्र प्राप्त होने पर ऐसा व्यक्ति तत्क्षण,–

(क) मतदान कोष्ठ की ओर अग्रसर होगा ;

(ख) अपना मत मतदान पत्र पर उस प्रयोजन के लिए उसे दिये गये उपकरण या वस्तु से उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट जिसके लिए वह मत देने का आशय रखता है क्रास चिह्न ('X') लगाकर अभिलिखित करेगा ;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाये ;

(घ) पीठासीन अधिकारी को, यदि अपेक्षित हो, तो मतपत्र पर लगा सुभिन्नक चिह्न दर्शित करेगा;

(ङ) उसे पीठासीन अधिकारी को देगा जो इसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा ; और

(च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जायेगा ।

47क. मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन का मुद्राबन्द किया जाना.–(1) मतदान के बंद होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और मतों का अभिलेखन न किया जा सके ऐसे अभ्यर्थी की उपस्थिति में जो वहां उपस्थित हो, नियंत्रण यूनिट को बन्द करेगा और मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से वियोजित कर देगा ।

(2) नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को उसके पश्चात् पृथक्–पृथक् रूप उस रीति से मुद्राबन्द और सुरक्षित किया जायेगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे और इन्हें सुरक्षित किये जाने के लिए प्रयुक्त मुद्रा इस प्रकार लगायी जायेगी कि मुद्राओं को तोड़े बिना यूनिटों को खोलना संभव नहीं होगा ।

47ख. निर्वाचन से संबंधित सामग्री और अन्य कागजपत्रों का मुद्राबन्द किया जाना.–(1) प्रत्येक मतदान बूथ का पीठासीन अधिकारी मतदान के बंद होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, ऐसे अभ्यर्थियों की उपस्थिति में जो वहां उपस्थित हों, निम्नलिखित दस्तावेजों को पृथक–पृथक् पैकेटों में रखेगा और इन्हें अपनी मुद्रा और ऐसे अभ्यर्थियों की मुद्रा, जो अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हों, मुद्राबन्द करेगा –

(क) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति,

(ख) निविदत्त मतपत्र ;

(ग) निविदत्त मतों की सूची,

(घ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची ;

(ड.) निर्वाचन ड्यूटी पर के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र ;

(च) प्ररूप 12 में मतदाता रजिस्टर ; और

(छ) कोई अन्य ऐसे कागज–पत्र जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुद्राबन्द पैकेट में रखे जाने के लिए निदिष्ट किया है ।

(2) पीठासीन अधिकारी समस्त पैकैटों को मुद्राबन्द करने के पश्चात्, प्रत्येक पैकेट पर उसकी अंतर्वस्तुओं के विवरण को पृष्ठांकित करेगा ।

47ग. अभिलिखित मतों का लेखा.– (1) पीठासीन अधिकारी मतदान के बन्द होने पर प्ररूप 14 में, अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी अभिलिखित मतों का लेखा एक पृथक् लिफाफे में रखेगा और उस पर शब्द ''अभिलिखित मतों का लेखा'' पृष्ठांकित करेगा ।

47घ. मतदान मशीनों आदि का रिटर्निंग अधिकारी को पारेषण.– (1) पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को ऐसे स्थान पर, जैसा कि रिटर्निंग अधिकारी निदिष्ट करे, निम्नलिखित परिदत्त करेगा या परिदत्त करवायेगा,–

(i) मतदान मशीन;

(ii) प्ररूप 14 में अभिलिखित मतों का लेखा;

(iii) नियम 47ख के अधीन मुद्राबन्द पैकेट; और

(iv) मतदान में प्रयुक्त समस्त अन्य कागजपत्र।

(2) रिटर्निंग अधिकारी मतदान मशीन, पैकेटों और अन्य कागजपत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम करेगा।

49ग. मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण.– (1) रिटर्निंग अधिकारी एक से अधिक मतदान केन्द्रों में उपयोग में लायी गयी मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षण कर सकेगा और ऐसी यूनिटों में अभिलिखित मतों की गणना साथ–साथ करवा सकेगा ।

(2) उप–नियम (1) के अधीन किसी मतदान मशीन की किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतों की गणना करने के पूर्व, गणना पटल पर उपस्थित अभ्यर्थी को पत्र–मुद्रा और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्राएं जो यूनिट पर लगायी गयी हों, का निरीक्षण करने और स्वयं का यह समाधान करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा कि मुद्राएं अविकल हैं ।

(3) रिटर्निंग अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि किसी भी मतदान मशीन के साथ वास्तव में कोई गड़बड़ी नहीं की गयी है ।

(4) यदि रिटर्निंग अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन के साथ वास्तव में गड़बड़ी की गयी है तो वह उस मशीन में अभिलिखत मतों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र के संबंध में, जहां मशीन का प्रयोग किया गया था, नियम 49 ख में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

49घ. मतों की गणना.– (1) मतों की गणना ऐसी तारीख और ऐसे समय और स्थान पर प्रारंभ की जायेगी जो रिटर्निंग अधिकारी नियत करें।

(2) ऐसी तारीख, समय और स्थान की सूचना समस्त अभ्यर्थियों को दी जायेगी ।

(3) मतों की गणना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जायेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को गणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा।

(4) मतों की गणना के स्थान पर निम्नलिखित के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा –

(क) मतदान और सहायक मतदान अधिकारी ;

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी इस कार्य में उसकी सहायता के लिए अनुज्ञात करें ;

(ग) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति।

(5) रिटर्निंग अधिकारी का समाधान हो जाने के पश्चात् कि किसी मतदान मशीन के साथ वास्तव में कोई गड़बड़ी नहीं की गयी है, वह नियंत्रण यूनिट में उपलब्ध ''परिणाम'' के रूप में चिह्नित समुचित बटन को दबाकर गणना करेगा जिसके द्वारा यूनिट में इन प्रयोजनों के लिए उपलब्ध प्रदर्शन पर (डिस्प्ले पैनल) पर डाले गये कुल मत और प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) के संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) को दिये गये मत प्रदर्शित हो जायेंगे।

(6) जैसे ही नियंत्रण यूनिट पर प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) को दिये गये मत प्रदर्शित हों, रिटर्निंग अधिकारी,–

(क) प्ररूप 14 के भाग–2 में प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) के संबंध में ऐसे मतों की संख्या पृथक्–पृथक् रूप से अभिलिखित करेगा ;

(ख) प्ररूप 14 के भाग–2 को अन्य प्रकार से पूर्ण करेगा और उस पर गणना पर्यवेक्षक के और अभ्यर्थियों या उपस्थित उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उसके गणना अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर करवायेगा;

(ग) प्ररूप 7 में परिणाम शीट में तत्संबंधी प्रविष्टियां करेगा और परिणाम शीट में इस प्रकार प्रविष्ट की गयी विशिष्टियों की घोषणा करेगा ।

(7) निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट रखने वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी मत की गणना नहीं की जायेगी ।

50क. डाक मतपत्र की गणना और उन्हें नामंजूर करना.– (1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में दिया गया सामान्य या विनिर्दिष्ट निदेश के अध्यधीन, नियम 50 के अधीन के उपबंध, नियम 35 में निर्दिष्ट निर्वाचन ड्यूटी पर के अधिकारियों से प्राप्त डाक मतपत्र के नामंजूर किये जाने के संबंध में लागू होंगे ।

(2) रिटर्निंग अधिकारी, डाक द्वारा प्राप्त मत, यदि कोई हों, की गणना का परिणाम प्ररूप 7 में परिणाम शीट में अभिलिखित करेगा और उसकी घोषणा करेगा। (3) रिटर्निंग अधिकारी गिने गये मतों के पैकेट बनायेगा और प्रत्येक ऐसे पैकेट पर अपनी मुद्रा लगायेगा।

52क. **मतों की गणना और निर्वाचन के परिणाम के पश्चात् मतदान मशीनों को मुद्राबन्द करना.–**(1) किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान के परिणाम को अभ्यर्थीवार एवं **नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही)** के लिए अभिनिश्चित किये जाने और नियम 49 घ के अधीन प्ररूप 14 के भाग 2 और प्ररूप 7 में प्रविष्ट कर दिये जाने के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी अपनी मुद्रा से और उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों जो उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहें, की मुद्राओं से इस प्रकार पुनः मुद्राबन्द करेगा कि नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान का परिणाम मिट नहीं जाये और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति को बनाये रख सके।

(2) इस प्रकार मुद्राबन्द नियंत्रण यूनिट विशेष रूप से तैयार की गयी पेटियों में रखी जायेगी जिन पर रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित करेगा, अर्थात् :–

(क) वार्ड संख्या सहित ग्राम पंचायत का नाम;

(ख) उस मतदान केन्द्र की विशिष्टयां जहां नियंत्रण यूनिट का उपयोग किया गया है;

(ग) नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्यांक;

(घ) मतदान की तारीख; और

(ङ) मतगणना की तारीख।

(3) जब नियम 49घ और 50क के अधीन मतों की गणना पूर्ण हो जाये तो रिटर्निंग अधिकारी–

(क) प्ररूप 7 में एक विवरणी, जिसमें निम्नलिखित उपवर्णित होगा, तैयार और प्रमाणित करेगाः–

(i) ऐसे अभ्यर्थियों के नाम और पते जिन्हें नियम 29 के उप–नियम (2) के अधीन निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है;

(ii) ऐसे अभ्यर्थियों के नाम और पते, जिनके लिए विधिमान्य मत डाले गये हैं, और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए डाले गये मतों की संख्या;

(ii-a) नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) को मिले वैध मतों की संख्या;

(iii) नियम 50 क के अधीन अविधिमान्य होने के कारण नामंजूर किये गये मतों की संख्या; और

(iv) नियम 51 के अधीन निकाले गये लॉट, यदि कोई हो, का परिणाम।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करेगा जिसने मतदान या नियम 51 के अधीन निकाले गये लॉट के परिणामस्वरूप सबसे अधिक मत प्राप्त किये हैं; और

(ग) ऐसे वार्डों को विनिर्दिष्ट करेगा जो पंचों को निर्वाचित करने में विफल रहे हैं।

(4) रिटर्निंग अधिकारी यथासाध्य शीघ्रता से –

(i) उप नियम (1) के अधीन तैयार की गई विवरणी की एक प्रति पंचायत कार्यालय, यदि कोई हो, को अग्रेषित करेगा ;

(ii) ऐसी एक प्रति प्रत्येक पंचायतों के प्रभारी अधिकारी, और नव निर्वाचित सरपंच को अग्रेषित करेगा ;

(iii) निर्वाचन से संबंधित समस्त कागज–पत्रों के सहित उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अग्रेषित करेगा ;

(iv) ऐसी एक प्रति ब्लॉक की पंचायत समिति को, जिसके भीतर वह पंचायत सर्किल पड़ता हो, अग्रेषित करेगा ;

(v) ऐसी एक प्रति आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर को अग्रेषित करेगा।

53क. निर्वाचन कागज–पत्रों की अभिरक्षा, प्रस्तुतीकरण और निरीक्षण.– (1) निर्वाचन से संबंधित समस्त कागज–पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा में रहेंगे।

(2) अभिरक्षा के दौरान,–

(क) अप्रयुक्त डाक मतपत्र के पैकेट;

(ख) प्रयुक्त डाक मतपत्र, चाहे वे विधिमान्य, नामंजूर या रद्द हों, के पैकेट;

(ग) प्रयुक्त या अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र के पैकेट;

(घ) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के पैकेट;

(ङ) प्ररूप 12 में मतदाता रजिस्टर रखने वाले पैकेट; और

(च) निर्वाचकों द्वारा घोषणा और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट, किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के अधीन के सिवाय खोले, निरीक्षित या प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे।

(3) नियम 52क के अधीन मुद्राबंद और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा में रखी गयी नियंत्रण यूनिटों को किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के अधीन के सिवाय खोला, निरीक्षित या प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(4) ऐसी शर्तों और ऐसी फीस के संदाय, जो निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे, के अध्यधीन निर्वाचन से संबंधित समस्त अन्य कागज–पत्र लोक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और उनकी प्रतियां आवेदन करने पर दी जायेंगी।

53ख. निर्वाचन कागज–पत्रों इत्यादि का निपटारा.– राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निदेश के अध्यधीन रहते हुए,–

(क) प्रयुक्त और अप्रयुक्त मतपत्र तथा निविदत्त मतपत्र के पैकेट छह मास की कालावधि के लिए रखे जायेंगे और उसके पश्चात् उन्हें ऐसी रीति से नष्ट कर दिया जायेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे;

(ख) नियम 53क के उप–नियम (3) के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा में रखी गयी मतदान मशीने ऐसी कालावधि के लिए अविकल रखी जायेंगी जो राज्य निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे ;

(ग) नियम 53क के उप–नियम (2) में निर्दिष्ट अन्य पैकेट या कागज–पत्र एक वर्ष की कालावधि के लिए रखे जायेंगे और उसके पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा :

परन्तु प्रयुक्त डाक मतपत्र के प्रतिपर्ण रखने वाले पैकेटों को राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नष्ट नहीं किया जायेगा; और

(घ) निर्वाचन से संबंधित समस्त अन्य कागज–पत्र ऐसी कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे।''

अध्याय-6

पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन

58. पंचायत समिति/जिला परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन :- (1) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), आयोग द्वारा अवधारित समय अनुसूची के अनुसार अधिसूचना द्वारा जिले में पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक से एक सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा और-

(क) वे तारीखें, जिनको और वह समय, जिसके बीच रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने हैं, नियत करेगा;

(ख) नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये नियत किये गये अंतिम दिन का आगामी दिन और उसका वह समय, जब ऐसे नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी, नियत करेगा;

(ग) वह दिन, जो नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा करने के लिये नियत दिन के आगामी दिन के बाद का नहीं होगा और उसका वह समय, जिसके बीच नामनिर्देशन-पत्र वापस लिये जा सकेंगे, नियत करेगा;

(घ) वह दिन, जो नामनिर्देशन वापस लेने के लिये नियत तारीख के पश्चात् से 7 दिन पूर्व का नहीं होगा जिसका मतदान, यदि आवश्यक हो, किया जायेगा, नियत करेगा;

(ङ) वह समय जिसके भीतर ऐसा मतदान किया जायेगा, नियत करेगा;

(च) वह स्थान, तारीख और समय जब मतों की गणना प्रारम्भ की जायेगी, नियत करेगा।

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रत्येक पंचायत समिति के लिये, उसके सदस्यों के निर्वाचन के लिये एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा और उसकी सहायता करने के लिये सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगा।

(3) आयोग जिला परिषद् के सदस्यों से निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी और उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त करेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का, इन नियमों के अधीन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन प्रभावी रूप से करवाने के लिए नियम 24 में उल्लिखित कृत्यों को पालन करने का, साधारण कर्त्तव्य होगा।

"(5) पंचायत समितियों/जिला परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये, जहां तक हो सके, यदि जहां मतपेटियां प्रयुक्त की जाये, वहां नियम 24क से 54 तक के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे, और यदि जहां मतदान मशीनें प्रयुक्त की जायें वहां नियम 24क से 31, 35, 45, 46, 48, 48क, 48ख, 48ग, 49क, 49ख, 51 और 54 तथा अध्याय 4क के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे:'

58 क. जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्यों का उप निर्वाचनः– जब भी जिला परिषद् या पंचायत समिति के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाये और धारा 42 के अधीन कोई उप निर्वाचन कराना अपेक्षित हो तो, नियम 58 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किये जाने वाले प्रत्येक उप–निर्वाचन पर लागू होगा।

अध्याय–10

अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता

68. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण :–(1) यदि पंचायत समिति या जिला परिषद् का निर्वाचन लडने वाला कोई अभ्यर्थी कोई निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहता है तो ऐसी नियुक्ति, उप–नियम (2) और (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, या तो नामांकन पत्र के परिदान के समय या निर्वाचन से पूर्व किसी भी समय, प्ररूप–8 में की जायेगी।

(2) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय, स्वहस्ताक्षरित और पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल किसी लिखित घोषणा द्वारा, प्रतिसंहत की जा सकेगी। ऐसा प्रतिसंहरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह दाखिल किया गया है। ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में या निर्वाचन से पूर्व या उसकी अवधि के दौरा निर्वाचन अभिकर्ता के मर जाने पर, अभ्यर्थी उप–नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार कोई नया निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिसे पंचायत के किसी भी निर्वाचन में निर्वाचित होने से या मतदान करने से, अधिनियम के अधीन तत्समय निरर्हित कर दिया गया है, जब तक निरर्हता विद्यमान रहती है, निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

69. मतदान अभिकर्ता की नियुक्तिः–(1) किसी निर्वाचन में, जिसमें सरपंच के पद या पंचायत समितियों या जिला परिषद् के सदस्यों के लिये मतदान होना है, कोई भी लडने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये एक अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा। ऐसी नियुक्ति प्ररूप–9 में दो प्रतियों में लिखित, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र द्वारा की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र दो प्रतियों में मतदान अभिकर्ता को परिदत्त करेगा जो मतदान के लिये नियत तारीख को पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा उसमें

अन्तर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे प्रस्तुत दोनों प्रतियों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी मतदान अभिकर्त्ता को मतदान केन्द्र पर किसी भी प्रकार के कर्त्तव्य पालन के लिये तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक वह इस उपनियम के उपबंधों का पालन न करे।

70. गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति :-(1) सरपंच के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी प्ररूप-10 में दो प्रतियों में लिखित किसी पत्र द्वारा दो से अधिक गणन अभिकर्त्ताओं को नियुक्त कर सकेगा।

(2) किसी पंचायत समिति या जिला परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचन चाहने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इतने गणन अभिकर्त्ता अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप-10 में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा नियुक्त कर सकेगा जितनी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतों की गणना के लिये उपलब्ध करायी गयी टेबिलों की संख्या हो, एक रिटर्निंग अधिकारी की टेबिल के लिए और एक अवमुक्ति अभिकर्त्ता के लिये।

(3) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति गणन अभिकर्त्ता को भी प्रदत्त करेगा जो मतों की गणना के लिए नियत तारीख को उसे रिटर्निंग अधिकारी को या नियम 58 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसके समक्ष उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा हस्ताक्षरित करेगा। ऐसा अधिकारी उसे प्रस्तुत की गयी दूसरी प्रति अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी गणन अभिकर्त्ता को कोई भी ड्यूटी मतों की गणना के लिए नियत स्थान पर करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक उसने इस उप-नियम के उपबंधों का पालन न कर लिया हो।

71. मतदान अभिकर्त्ता की मृत्यु पर नियुक्ति का प्रतिसंहरण :-(1) मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति को, अभ्यर्थी द्वारा मतदान के प्रारंभ के पूर्व किसी भी समय उसके द्वारा हस्ताक्षरित किसी लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत किया जा सकेगा।

(2) ऐसी घोषणा :-

(क) ऐसे मामले में, जिसमें नियुक्ति मतदान के प्रारंभ से सात से अन्यून दिन पूर्व प्रतिसंहृत न की गयी हो तो रिटर्निंग अधिकारी के पास दाखिल की जायेगी,

(ख) किसी भी अन्य मामले में रिटर्निंग अधिकारी के या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल की जायेगी जहां मतदान अभिकर्त्ता को ड्यूटी के लिये नियुक्त किया गया था।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्त्ता मतदान के प्रारम्भ के पूर्व मर जाये तो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता ऐसी मृत्यु के तथ्य की लिखित रिपोर्ट निम्नलिखित को तुरन्त करेगा-

(क) ऐसे मामले में, जिसमें मृत्यु मतदान के प्रारंभ से सात से कम दिन पूर्व हुई हो, रिटर्निंग अधिकारी को, और

(ख) किसी भी अन्य मामले में रिटर्निंग अधिकारी को या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को, जहां मतदान अभिकर्त्ता को ड्यूटी के लिये नियुक्त किया गया था।

(4) जब भी रिटर्निंग अधिकारी को उप-नियम (1) या (2) के अधीन की गयी कोई भी घोषणा या रिपोर्ट प्राप्त हो तो वह ऐसी घोषणा या, यथास्थिति, रिपोर्ट उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को तुरन्त सूचित करेगा जहां ऐसे मतदान अभिकर्त्ता को ड्यूटी के लिये नियुक्त किया गया था।

(5) जहां मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहत की जाये या जहां मतदान अभिकर्त्ता मतदान बंद होने के पूर्व मर जाये वहां अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान बंद होने के पूर्व किसी भी समय नियम 69 के उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार कोई नया मतदान अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेगा;

परन्तु नये मतदान अभिकर्त्ता को नियुक्त करने का पत्र-

(क) ऐसे मामले में, जिसमें ऐसी नियुक्ति मतदान के प्रारम्भ से सात के अन्यून दिन पूर्व की जाये, रिटर्निंग अधिकारी को दिया जायेगा, और

(ख) किसी भी अन्य मामले में, रिटर्निंग अधिकारी को या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को दिया जायेगा जहां नया मतदान अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया है।

(6) नियम 69 के उप-नियम (2) के उपबंध उप-नियम (5) के अधीन नियुक्त किसी मतदान अभिकर्त्ता के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे नियम 69 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त किसी मतदान अभिकर्त्ता के संबंध में लागू होते हैं।

72. गणन-अभिकर्त्ता की मृत्यु पर नियुक्ति का प्रतिसंहरण :-(1) गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा, मतों की गणना प्रारंभ होने से पूर्व किसी भी समय, उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी। ऐसी घोषणा रिटर्निंग अधिकारी या नियम 49 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के यहां दाखिल की जायेगी।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी का गणन अभिकर्ता मतों की गणना पूरी होने से पूर्व मर जाता है तो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता पीठासीन अधिकारी को या नियम 49 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को मृत्यु की रिपोर्ट लिखित में तुरन्त करेगा।

(3) जहां गणन अभिकर्ता की नियुक्ति उप–नियम (1) के अधीन प्रतिसंह्यत कर ली गयी हो या जहां गणन अभिकर्ता मतों की गणन पूरी होने से पूर्व मर जाये वहां अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियम 70 के उप–नियम (1) में अधिकथित रीति से किसी नये गणन अभिकर्ता को नियुक्त कर सकेगा।

(4) नियम 70 के उप–नियम (2) और (3) के उपबंध उप–नियम (3) के अधीन नियुक्त गणन अभिकर्ता के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे नियम 70 के उप–नियम (1) के अधीन नियुक्त गणन अभिकर्ता के संबंध में लागू होते है।

73. मतदान से पूर्व अभ्यर्थियों की मृत्युः– लडने वाले अभ्यर्थी की मतदान प्रारंभ होने से पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण मतदान प्रत्यादिष्ट नहीं किया जायेगा। किन्तु यदि किसी स्थान के लिए लडने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु के परिणामस्वरूप वहां लडने वाला केवल एक अभ्यर्थी रह जाये तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य का समाधान हो जाने पर मतदान को प्रत्यादिष्ट करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से आयोग को इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा और इसमें इसके पूर्व के नियमों के अनुसार, नये निर्वाचन की तरह ही, निर्वाचन के बारे में की समस्त कार्यवाहियां पुनः प्रारम्भ होगी;

परन्तुः–

(i) उस व्यक्ति के मामले में कोई और नामनिर्देशन आवश्यक नहीं होगा जो मतदान के प्रत्यादिष्ट होने के समय एक लडने वाला अभ्यर्थी था; और

(ii) कोई भी व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट होने से पूर्व नियम 28 के उप–नियम (1) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता के प्रत्याहरण का नोटिस दे देया था, ऐसे प्रत्यादेशन के पश्चात निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम–निर्देशन होने के लिए अपात्र नहीं होगा।

प्ररूप-8

[नियम 68 देखिए]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप

मैं ....

*पंचायत समिति .... के निर्वाचन क्षेत्र सं. .... से पंचायत समिति के सदस्य

*निर्वाचन क्षेत्र सं. .... से जिला परिषद् के सदस्य

के निर्वाचन का, जो .... को होने जा रहा है, अभ्यर्थी, इसके द्वारा

श्री .... को

(अभिकर्ता का नाम)

उपर्युक्त निर्वाचन के लिए इस तारीख से मेरे निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान ....

तारीख ....

....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं उपर्युक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ।

स्थान ....

तारीख ....

....

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

अनुमोदित

स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप–9

[नियम 69 देखिए]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

*सरपंच, ग्राम पंचायत ....

*निर्वाचन क्षेत्र सं. .... से पंचायत समिति के सदस्य

*पंचायत समिति/जिला परिषद .... की निर्वाचन क्षेत्र सं. ....
से जिला परिषद के सदस्य;
का निर्वाचन

मैं, ... अभ्यर्थी ....

जो उपर्युक्त निर्वाचन का एक अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्ता इसके द्वारा ....

.... (नाम और पता) ....

को .... स्थान पर .... मतदान केन्द्र सं. ....

में उपस्थित होने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान ....

तारीख ....   अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने को सहमत हूँ।

स्थान ....

तारीख ....   मदतान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

मतदान अभिकर्ता की घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी है।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।

....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित — गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान ....

तारीख .... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-10

[नियम 70 देखिए]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

*निर्वाचन क्षेत्र सं. .... से पंचायत समिति के सदस्य,

*पंचायत समिति/जिला परिषद .... की निर्वाचन क्षेत्र सं. ....

से जिला परिषद के सदस्य; का निर्वाचन

मैं, ... अभ्यर्थी ....

जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्ता ....

को, इसके द्वारा

(नाम और पता)

मतगणना के लिए नियत स्थान .... पर गणन अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए नियुक्त करता हूँ।

स्थान ....

तारीख .... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान ....

तारीख .... गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किये जाने के लिए गणन अभिकर्ता की घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।

....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान ....

तारीख ....

* जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप—12

(नियम 40क देखिए)

<u>मतदाता रजिस्टर</u>

...........................निर्वाचन क्षेत्र /वार्ड संख्या से.................... जिला परिषद/

पंचायत समिति/पंचायत सर्किल के लिए निर्वाचन।

मतदान बूथ की संख्या और नाम...

क्र.स.	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी	अभ्युक्तियां
1			
2			
3			
4			
इत्यादि			

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप—13
(नियम 44क देखिए)

निविदत्त मतों की सूची

....निर्वाचन क्षेत्र / वार्ड संख्या से...

जिला परिषद् / पंचायत समिति / पंचायत सर्किल के लिए निर्वाचन।

मतदान बूथ की संख्या और नाम...

क.स.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का कम संख्यांक	मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में उन व्यक्तियों की कम संख्या जिन्होंने पहले ही निर्वाचक के स्थान पर मतदान कर दिया है।	निर्वाचक के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
इत्यादि				

तारीख......................

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप–14

(नियम 47ग और 49घ (6) देखिए)

भाग–1

अभिलिखित मतों का लेखा

....निर्वाचन क्षेत्र / वार्ड संख्या से................................

...............................जिला परिषद् / पंचायत समिति / पंचायत वृत का निर्वाचन।

मतदान बूथ की संख्या और नाम ....

मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त मशीन का पहचान संख्यांक.................................

नियंत्रण यूनिट..

मतदान यूनिट...

1. मतदान बूथ को समनुदिष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में प्रविष्ठ मतदाताओं की कुल संख्या।
3. नियम 36क, 38क या 40क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या।
4. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या।
5. क्या मद 4 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा–मद 3 के सामने मतदाताओं की कुल संख्या घटाने पर (2–3) से मेल करती है या इसमें कोई अन्तर पाया गया है।
6. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 44 क के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किये गये।
7. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

क्र.स......................से......................तक

(क) उपयोग के लिए प्राप्त ....

(ख) निर्वाचकों को जारी किये गये ....

(ग) प्रयुक्त न किये गये और लौटाये गये ....

9. पत्र मुद्राओं का लेखा

क्रम संख्या ....से ....तक

अभ्यर्थी / मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. प्रदाय की गयी पत्र मुद्राओं की क्रम संख्या
   ....से ....तक   1....................................

2. प्रदाय की गयी मुद्राओं की कुल संख्या   2...................................

3. प्रयुक्त पत्र मुद्राओं की संख्या   3..................................

4. रिटर्निग अधिकारी को वापस की गयी अप्रयुक्त पत्र मुद्राओं की संख्या (मद 2 में से मद 3 घटाईए)   4.................................

5. नष्ट हुई पत्र मुद्राओं का क्रम संख्यांक, यदि कोई है।   5...................................

तारीख.....................................   पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान...................................   मतदान बूथ संख्या.....................

भाग–2

गणना का परिणाम

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभिलिखित मतों की संख्या
1.	2.	3.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
.... इत्यादि		
	(नोटा) उपर्युक्त में से कोई नही*	
योग		

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग–1 की मद सं.– 4 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल खाती है या दो योगों के बीच में कोई भी अन्तर देखा गया।

स्थान................................

तारीख................................

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता / गणन अभिकर्ता का नाम पूर्ण हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

....

....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर''

ANNEXURE-5

[See Chapter - 3, para (6)]

List of Polling Material to be supplied to PRESIDING OFFICER where simultaneous elections for ZP Member and PS Member are to be held.

S.no. 1	Name of Article 2	Scale per polling party 3
A	**IMPORTMENT ARTICLES**	
1	Pink Paper Seals	6
2	Strip Seals	6
3	Electronic Voting Machine (For PS Member) With Blue Sticker	
	(a) Control Unit	1
	(b) Balloting Unit	As per requirement
4	Electronic Voting Machine (For ZP Member) With Yellow Sticker	
	(a) Control Unit	1
	(b) Balloting Unit	As per requirement
5	Ballot Papers for Tendered Votes	
	(a) For ZP Member (Yellow)	20
	(b) For PS Member (blue)	20
6	Working Copies of E. Rolls	3
7	Special Tags for Control Units	5
B	**ARTICLE TO BE SUPPLIED PER POLLING STATION**	
1	Stamp Pad (Purple)	1
2	Stamp Pad ink purple	½ oz. phial
3	Presiding Officer Brass Seal	1
4	Arrow Cross Seal	2
5	Manual of Electronic Voting Machine	1
6	Printed Badge for Presiding Officer	1
7	Printed Badge for Polling Officer	5
8	Printed Badge for Polling Agents	10
9	Cloth Screen or Single Card Board Voting Compartment	Card Board Com partments 2 with Drawing pins or Cloth Screen with 2 Compartments + one extra
10	Pla-Card 'Exit'	1

11	Pla-Card 'Enterance'	1
12	Pla-Card, to give priority in voting to disabled/ Sr. Citizens	1
13	Empty Cigarette Tin or Earthen pot	1
14	Iron Nails Big	6
15	Iron Nails Small	6
16	Moonj Rope	10 meters
17	Cloth piece or rag	1
18	Indelible Ink Phial 10 cc	1
19	Rubber Seal for distinguished mark	1
20	Craft wrapping paper (17" x 27") or	3
21	Unbleached sheet or Polythin Bag	
22	Alpins	10
23	Candle Sticks	3
24	Sealing Wax Sticks	5
25	Twine for EVM	4 Meters
26	Country Twine or Sutli	12 Meters
27	Glue bottle	½ oz.
28	Unbleached or White paper (17" x 27")	2 Sheets
29	Carbon Paper (17" x 27")	2 Sheets
30	Dummy Ballot Unit	1
C	**Forms etc.**	
1	Form of declaration by Presiding Officer before commencement, during poll and after close of poll (For PS Member)	1
2	Form of declaration by Presiding Officer before commencement, during poll and after close of poll (For ZP Member)	1
3	Form 13- List of Tendered Votes	2
4	Form 14- Account of votes recorded and Paper Seal Account (For PS Member)	2
5	Form 14- Account of votes recorded and Paper Seal Account (For ZP Member)	2
6	Form- Presiding Officer's Diary	1
7	Address Tags for Control Units	
	(a) Yellow for ZP Member	6
	(b) Blue for PS Member	6
8	Address Tags for Ballot Unit	
	(a) Yellow for ZP Member	5
	(b) Blue for PS Member	5

9	Card Board Pieces for EVM	6
10	Notice of Polling Area under Rule 30 along with Hours of Poll and closure	1
11	Notice of Contesting Candidates (For PS Member)	1
12	Notice of Contesting Candidates (For member ZP)	1
13	List of Contesting Candidates and their election agents with specimen signatures of candidates (for PS member election)	1
14	List of Contesting Candidates and their election agents with specimen signatures of candidates (for ZP member election)	1
15	Printed Form- Receipt form No. 1	1
16	Printed Form- Receipt form No. 2	1
17	Printed Form- Receipt form No. 3	1
18	Forms of declaration by elector about his age	5
19	Forms of List of Voters from whom declarations as to their age obtained	1
20	Form-9 Appointment of Polling Agents	10
21	Register of Voters (in Form-12)	Depending upon No. of Electors
22	Voters Slips (a) Yellow (ZP member) (b) Blue (PS member)	Depending upon No. of Electors
23	Form - Polling station wise statistics	1

D	**Envelops**	**Env.No.**	**Quantity**
1	Polling station wise statistics	P-2	1
2	Marked copy of Electoral Rolls	PE-42	1
3	Register of voters	PE-43	1
4	Voter Slips (Used for PS Member)	PE-44	1
5	Voter Slips (Used for ZP Member)	PE-45	1
6	Used Tendered Ballot Papers (PS Member)	PE-46	1
7	Used Tendered Ballot Papers (ZP Member)	PE-47	1
8	List of Tendered Votes in Form 13 (PS Member)	PE-48	1
9	List of Tendered Votes in Form 13 (ZP Member)	PE-49	1
10	Unused Tendered Ballot Papers (PS Member)	PE-50	1
11	Unused Tendered Ballot Papers (ZP Member)	PE-51	1
12	Presiding Officer's Diary	PE-52	1

13	Account of votes recorded and Paper Seal Account Form-14 (PS Member)	PE-53	1
14	Account of votes recorded and Paper Seal Account Form-14 (ZP Member)	PE-54	1
15	Form of declaration by the Presiding Officer before commencement, during poll and after close of poll (for member election)	PE-55	1
16	Form of declaration by the Presiding Officer before commencement, during poll and after close of poll (for ZP Member election)	PE-56	1
17	Envelop Containing:- (i) Unused voter slips (ii) Unused Address Tags and Special Tags (iii) Form of Appointment of Polling Agents (iv) Copies of E.Rolls (Other than marked copy) (v) Declarations of voters about age and their list (vi) Unused various forms (vii) Cash against sale proceeds of forms (viii) Unused and damaged paper seals and Strip Seals (ix) Election misc. papers	PE-57	1

D Out right payment at the discretion of the Collector (DEO) for following articles

1 Ball Pen – 3 (1 for 1st Polling Officer, 1 for 2nd Polling Officer and 1 for Presiding Officer)
2 Blade - 1
3 Match Box – 1
4 Lota - 1
5 Bucket – 1
6 Lock - 1
7 Bamboos – as per requirement

ANNEXURE - 6

[See para (6) of Chapter 3]

LAYOUT OF POLLING STATION WHERE EVMs ARE USED AT SIMULTANEOUS ELECTION

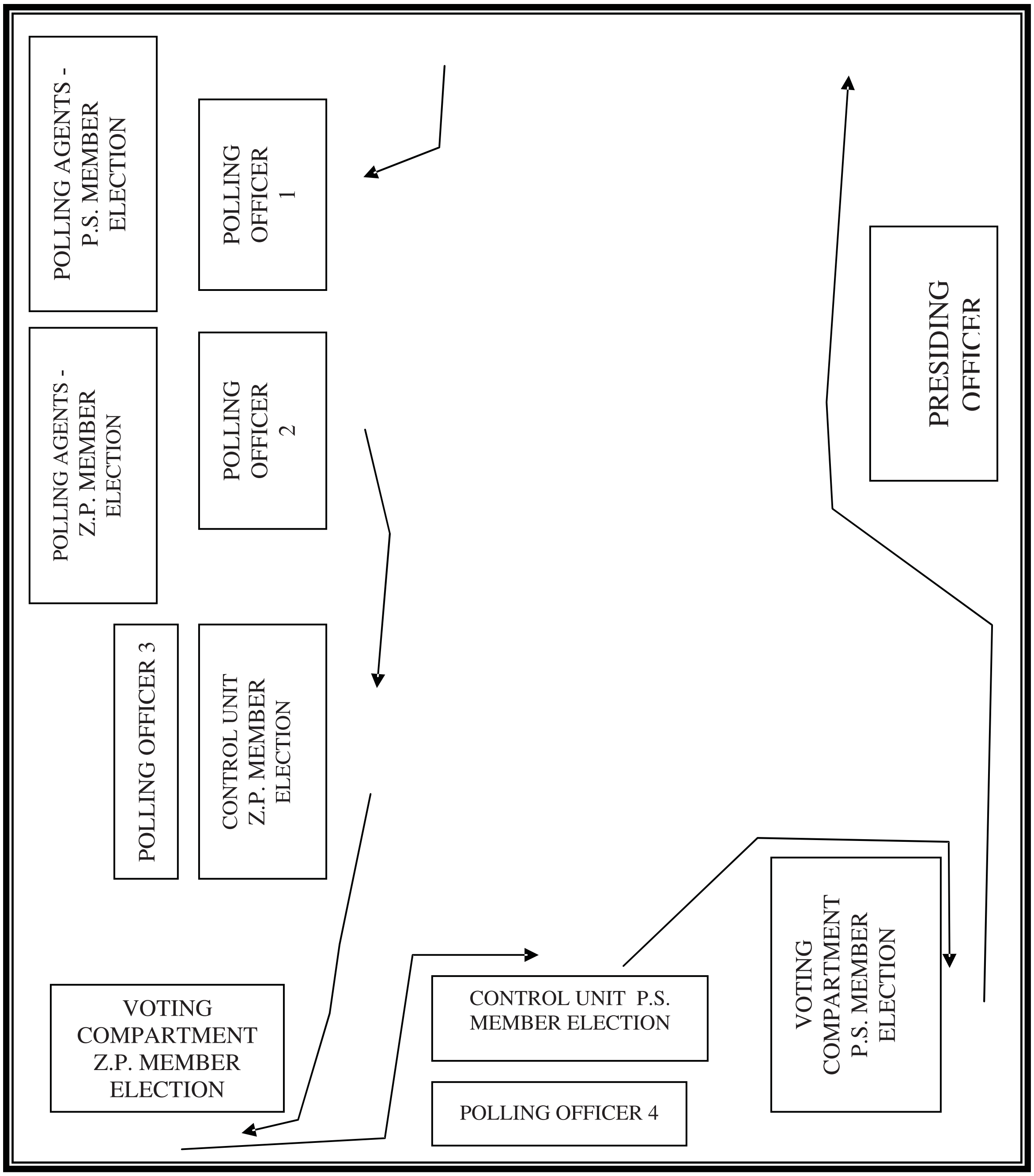

परिशिष्ट – 7

[देखें अध्याय–6, पैरा 7–8]

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरंभ से पूर्व, मतदान के दौरान एवं मतदान के अन्त में की गई घोषणाएं

(जिला परिषद् सदस्य व पंचायत समिति सदस्य चुनाव में पृथक–पृथक काम में ली जानी है।)

(केवल उन मतदान केन्द्रों पर उपयोग के लिए जहां मतदान मशीन उपयोग में लायी जा रही है)

जिला परिषद्/पंचायत समिति का नाम .... निर्वाचन क्षेत्र सं. ....

मतदान बूथ का क्रम संख्यांक और नाम ....

मतदान की तारीख ....

भाग–1

(मतदान आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं घोषणा करता हूँ कि–

1. मैनें मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बनावटी मतदान कराकर यह प्रदर्शित कर दिया है कि–

(अ) मतदान मशीन सुचारू रूप से कार्य कर रही है और उसके भीतर कोई मत अभिलिखित नहीं है,

(ब) मतदान के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उससे भिन्न कोई चिन्ह नहीं है, जो डाक मतपत्र जारी किये जाने के लिए प्रयुक्त किये गये है, और

(स) मतदान के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली मतदाता रजिस्टर (प्ररूप –12) में किसी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है।

2. मैने मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली पेपर सील पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिये है और उन मतदान

अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये है, जो वहां उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।

हस्ताक्षर ( )

पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. (.... (................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (.... (................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (.... (................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. (.... (................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. (.... (................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. (.... (................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. (.... (................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया हैः–

1. (.... (................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (.... (................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (.... (................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख ....

हस्ताक्षर ( )
पीठासीन अधिकारी

भाग–2

(बाद वाली मतदान मशीन के उपयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं यह घोषणा करता हूॅ किः–

1. मैने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बनावटी मतदान द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली अगली मतदान मशीन खाली है और सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

2. मैने मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली पेपर सील पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिये है और उन

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिए है, जो यहां उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।

हस्ताक्षर (   )

पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. (....   (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (....   (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (....   (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. (....   (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. (....   (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. (....   (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. (....   (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया हैः–

1. (....   (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (....   (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (....   (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख ....

हस्ताक्षर (   )
पीठासीन अधिकारी

भाग–3

(मतदान के अन्त में मतदान मशीन को मोहरयुक्त करने के बाद की गई घोषणा)

मैनें अपनी मोहर लगा दी है और मतदान की समाप्ति पर जो मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे, उन्हे मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिअ के बक्सों पर अपनी मोहर लगाने की अनुमति दे दी है।

हस्ताक्षर (   )
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. (.... (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (.... (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (.... (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. (.... (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. (.... (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. (.... (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. (.... (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया हैः—

1. (.... (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (.... (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (.... (...................................... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख ....

हस्ताक्षर (   )
पीठासीन अधिकारी

परिशिष्ट – 8

पीठासीन ऑफिसर (प्रिंसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी

(1)	जिला परिषद् का नाम व निर्वाचन क्षेत्र सं.	....
(2)	पंचायत समिति का नाम व निर्वाचन क्षेत्र सं.	....
(3)	मतदान की तारीख	....
(4)	मतदान बूथ का नम्बर व नाम	....
(5)	मतदान मशीन	
	(1) उपयोग में ली गयी कन्ट्रोल यूनिट की सं.	1 जि.प. सदस्य .... 2. पं. स. सदस्य ....
	(2) उपयोग में ली गयी कन्ट्रोल यूनिटों की पहचान क्रम संख्या	1 जि.प. सदस्य .... 2. पं. स. सदस्य ....
	(3) उपयोग में ली गयी बैलेट यूनिटों की सं.	1 जि.प. सदस्य .... 2. पं. स. सदस्य ....
	(4) उपयोग में ली गयी बैलेट यूनिटों की पहचान क्रम संख्या	1 जि.प. सदस्य .... 2. पं. स. सदस्य ....
(6)	(1) उपयोग में लाई गई पेपर सीलों का क्रमांक	1 जि.प. सदस्य .... 2. पं. स. सदस्य ....
	(2) उपयोग में लाई गई स्ट्रीप सील का क्रमांक	1 जि.प. सदस्य .... 2. पं. स. सदस्य ....
(7)	मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलम्ब से आये हों, उनकी संख्या	1 जि.प. सदस्य .... 2. पं. स. सदस्य ....
(8)	ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होने मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किये हैं	1 जि.प. सदस्य .... 2. पं. स. सदस्य ....
(9)	(1) मतदान केन्द्र पर कुल मतदाताओं की संख्या	....
	(2) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अनुसार अनुज्ञात किये गये मतदाताओं की संख्या	....
	(3) मतदाता पंजिका (प्ररूप 14 क) के अनुसार मतदाताओं की संख्या जिन्होने मत दिया	1 जि.प. सदस्य .... 2. पं. स. सदस्य ....
	(4) मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतो की संख्या	1 जि.प. सदस्य .... 2. पं. स. सदस्य ....
	.... प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर	.... मतदाता पंजिका के प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर
(10)	निर्वाचकों की संख्या जिन्होने, मतदान किया :–	पुरूष ....महिला.................योग..............
(11)	निविदत (टेण्डर्ड) मतों की कुल संख्या	1 जि.प. सदस्य .... 2. पं. स. सदस्य ....

(12) निर्वाचकों की संख्या :–
(क) जिनसे उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की ....
(ख) जिन्होने ऐसी घोषणा से इन्कार किया ....
(13) निर्वाचकों की
(क) जिनकी फोटो मतदाता पहचान पत्र से पहचान की गई ....
(ख) जिनकी वैकल्पिक दस्तावेजों से पहचान की गई ________
(14) मतदान करने वाले दृष्टि हीन मतदाताओं की संख्या, जिनकी नियम 41–क में सहायता की गई।
(15) क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था ? यदि हॉ तो ऐसे स्थगन के कारण ....
(16) डाले गये मतों की संख्या :
(क) मतदान प्रारम्भ होने से 10 बजे पूर्वान्ह तक ________
(ख) 10 बजे पूर्वान्ह से 1 बजे मध्यान्ह तक ....
(ग) 1 बजे मध्यान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक ....
(घ) 4 बजे अपरान्ह से मतदान समाप्त होने तक ....
(17) मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय पर दी गई पर्चियों (स्लिप्स की संख्या) ________ ....
(18) व्योरों सहित निर्वाचन अपराध
निम्नलिखित मामलों की संख्या :–
(क) मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर मत सयाचना ________
(ख) मतदाताओं द्वारा रूप–धारण (Impersonation) किया जाना ________
(ग) मतदान केन्द्र पर किसी सूची या सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाडना, नष्ट करना या हटाना ....
(घ) मतदाताओं को रिश्वत देना
(ङ) मतदाताओं (तथा अन्य व्यक्तियों) को भयभीत करना
(च) बूथ कैपचरिंग
(19) यदि निम्नलिखित कारणों से मतदान में विध्न अथवा बाधा उत्पन्न हुई हो, तो उनका विस्तृत रूप से उल्लेख किया जाये :–
(क) बलवा या खुली हिंसा ________
(ख) बूथ कैपचरिंग ....

(ग) मतदान मशीन का असफल होना
(घ) अन्य कोई कारण

(20) क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में ली गई किसी मतदान मशीन द्वारा मतदान को निष्फल बनाया गया :— ....
(क) पीठासीन ऑफिसर की अभिरक्षा से अवैधानिक रूप से छीनकर ....
(ख) विनिष्ट की गई अथवा उसमें गडबड़ी की गई यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो तो उसका पूर्ण विवरण दिया जावें। ....

(21) अभ्यर्थी द्वारा की गई गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हों ....

(22) विधि तथा व्यवस्था भंग करने संबंधी मामलों की संख्या ....

(23) मतदान दल (पोलिंग पार्टी) द्वारा की त्रुटियों तथा अनियमितताओं का पूर्ण विवरण ....

(24) क्या आपने मतदान के पूर्व मतदान के बीच किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया हो तो उनके उपयोग में लाने से पूर्व तथा मतदान समाप्ति पर जैसा कि आवश्यक है घोषणाएं की हैं ? ....

(25) अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण ....
....
....
....

स्थान ....
तारीख..........................

पीठासन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफिसर)
के हस्ताक्षर

नोट :— (1) इस प्ररूप में यदि किसी मद के सामने पर्याप्त जगह न हो, तो सादे कागज पर जानकारी अंकित कर उसे इस डायरी के साथ नत्थी कर देना चाहियें।
(2) यह डायरी मतदान मशीन तथा अन्य सीलड पेपर के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेषित करे।
(3) दोनों चुनावों की प्ररूप — 14 की पृथक—पृथक एक—एक प्रति भी संलग्न करें।

परिशिष्ट – 9

[देखें अध्याय–7, पैरा (3) 8; एवं अध्याय 10, पैरा (3), 4]

प्ररूप – 14 **नमूना**

(नियम–47 ग और 49 घ (6) देखिये)

भाग–1 अभिलिखित मतों का लेखा

निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से जिला परिषद्/पंचायत समिति का निर्वाचन

मतदान बूथ की संख्या और नाम – 16 – त थ द

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त	नियंत्रण यूनिट .... 0002 ....
मशीन का पहचान संख्यांक	मतदान यूनिट .... 0004 ....
1. मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या	1020
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या	815
3. नियम 36क, 38क या 40 क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गए मतदाताओं की संख्या	5
4. मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या	810
5. क्या मद 4 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या मद 3 के सामने मतदाताओं की कुल संख्या घटा–मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2–3) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।	**हॉ मेल करती है**
6. उन मतदाताओं की संख्या जिनकों नियम 44क के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए	6
7. निविदत्त मतपत्र की संख्या	**क्रम संख्या**
(क) उपयोग के लिए प्राप्त	0081 से 0100 तक
(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए	0081 से 0086 तक
(ग) प्रयुक्त न किए और वापस लिए गए	0087 से 0100 तक

8. पत्र मुद्राओं का लेखा

   क्रम संख्या

   002567 से 002570 तक

		मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर
1. प्रदाय की गई पत्र मुद्राओं की क्रम संख्यांक		1
002567 से 002570 तक		2
2. प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या	4	3
3. प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या	1	
(002567)		4
4. रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई		
अप्रयुक्त सीलों की संख्या		5
(मद 3 से मद 2 घटाइए)	3	6

5. नष्ट हुई कागज की सीलों का क्रम संख्यांक यदि कोई है

.... कोई नहीं ....

तारीख 1.2.3 **पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर**

स्थान य र ल **मतदान बूथ संख्या 15**

भाग – 2 मतगणना का परिणाम

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	रिकार्ड किये गये मतों की संख्या
1	2	3
1.	क	315
2.	ख	206
3.	ग	4
4.	घ	5
5.	ङ	115
6.	च	56
7.	छ	8
8.	ज	46
9.	झ	52
10.	नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही)	3
योग	9	810

क्या उपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद सं. 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों योगों में कोई फर्क दर्शित होता है।

..................................हॉ, मेल करती है ....

स्थान ...... प, फ, भ ....

तारीख ...... 3.4.5. ....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम — पूर्ण हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

....

....

स्थान ....

तारीख ....

रिटनिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–10
[देखें अध्याय–3, पैरा (9) 21,
अध्याय 7 पैरा (2)]

(निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्ररूप)

जिला परिषद / पंचायत समिति का नाम ––––––––––––––––––––––––––
निर्वाचन क्षेत्रा का संख्याक ––––––––––––––––––––––––––––––––––
मतदान केन्द्र की संख्या व नाम ––––––––––––––––––––––––––––––––

निर्वाचक द्वारा घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि सन् 2009 की प्रथम जनवरी को अर्थात् अर्हता की उस तारीख को जिसके प्रति–निर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्रा की निर्वाचक नामावली तैयार / पुनरीक्षण की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक थी।

मुझे नामावलियों में या निर्वाचक नामावली की तैयारी / पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने संबंधी मिथ्या घोषणा के बारे में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 क के दण्डात्मक उपबन्धों के बारे में जानकारी है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर / अंगूठे की छाप
पिता / पति का नाम ....
निर्वाचक नामावली का भाग ....
निर्वाचक की क्रम संख्या ....

तारीख

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा से घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किये।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख ....
....
....

मतदान केन्द्र की संख्या व नाम

परिशिष्ट–11

[देखें अध्याय – 3 पैरा (9)21,
अध्याय 7 पैरा (2)]

आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची

————————————————— जिला परिषद/पंचायत समिति के लिए निर्वाचन क्षेत्रा संख्याक ——————————————————————

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम ——————————————————————

भाग – I

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणायें प्राप्त की गई हैं।

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में वार्ड संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा–निर्धारित आयु
1	2	3	4	5

भाग – II

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे अपनी आयु के संबंध में घोषणायें करने से इन्कार कर दिया है।

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में वार्ड संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा–निर्धारित आयु
1	2	3	4	5

परिशिष्ठ–12

(देखे अध्याय 3 का पैरा (11) 6)
लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने हैं
(जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य दोनों के लिये मतदान साथ–साथ होने पर)

पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनाव दोनों के लिये	केवल पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये	केवल जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिये
<u>जो सील करने है–</u> 1. चिन्हित मतदाता सूची, PE-42 2. मतदाता रजिस्टर, PE-43 <u>जो सील नहीं करने हैं–</u> 3. महिला–पुरूषवार मतदाताओं का सांख्यिकी आंकडों का लिफाफा, PE-2 4. पीठासीन अधिकारी की डायरी (रिकार्ड किये गये मतो व पेपर सीलों के लेखे की एक प्रति सहित) PE-52 5. विविध कागजात PE-57 (i) अप्रयुक्त मतदाता पर्चियां, (ii) अप्रयुक्त एड्रेस टैग व स्पेशल टैग, (iii) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्र, (iv) मतदाता सूचियां (चिन्हित मतदाता सूची से भिन्न), (v) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व सूची, (vi) अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें (vii) फार्मों के विक्रय की राशि, (viii)अन्य विविध निर्वाचन कागजात	<u>जो सील करने है–</u> 1. प्रयुक्त मतदाता पर्चियां (पं.स. सदस्य) PE-44 2. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (पं.स. सदस्य) PE-46 3. निविदत्त मतों की सूची (पं.स. सदस्य) PE-48 4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (पं.स. सदस्य) PE-50 <u>जो सील नहीं करने हैं–</u> 5. रिकार्ड किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप–14) (पं.स. सदस्य) PE-53 6. पीठासीन अधिकारी की घोषणा (पं.स. सदस्य) PE-55	<u>जो सील करने है–</u> 1. प्रयुक्त मतदाता पर्चियां (जि.प. सदस्य) PE-45 2. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (जि.प. सदस्य) PE-47 3. निविदत्त मतों की सूची (जि.प. सदस्य) PE-49 4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (जि.प. सदस्य) PE-51 <u>जो सील नहीं करने हैं–</u> 5. रिकार्ड किये गये मतों एव पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप–14) (जि.प. सदस्य) PE-54 6. पीठासीन अधिकारी की घोषणा (जि.प. सदस्य) PE-56

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/3131 दिंनाकः10.09.09

आदेश

यतः राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे मे स्वयं का समाधान करेगा, और

यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 में यह उपबंधित है कि किसी मतदाता को कोई मतपत्र दिये जाने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरणा से, और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो, मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बन्धित है, और

यतः भारत के निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/4/आई.डी./2009/एस0डी0आर0 दिनांक 6 अप्रैल, 2009 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्रा जारी करने के लिए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया था और राज्य के निर्वाचन तंत्र ने सभी सम्भव प्रयत्नो द्वारा छूटे हुए निर्वाचको को ध्यान में रखते हुए पहचान पत्रा जारी करने के लिए क्षेत्रो में अनेक चक्रों को दोहराते हुए प्रर्याप्त सख्या में निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये है, और

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई गई निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक वहीं पात्राता रखता है जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई जाने वाली निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक रखता है,

अतः अव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुंच्छेद 243 K एवं अनुच्छेद 243 ZA के साथ पठित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 12 क के उपबंधो के अधीन प्रदत शक्तियों एवं इस निमित्त इसे सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश सख्या एफ7(6)(5)पंचु/रानिआ/ 03/924 दिनांक 10 मई 2004 एवं आदेश संख्या एफ7(6)(5) पंचु/रानिआ/03/4057 दिनांक 18 नवम्बर 2004 के अतिक्रमण में यह निर्देश देता है कि राज्य की किसी भी नगरपालिका अथवा पंचायती राज संस्था में चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्रा प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्रा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजो में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

1. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड।
2. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा से नीचे के फोटोयुक्त फेमिली कार्ड।

3. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त एनआरईजीए (नरेगा) पारिवारिक नौकरी प्रमाणपत्र कार्ड।
4. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम योजना मंत्रालय द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
5. स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान–पत्र।
6. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
7. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्रा।
8. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र।
9. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्रा पहचान पत्रा।
10. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण–पत्र।
11. ड्राइविगं लाइसेन्स।
12. फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि।
13. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक और किसान पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व खोला गया खाता)
14. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रा के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान–पत्रा।
15. आयकर पहचान–पत्र (पी.ए.एन.)।
16. पासपोर्ट।
17. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त शस्त्रा लाइसेंस।

निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि नगरपालिका के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाये और पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाये।

परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्रा सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

आदेश से,
ह.
(आर.के.जैन)
सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/4796 दिंनाक : 9.11.09

आदेश

आयोग के आदेश सं. प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/3131 दिनांक 10.09.09 के द्वारा मतदाता पहचान के संबंध में 17 दस्तावेंजों की सूची जारी की गई थी, के अनुक्रम में क्रम सं. 18 पर जैसलमेर जिले की जैसलमेर तहसील के मतदाताओं के लिए भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बहुदेशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (Multipurpose National Identy Card) को भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

आदेश से,
(आर.के.जैन)
सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/494 दिनांक :11.2.14

<u>आदेश</u>

आयोग के आदेश क्रमांक प.4(2)(1)नपा/रानिआ/03/3131 दिनांक 10.09.2009 के द्वारा मतदाता पहचान के संबंध में 17 दस्तावेजों एवं आदेश क्रमांक प.4(2)(1)नपा/रानिआ/03/4796 दिनांक 09.11.2009 के द्वारा 18वें दस्तावेज की सूची जारी की गई थी। इसी अनुक्रम में उक्त दस्तावेजों की सूची में क्रम संख्या 19 पर भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड (Aadhar Card) को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया जाता हैं।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर

पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा

I. नियुक्ति होने पर।

II. मतदन के दिन से एक दिन पूर्व का दिन।

III. मतदान के दिन को मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर

IV. मतदान के समय के दौरान।

V. मतदान पूरा होने के पश्चात्।

I. नियुक्ति होने पर

1. जब आप अपना नियुक्ति आदेश प्राप्त कर लें, तब आप कृपया निम्नलिखित बातों की सावधानी पूर्वक जांच और परीक्षा कर लें:–

(क) अपने मतदान केंन्द्र का नाम और उसका संख्यांक;

(ख) जिला परिषद व पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, जिसके भीतर वह मतदान बूथ स्थित है;

(ग) अपने मतदान बूथ का सही स्थान।

यह सूचना आपको अपने नियुक्ति आदेश में ही मिल जायेगी। आपको अपने मतदान अधिकारियेां के नाम भी उसी आदेश में मिल जायेंगे, आप उनसे सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न करे और उनके घर के तथा कार्यालय के पते एवं मोबाईल नंबर अपने पास रख लें और अपने घर का तथा कार्यालय पता एवं मोबाईल नंबर उनको दे दें।

आप अधिक से अधिक प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित हों ताकि आप मतदान मशीन के प्रचालन से पूर्ण परिचित हो जायें। आप अपनी स्मरण शक्ति और पूर्व अनुभवों पर कदापि निर्भर न रहें, क्योंकि इससे आपको धोखा हो सकता है। अनुदेशों में समय–समय पर बहुत परिवर्तन होते रहते हैं।

2. निम्नलिखित पैम्पलेटों और पुस्तिकाओं को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ लें:–

(क) पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका,

(ख) इलैकट्रोनिक मतदान मशीन की नियमावली;

(ग) पीठासीन अधिकारियों के नाम रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के वे पत्र, जिसमें महत्वपूर्ण अनुदेश दिये गये हों।

3. आप परिशिष्ट –5 मे बताई गई मतदान समाग्री की मदों की जानकारी प्राप्त कर लें। दोनो चुनावों के लिए वोटिंग मशीन का सैट पृथक–पृथक है।

4. आप नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को परस्पर जोड़ने और अलग करने तथा नियंत्रण यूनिट के बंद करने ओर मुहरबंद करने की रीति और विधि का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। दोनों चुनावों की कंट्रोल यूनिटें एवं बैलेट यूनिटें आपस में मिल नहीं जायें।

5. आप उपाबंधों में दिये गये विभिन्न प्रकार के सांविधिक और असांविधिक प्ररूपों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

6. आप परिशिष्ट–1, 2 व 3 में दिये गये भारतीय दण्ड संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की सुसंगत धाराओं और परिशिष्ट–4 में दिये गये राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियमों के संबंधित प्रावधानों को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ लें। यदि आपको काई भी संदेह हो तो आप अपने रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क करें और अपने संदेह का निराकरण कर लें। आप कभी किसी बात के बारे में संदिग्ध स्थिति में न रहें।

II. मतदान के दिन से एक दिन पूर्व का दिन

1. मतदान के दिन से एक दिन पूर्व के दिन को आपसे कहा जायेगा कि आप मतदान केन्द्र पर उपयोग में आने वाली सामग्री ले लें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें किः–

   (क) आपको दी गयी नियंत्रण यूनिटों और मतदान यूनिटें आपके मतदान बूथ से ही संबंधित है; और दोनों चुनावों की अलग–अलग हैं।

   (ख) नियंत्रण यूनिट का 'कैंड सेट सेक्शन' सम्यक् रूप से मुहरबंद है और एड्रेस टैग उससे मजबूती से लगा हुआ है। ऐड्रेस टैग का रंग भी अलग–अलग चुनाव का अलग–अलग हैं।

   (ग) नियंत्रण यूनिट में की बैटरी पूर्ण रूप से परिचालित है।

   (घ) मतदान यूनिटों के शिखर और तल दोनों के दाहिने भाग को सम्यक् रूप से सील कर दिया गया है और एड्रेस टैग मजबूती से लगा दिये गये हैं।

   (ङ) संबंधित चुनाव वाला समुचित मतपत्र प्रत्येक संबंधित चुनाव की मतदान युनिट पर लगा दिया गया है और मतपत्र स्क्रीन के नीचे उचित रूप से पंक्तिबद्ध कर दिया गया हैं।

   (च) स्लाइड स्विच को प्रत्येक मतदान यूनिट में समुचित स्थिति की ओर से सेट कर दिया गया हैं।

(छ) परिशिष्ट–5 में वर्णित मतदान सामग्री की सभी वस्तुएं अपेक्षित मात्रा में आपको दे दी गयी हैं;

(ज) पेपर सीलों की क्रम संख्याओं की जांच कर लें;

(झ) निर्वाचक नामावली की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कर लें कि :–

I. पूरक सूचियों की प्रतियॉ दे दी गयी हैं;

II. निर्वाचक नामावली और पूरक सूचियों पर भाग संख्या सही हैं;

III. निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रतियों में पृष्ठ संख्या क्रमबद्ध रूप से दी गयी है;

IV. मतदाताओं के मुद्रित क्रम संख्या में शुद्धियां नहीं की हुई हैं और न ही उनके स्थान पर नयी संख्या दी गयी हैं;

V. पूरक सूचियों की विलोपन सूची के अनुसार नामों को काट दिया गया है और लिपिकीय या अन्य प्रकार की गलतियों को ठीक कर दिया गया है।

(ञ) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जो प्रति आपको दी गयी है, उसकी जांच कर लें/सूची में दिये गये अभ्यर्थियों के नामें और प्रतीकों का मिलान करना चाहिये और उनका क्रम भी वही होना चाहिये, जो मतदान यूनिट पर के मतपत्र में है। यह भी जांच कर लें कि मतपत्र में अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा के विकल्प के लिए उपर्युक्त में से कोई नहीं एवं इसके लिए निर्धारित चिन्ह अंकित हैं।

(ट) इस बात की जांच कर ले कि आपको अमिट स्याही की जो शीशी दी गयी है उसमें अमिट स्याही पर्याप्त मात्रा में है और उसकी डाट ठीक तरह से सील की हुई है; यदि ऐसा न हो तो मोमबत्ती की मोम से उसे पुनः बन्द कर दें।

(ठ) ऐरो क्रॉस मार्क रबड़ की मुहर और अपनी पीतल की मुहर की जांच कर लें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि ऐरोक्रॉस मार्क रबड़ की मुहर के दोनों तरफ मुहरें चिपकी हुई है और स्टाम्प पैड सूखे नहीं हैं।

(ड) यदि आपको अपने आने–जाने के कार्यक्रम, मतदान केन्द्र पर पहुंचने के मार्ग के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह हो, तो आप उसको स्पष्ट कर लें और मतदान केन्द्र पर पहुचने का समय, प्रस्थान करने का स्थान और जाने के लिए वाहन के बारे में पूरी जानकारी कर लें।

2.(क) आप अपने मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन से पूर्व के दिन को अधिक से अधिक 4 बजे सायं तक, पहुंच जावें और यह सुनिश्चित कर लें कि –

i. मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं को प्रतीक्षा करने के लिए और पुरूष और महिला मतदाताओं की अलग–अलग पंक्तियां बनाने के लिए पर्याप्त स्थान है; और शिथिलांग व बुजुर्गों को प्राथमिकता देने वाला पोस्टर लगा दिया है।

ii. मतदाताओं के प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए पृथक्–पृथक् रास्ते हैं;

iii. मतदाताओं के लिए अपना मत अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त प्रकाश वाले मतदान कक्ष है;

iv. दोनों वोटिंग कंपार्टमेंटन्टों में ''जिला परिषद'' या यथास्थिति ''पंचायत समिति'' उपदर्शित करते हुए स्पष्ट नोटिस लगा दिया है।

v. मतदान क्षेत्र और उसके मतदाताओं के बारे में ब्यौरे दर्शित करने वाली सूचना विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है;

vi. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है।

(ख) महिला सहायक सहित ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें, जिनकी सहायता की जरूरत आपको मतदाताओं को पहचान करने के लिए होगी।

(ग) वह स्थान नियत कर लें, जहां आप, आपका मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता बैठेंगे और मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिटें रखी जायेंगी।

(घ) किसी राजनैतिक दल के किसी नेता का कोई भी फोटो मतदान केन्द्र पर टंगा हो तो उसे हटा लें या पूर्णतया ढक दें।

3. मतदान मशीनें और मतदान सामग्री जो आपको दी गई है, वह मतदान की समाप्ति तक तथा मतदान मशीनें और सामग्री आपके द्वारा वापिस संभला दिये जाने तक बिल्कुल आपकी अभिरक्षा में रहना चाहिये। मतदान मशीन और मतदान सामग्री की आप स्वयं या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारी के अलावा मतदान केन्द्र पर कार्यरत पुलिस गार्ड या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में नहीं छोडी जानी चाहिये।

III. मतदान के दिन को मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर

1. आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप और आपके मतदान दल के अन्य सदस्य मतदान आरंभ होने के लिए नियत समय से 75 मिनट पूर्व मतदान केन्द्र पर पहुंच जायें। वहां पहुंचने पर आप मतदान मशीन और मतदान सामग्री की जांच कर लें।

2. मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों की जांच कर लें ओर उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंध समझा दें। उनको बैठने की जगह नियत कर दें और उन्हे आने–जाने के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दें। परिशिष्ट–7 में यथानिर्दिष्ट घोषणा पढ़कर सुना दें।

3. यदि आपके मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी नहीं आया हो तो आप उसके स्थान पर एक मतदान अधिकारी नियुक्ति करने की व्यवस्था करें।

4. मतदान के प्रारंभ के लिए नियत समय से एक घंटे पूर्व मतदान मशीन तैयार करना प्रारंभ कर दें।

5. पृथक–पृथक चुनाव का अलग–अलग दिखावटी मतदान संचालित कर दें और मतदान मशीन में की बाधा दूर कर लें।

6. पिंक पेपर सील लगा दें और नियंत्रण यूनिट के परिणाम भाग को बन्द तथा मुहरबंद कर दें।

7. अमिट स्याही की शीशी इस तरीके से रखें, जिससे स्याही फैलने न पाये।

IV. मतदान के समय के दौरान

1. आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतदान ठीक समय पर ही प्रारंभ होता है। यद्यपि सारी औपचारिकताएं पूरी न भी हुई हो तो भी नियत समय पर कुछ मतदाताओं को मतदान केन्द्र के अन्दर आने दें।

2. मतदान के दौरान असाधारण प्रकृति के अनेक जटिल मामले उत्पन्न होने की संभावना रहती है। आप ऐसे मामलों को स्वयं निपटायें और मतदान अधिकारियों को अपना सामान्य कार्य करने दें। ऐसे मामले में निम्नलिखित प्रकार के हो सकते है–
   - (क) किसी मतदाता के बारे में चुनौति
   - (ख) अवयस्कों द्वारा मतदान
   - (ग) अंधे या शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान
   - (घ) निविदत्त मत
   - (ड.) मतदान की गोपनीयता भंग करना
   - (च) बूथ पर उपद्रवी आचरण और उपद्रवी व्यक्तियों को वहां से हटाया जाना
   - (छ) बलवे या किसी अन्य कारण से मतदान का स्थगन।

3. आयोग द्वारा निर्धारित समय के मतदान से संबंधित आंकड़ों की सूचना अपनी डायरी के संकलन के लिए इकट्ठी करें।

4. नियत समय पर ही मतदान बंद करा दें, यद्यपि मतदान कुछ देर से प्रारंभ किया गया हो। उस समय पर जो व्यक्ति पंक्ति मे खडे हों, उनको आप अपने हस्ताक्षर करके पर्चियां बंटवा दें। यह सुनिश्चित कर लें कि नियत समय के पश्चात कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उस पंक्ति में न आने पाये।

V. मतदान पूरा होने के पश्चात

1. दिये गये अनुदेशों के अनुसार मतदान मशीनों को बन्द और मुहरबंद कर दें और संबंधित चुनाव वाले ऐड्रेस टैग लगावे।
2. उन महिला मतदाताओं तथा मतदाता सूची के अन्य के रूप में दर्शित मतदातओं की संख्या अभिनिश्चित करें, जिन्होनें मत दिया है।
3. प्ररूप–14 (रिकार्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सील लेखा) दोनों चुनावों का अलग–अलग पूरा कर लें। मतदान के बन्द हाने पर वहां उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 14 की एक प्रति अनुप्रमाणित शुद्ध प्रति यथानिर्दिष्ट घोषणा प्ररूप पर उनसे उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात दे दें। उसके पश्चात उस घोषणा के अन्य विवरणों को पूरा कर लें।
4. अपनी डायरी पूरी तरह से भर लें।
5. अनुदेशों के अनुसार सभी निर्वाचन पत्रों को मुहरबन्द कर दें।
6. मुहरबंद मतदान मशीन और मुहरबंद निर्वाचन पत्रों के पैकेट संग्रहण केन्द्र में जमा कराने के लिए वापसी यात्रा के कार्यक्रम का अनुसरण करें। संग्रहण केन्द्र पर मतदान मशीन और अन्य पैकेटों को अधिकृत स्थिति में जमा कराने और उसकी रसीद प्राप्त करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से आपकी है। यह विचार कर लें कि आपने भिन्न–भिन्न वस्तुएं संबंधित काउन्टरों पर संभलवा दी है।

परिशिष्ट–15
पीठासीन अधिकारियों लिए चैक मीमो

क्र. सं.	कार्य जो किया जाना है	विवरण
1	2	3
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी से संबंधित अनुदेश प्राप्त करना और सुरक्षित करना	क्या प्राप्त कर लिया है और रख लिया है?
2.	मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय तथा उनसे नजदीक संबंध रखना	क्या कर लिया गया है?
3.	चुनाव सामग्री को प्राप्त करना	क्या आप आश्वस्त हो गये कि समस्त प्रकार की सामग्री पर्याप्त मात्रा में आपने प्राप्त कर ली है?
4.	मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट दो ईवीएम जि. प. व पं.स. सदस्य के लिए अलग–अलग व मतदान यूनिटें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों, ऐरोक्रॉस मार्क, रबर सील, सुभिन्नकारी चिन्ह की सील मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्चियां, पेपर सील, निविदत्त मतपत्र जि.प./पं.स. के लिए अलग–अलग इत्यादि की जांच	क्या आपने अच्छी तरह से चैक कर ली है?
5.	मतदान केन्द्र में प्रवेश व निकास के लिए पृथक व्यवस्था	क्या आपने कर ली है?
6.	मतदान केन्द्र के क्षेत्र और निर्वाचकों की संख्या, जो कि मतदान केन्द्र के लिए निश्चित है, को दर्शित करते हुए नोटिस तथा मतदान का समय दर्शित करने के लिए नोटिस	क्या आपने प्रदर्शित कर दिया है?
7.	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जि.प. व पं. स. सदस्य के लिए अलग–अलग	क्या आपने प्रदर्शित कर दी है?
8.	नियंत्रण यूनिट व मतदान यूनिट को आपस में जोड़ना व बैटरी चालू करना, जि.प. व पं.स. सदस्य के लिए अलग–अलग	क्या आपने ऐसा कर लिया है?
9.	दिखावटी मतदान कराना	क्या आपने जि.प. सदस्य व पं.स. सदस्य दोनों के लिए करा दिया है?
10.	नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन पर पिंक पेपर सील लगाना, स्पेशल टैग लगाना	क्या आपने जि.प. सदस्य व पं.स. सदस्य दोनों के लिए करा दिया है?

11.	नियत्रंण यूनिट के परिणाम सैक्शन को सीलबंद करना	क्या आपने जि.प. सदस्य व पं.स. सदस्य दोनों के लिए करा दिया है?
12.	नियंत्रण यूनिट को स्ट्रिप सील से सील करना	क्या आपने जि.प. सदस्य व पं.स. सदस्य दोनों के लिए करा दिया है?
13.	पीठासीन अधिकारी को जि.प. व पं.स. सदस्य के लिए मतदान प्रारम्भ करते समय घोषणा	क्या आपने दोनों के लिए कर दी है?
14.	मतदान प्रारम्भ करते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 128 में बताये गये मतदान की गोपनीयता के प्रावधान जि.प. व पं.स. सदस्य के लिए उपस्थित/ अभ्यर्थियों /मतदान अभिकर्ता को बताया	क्या आपने बता दिया है?
15.	जि.प. व पं.स. सदस्य के लिए मतदान यूनिट व बैलेट यूनिट तथा पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील व स्पेशल टैग क्रमांक नोट करने हेतु मतदान अभिकर्ताओं को कहना	क्या आपने कह दिया है?
16.	बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाना एवं मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर /निशानी प्राप्त करना	क्या लगातार ऐसा किया जा रहा है?
17.	अल्प आयु निर्वाचकों से घोषणा	क्या प्राप्त कर ली है?
18.	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा जि.प. व पं.स. सदस्य के लिए प्ररूप 14	क्या आपने लेखे सही तैयार किये हैं और दोनों के मतदान अभिकर्ताओं को नोट करा दिया हैं या उनके द्वारा नकल उतारने पर उसे प्रमाणित कर दिया है?
19.	पीठासीन अधिकारी की डायरी का रख–रखाव	क्या समय–समय पर पूर्ति की जा रही है?
20.	नियत समय पर मतदान बंद करना	क्या करा दिया है?
21.	मतदान समाप्ति की घोषणा	क्या आपने कर दी है?
22.	उपस्थित जि.प. व पं.स. सदस्य के अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर	क्या उन्हें अनुज्ञात किया है?
23.	मतदान मशीन एवं निर्वाचन कागजात को मोहरबंद करना	क्या आपने निर्देशों के अनुसार किया है?
24.	मतदान मशीन एवं अन्य निर्वाचन सामग्री को जमा कराना	क्या आपने जमा कराने के लिए उनको पूर्णतया तैयार कर लिया है?